अष्टम माला, खंड 51, अंक 1 Thursday, 12th October, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अष्टम माला, खंड 53, चौदहवां सत्र—दूसरा भाग, 1989/1911 (शक)

अंक 2, गुरुवार, 12 अक्तूबर, 1989/20 आश्विन, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	4-5
राज्य सभा से संदेश	...	5
नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक	...	5
राज्य सभा द्वारा यथापारित		
लोक लेखा समिति	...	5-6
166वां प्रतिवेदन		
कार्य-मंत्रणा समिति	...	6
75वां प्रतिवेदन		
विधेयक—पुरःस्थापित		
(एक) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक	...	6
(दो) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक	...	6-7
नियम 377 के अधीन मामले		7-10
(एक) स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में देवगढ़ में एक स्टेडियम का निर्माण किए जाने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	7
(दो) उड़ीसा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किए जाने के लिए चीनी और चावल की पर्याप्त मात्रा दिए जाने की आवश्यकता		
श्री चिन्तामणि जेना	...	8

विषय		पृष्ठ
(तीन) गुजरात के किसानों को फसल बीमा की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता		
डा० दिग्विजय सिंह	...	8
(चार) दिल्ली के उन किसानों को, जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई है, पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता		
श्री भरत सिंह	...	8-9
(पांच) केरल में कन्नानोर में अझिक्कल पत्तन का पुनर्विकास करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	...	9
(छ) देश में लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता		
श्री ए० चार्ल्स	...	9-10
(सात) देश में, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, चीनी कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता		
श्री उत्तम राठौड़	...	10
कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 21 अक्तूबर, 1989 से 6 मास के लिए और आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	...	10-21
श्री पी० चिदम्बरम	...	10-11 और 19-21
श्री पी० कुलनदईवेलू	...	11-13
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	13
श्री राम भगत पासवान	...	14
श्री जी० एस० बासवराजू	...	14-15
श्री सैयद शाहबुद्दीन		15
श्री आशुतोष लाहा		15-16
कुमारी ममता बनर्जी	...	16-17
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	18
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	...	18-19

विषय		पृष्ठ
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	...	21-26
कृषि पैकेज के बारे में		
श्री राजीव गांधी	...	21-25
पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1989 से 6 मास के लिए और आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	...	26-67
श्री पी० चिदम्बरम	...	26-27और 61-67
श्री सैयद शाहबुद्दीन	...	27-30
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	30-31
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	31-33
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	33-38
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	39-42
श्री काली प्रसाद पांडेय	...	42-44
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	44-46
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	46-54
श्री जगन्नाथ पटनायक	...	55-56
श्री जनकराज गुप्त	...	56-57
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	57-59
श्री शांताराम नायक	...	59-60
मंत्री द्वारा वक्तव्य	...	67-68
सेंट किट्स में बैंक खाता रखे जाने के बारे में		
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	67-68
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	90 और 94-101
देश में साम्प्रदायिक स्थिति		
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	...	68-72
श्री पी० सेलवेन्द्रन	...	73-77
श्री जैनुल बशर	...	77-80
श्री सैयद शाहबुद्दीन	...	80-87
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	...	87-90
श्री के० जे० अब्बासी	...	94-97
श्री पी० चिदम्बरम	...	97-101

विषय		पृष्ठ
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90	...	90-93
श्री ए० के० पांजा	...	92-93
श्री जी० एम० बनातवाला	...	92
विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1989		93
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री ए० के० पांजा	...	93-94
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री ए० के० पांजा	...	94

लोक सभा

शुक्रवार, 12 अक्तूबर, 1989/20 आश्विन, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पौलमानी) : मैंने अत्यधिक मूल्य वृद्धि के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : आवश्यक वस्तुओं की बहुत ज्यादा कृत्रिम कमी की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया ऐसा कीजिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, ग्लूकोज जैसी दवाइयों में थूक पाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। यदि समय बचा, तो हम इस पर चर्चा करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमने कल इस पर चर्चा की है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : स्पीकर साहब, लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है, उसकी वजह से वादी-ए-काश्मीर के बहुत से इलाकों में टेन्शन है और जम्मू के गुलगुलाबगढ़, रजौरी और पूंछ जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां भी जबर्दस्त टेन्शन हो रहा है, वहां भी लाखों की आबादी है। बाउंडरीज और टेन्शन की बुनियाद पर लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। यह बड़ा अनफार्चुनेट है, मैं समझता हूं डिस्क्रीमिनेशन किया गया है। इसको ईमानदारी से देखना चाहिए था। श्रीमती गांधी की भी इस बारे में कमिटमेंट थी और यह कहा गया कि गुजर और बकरवाल को भी उसमें लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आप इसमें हमारी रहनुमाई करें...(व्यवधान)

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) :۔ اسپیکر صاحب لداخ کو شیڈیولڈ ٹرائبس کا درجہ دیا گیا ہے اس کی وجہ سے وادی کشمیر کے بہت سے علاقوں میں ٹینشن ہے اور جموں کے گلاب گڑھ راجوری اور پونچھ جو بیک ورڈ

ایریاز ہیں وہاں بھی زبردست ٹینشن ہو رہا ہے وہاں بھی لاکھوں کی آبادی ہے۔ وائلینس اور ٹینشن کی بنیاد پر لداخ کو شیڈیولڈ ٹرائبس کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بڑا ان فورچونیٹ ہے میں سمجھتا ہوں ڈسکریمینیشن کیا گیا ہے۔ اس کو ایمانداری سے دیکھنا چاہیئے تھا۔ شریمتی گاندھی کی بھی اس بارے میں کمیٹمنٹس تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ گوجر اور بکروال کو بھی اس میں لیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں

...... انٹرپشن ---]

[अनुवाद]

राज्य को अनंतनाग को न्याय दिया जाना चाहिए। अन्यथा इस से तनाव और अशान्ति उत्पन्न होगी। हम तो पहले ही इस समस्या से प्रभावित हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. नामग्याल) मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत पुरानी मांग थी। यह कोई कम्युनल लाइन्स पर नहीं है। वहां पर मुसलमान, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन्स भी हैं। सभी जातियों के लोग वहां रहते हैं। आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए : (व्यवधान)

وزارت پارلیمانی امور میں ریاستی وزیر اور ادیوگ منترالیہ میں رسائن تھا پیٹرو رسائن وبھاگ میں ریاستی وزیر (شری پی نگیال) میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت پرانی مانگ تھی یہ کوئی نئی کمیونل لائنس پر نہیں ہے جہاں پر مسلمان بدھسٹ اور کرسچین بھی ہیں سبھی جاتیوں کے لوگ وہاں رہتے ہیں آپ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے۔ آپکو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے ---- انٹرپشن ...) ...]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, शोर मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : सभी जानते हैं कि लद्दाख में साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा है और इसके पश्चात् आपने वहां की जनता को यह स्थान दिया है। मैं लद्दाखियों का विरोध नहीं करता वे राज्य का अभिन्न अंग हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ क्यों चिल्ला रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, सरकार श्री अजय सिंह द्वारा सेंट किट्टस बैंक में पांच विभिन्न खातों में 210 लाख अमरीकी डालर जमा करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यहां तक की श्री वी० पी० सिंह और उनके सुपुत्र के पारपत्र दस्तावेज बैंक के पदाधिकारी श्री मैक-लीन के समक्ष रखे जाएं···

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मुझे व्यक्तिगत मामलों से कोई संबंध नहीं है।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, यह पैसा कहां से आता है ? हो सकता है कि कुछ पैसा सी० आई० ए० द्वारा उपलब्ध किया गया हो ? क्या हम सी०आई०ए०के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं अपनी सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केन्द्रीय सरकार की सेवा में भरती करने के विशेष अभियान के लिए बधाई देना चाहती हूं। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सामान्य वर्ग की जनता के लिए भी कोई विशेष अभियान आरम्भ करें क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रिक्तियां भरी जानी चाहिएं और भरती पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर मैं यहां इस बात को लगातार कहता रहता हूं कि जयपुर से लेकर बम्बई तक का रास्ता जो कि मध्यप्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरता है, उसमें नसीराबाद से मऊ तक की सड़क की जो स्थिति है, उसको देखते हुए, कृपा करके आप हमारी सहायता करें कि उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए।

उस मार्ग पर, बहुत ज्यादा वजन है। उस पर आप स्वयं सफर कर चुके हैं और आप देखते हैं कि हम कितनी मुसीबत में वहां से निकलते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से अपील करता हूं कि उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : श्री अजय सिंह की परिसम्पत्तियों और बैंक खातों के संबंध में मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो ने दूसरे सदन में एक वक्तव्य दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि इस सभा में भी एक वक्तव्य दें। हमें उनकी परिसम्पत्तियों और विदेशी खातों में जमा उनकी पूंजी के संबंध में जानकारी मिलनी चाहिए। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और हम इस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, हाल में ही समूचे देश में चीनी

का दाम आसमान छू रहा था।

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ?

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, चीनी का दाम आसमान छू रहा था। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब सरकार ने जोर दिया तो चीनी का दाम कुछ कम हुआ फिर भी 9 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया। इस बात को देखते हुए मान्यवर, गन्ना बोने वाला किसान आतुर है कि उसके गन्ने का दाम क्या होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गन्ने का दाम क्या होगा, इसकी घोषणा कर दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्राइस राइज पर कालिंग अटेंशन करवा रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, आपने अगस्त में भी आश्वासन दिया था कि श्रीलंका के मामले पर चर्चा होगी। किंतु अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है। महोदय, मेरे विचार से श्रीलंका द्वीप से भारतीय शान्ति सेना के हटने के संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है। इसका क्या हुआ? सरकार ने अभी तक इस पर वक्तव्य नहीं दिया है। क्यों? प्रति दिन जनता विमुक्ति पेरुमन उग्रवादियों तथा अन्य लोगों द्वारा 38, 40 या 50 लोगों की हत्या की जाती है। भारत सरकार द्वारा वास्तव में क्या उपाय किए जा रहे हैं? उन्हें कम से कम इस बारे में एक वक्तव्य तो देना चाहिए। यदि जुलाई, 1987 के पश्चात् कोई समझौता है, तो उन्हें अपने-आप ही यहां वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार में कालाजार से बीस लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके उन्मूलन के प्रयासों में जल्दी की जाए।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, दो दफा तो इस पर कालिंग अटेंशन करवा चुके हैं। अब कहते हैं, तो एक बार फिर मिनिस्ट्री को कहेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अनुरोध करता हूं कि आप गन्ने के दाम घोषित करने के लिए सरकार को हिदायत दें कि चीनी के दाम को देखते हुए कम कर दें।

अध्यक्ष महोदय : अभी करेंगे। प्राइस राइज पर डिस्कशन के वक्त इसको भी करेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

11.07½ म० पू०

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-88 के वार्षिक प्रशासन-प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8347/89]

11.08 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 11 अक्तूबर, 1989 को हुई अपनी बैठक में पारित नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अक्तूबर, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 जुलाई, 1989 को हुई उसकी बैठक में पारित किये गये, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक, 1989 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

11.08½ म० पू०

नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित नागालैंड विश्वविद्यालय विधेयक 1989 सभा पटल पर रखता हूं।

11.08½ म० पू०

लोक लेखा समिति

166वां प्रतिवेदन

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं भूमि और विकास कार्यालय के

कार्यकरण के संबंध में लोक लेखा समिति का 166वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.09 म० पू०

कार्य मंत्रणा समिति

75वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 11 अक्तूबर, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के 75वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 अक्तूबर 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 75वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.10 म० पू०

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक*

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, श्री बूटा सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

11.10½ म० पू०

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक*

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जन-

*दिनांक 12.10.89 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित

जातियों के नामों को परिवर्तित करने और उनसे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों के नामों को परिवर्तित करने और उनसे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

———

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने से पहले मैं आपसे एक मामला उठाने की अनुमति चाहता हूं जो इससे संबंधित है। कल इस संबंध में सूची में मेरा नाम लिखा गया था किन्तु मैं सभा में उपस्थित नहीं रह सका यद्यपि मैं घर से 9 तारीख को चला था और मैंने रेलगाड़ी में सीट के लिए दो दिन पहले मांग की थी किन्तु रेल अधिकारी हमें रेल गाड़ी में सीट नहीं दे सके। इसीलिए मुझे कल आने में देर हो गई। सुन्दरगढ़ से निर्वाचित सांसद के साथ भी यही स्थिति थी। हम दोनों अपनी पत्नियों और सहयोगियों के साथ गाड़ी में चढ़े किन्तु हमें गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा क्योंकि वे गाड़ी में हमारे लिए सीट का प्रबन्ध नहीं कर सके थे जबकि हमने इसके लिए पहले ही से कहा हुआ था। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें ताकि कम से कम भविष्य में ऐसा न हो।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय यह बहुत गम्भीर मामला है। जब तक रेलवे और एयरलाइन्स हमें समय पर सीट उपलब्ध नहीं कराते संसद चल ही नहीं सकती। मेरा अनुरोध यह है कि आप मंत्रालय से मिलकर कृपया इस मामले पर विचार करें।

नियम 377 के अधीन मामले

11 12 म० पू०

(एक) स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में देवगढ़ में एक स्टेडियम का निर्माण किए जाने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : देवगढ़ उड़ीसा के उन स्थानों में से एक है जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनकी निर्मम हत्या से एक दिन पहले, 30 अक्तूबर 1984 को एक जनसभा को संबोधित किया था। परिस्थितियों को देखते हुए, इस स्थान पर एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता तथा नगर परिषद द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि वहां उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाए। केन्द्र सरकार को इस अच्छे कार्य के लिए हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

(दो) उड़ीसा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किए जाने के लिए चीनी और चावल की पर्याप्त मात्रा दिए जाने की आवश्यकता

श्री खिलामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा राज्य को सामान्यतः दिए जाने वाला लेवी चीनी का कोटा पिछले कुछ महीनों से कम कर दिया गया है जिससे आम जनता विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वालों को बड़ी कठिनाई हो रही है। निर्धन उपभोक्ता इस स्थिति में नहीं हैं कि वह अपनी जरूरत की चीनी खुले बाजार से खरीद लें, जहां यह चीनी 12 से 14 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चूंकि त्यौहार भी करीब हैं इसलिए गरीब जनता द्वारा लेवी चीनी की भारी मांग की जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा जैसे राज्य में, जहां के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, चावल के कोटे में कमी होने के कारण विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जवाहर रोजगार योजना के तहत वितरित किए जाने वाला चावल अभी लाभार्थियों को वितरण के लिए वहां पहुंचना है। अतः आम आदमी, जो आम तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जाने वाले चावलों पर निर्भर रहता है, को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास खुले बाजार से चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि वहां चावल के दाम बहुत बढ़ गए हैं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह उड़ीसा में पर्याप्त मात्रा में चीनी और चावल की सप्लाई करें और इस महीने से राज्य को दिए जाने वाले कोटे को बढ़ा दें।

(तीन) गुजरात के किसानों को फसल बीमा की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा० दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : गुजरात राज्य में किसानों को फसल बीमा की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण उनमें बहुत उत्तेजना व्याप्त है।

किसानों को दिए जाने वाले कुल भुगतान में से अब तक केवल आधी ही राशि का भुगतान किया गया है और शेष राशि अभी भी बकाया है।

किसानों को उनकी देय राशि दीवाली से पहले दिए जाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए।

(चार) दिल्ली के उन किसानों को जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई है, पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, देहली देहात में चकबंदी कई गांवों में शुरू कर दी है। पहले किसान अपनी जमीन की कीमत दुगुनी देकर आधी कीमत के हिसाब से लाल डोरे में रिहायश के लिए जमीन लेते थे यानी एक एकड़ जमीन खेतों की देकर दो एकड़ आबादी के लिए मिलती थी। आज देहली प्रशासन किसान को 500 गज के हिसाब से आबादी में प्लाट देना चाहता है। इससे सब किसानों को एतराज है क्योंकि यदि एक किसान के चार लड़के होंगे तो लड़के 125 गज में मकान बना सकते हैं। इससे ये लोग अपनी बैलगाड़ी या (झोटा-बुग्गी) कुर्दी या बटोड़े-बूंगे या छोर गलियों में लगायेंगे जिससे रास्ते रुक जायेंगे। इसलिए किसान पहले जरूरत के मुताबिक दरखवास्त देते थे और खेत की जमीन दोगुनी देकर आधी लेते थे। इस तरह अब चकबंदी में करना

जरूरी है। जो किसानों के हाई कोर्ट ने मुआवजे के फैसले सुनाए हैं आज उन किसानों को मुआवजे के पैसे नहीं मिल रहे हैं।

कृपया किसानों को मुआवजे के पैसे देहली प्रशासन से तुरन्त दिलायें। किसानों को जमीन का मुआवजा भी बहुत कम मिलता है। उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए समुचित नियम बनाया जाए।

(पांच) केरल में कन्नानोर में अझिक्कल पत्तन का पुनर्विकास करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नार) : केरल के तटीय क्षेत्र में किसी समय प्रसिद्ध बन्दरगाह और पत्तन आज उपेक्षित पड़े हैं। कन्नानोर, केरल में अझिक्कल में सबसे अच्छे प्राकृतिक तटवर्ती पत्तनों की उपेक्षा किए जाने तथा उनके रख-रखाव के अभाव के कारण उनसे खतरा पैदा हो गया है। नदी के मुहाने पर रेत जमा होने के कारण कई व्यक्तियों की जानें गई हैं तथा कई जहाजों को नुकसान पहुंचा है। इससे स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केरल की पोत-भंजक यूनिट का कार्यकरण भी जोखिम में पड़ेगा क्योंकि तोड़े जाने के लिए लाए गए जहाज नदी में नहीं जा सकते। इस तरह इस पत्तन की उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र के उद्योग, मछली पकड़ने तथा व्यापार पर बुरा असर पड़ा है।

इस पत्तन से 12 किलोमीटर की दूरी पर एजिमाला नामक स्थान पर नौसेना अकादमी स्थापित की जा रही है, इसको देखते हुए अझिक्कल पत्तन के विकास की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। इससे इस जिले के आर्थिक विकास में बड़ी मदद मिलेगी।

अत: सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस पत्तन को पुन: चालू करने के लिए तुरन्त कदम उठाए और इसको एक पूर्ण गोदी के रूप में फिर से विकसित करने के लिए सभी प्रकार की सहायता दे।

(छः) देश में लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : लघु उद्योग क्षेत्र देश के औद्योगिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किन्तु इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की 60 प्रतिशत से भी अधिक इकाइयां रुग्ण हैं। इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के उद्देश्य से तथा यथासम्भव व्यवहार्य इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 6.2.87 के अपने परिपत्र के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को बहुत सी रियायतें दी हैं।

संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को पांच वर्षों की समाप्ति के बाद केवल रुग्ण इकाई के रूप में पता लगाने के लिए कोई उपचारात्मक कार्यक्रम शुरू करना होगा अथवा कदम उठाने होंगे। उस समय तक रुग्ण इकाईयां सहायता के अभाव में समाप्त हो गई होंगी।

यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए कृपया तत्काल कदम उठाए जाएं।

निम्नलिखि तप्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए भी कार्यवाही की जाए :

(1) संयंत्र तथा मशीनरी में 10 लाख रुपये तक के निवेश वाले लघु उद्योगों को अत्यन्त लघु (टारनी सैक्टर) उद्योग घोषित किया जाए।

(2) अत्यन्त लघु उद्योगों से ऋणों पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाए। इस प्रकार ऋणों पर ब्याज की बकाया राशि राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा वहन की जाए तथा यह राशि ब्याज राज-सहायता के रूप में वित्तीय संस्थाओं को अदा की जाए।

(3) इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली रुग्ण इकाइयों पर बकाया ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज की राशि को माफ कर दिया जाए।

(4) इस क्षेत्र को बिक्री कर से स्थाई रूप से छूट दी जाए।

(सात) देश में, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, चीनी कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : कुछ राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में चीनी के कारखाने के लाईसेंस देने के लिए मामलों की सिफारिश करने में असफल रही हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा चीनी कारखानों के पिछड़े वर्गों के कुछ मुख्य प्रायोजकों के मामलों में हुआ है।

कुछ मामलों में, राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों से मार्ग निर्देश प्राप्त होने के बावजूद कि चीनी कारखानों के लाइसेंस देने के लिए ऐसे मामलों के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करें, यह देखा गया है कि ऐसे मामलों की वास्तव में सिफारिश नहीं की गई है।

दिनांक 2.1.1987 की केन्द्र सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार के नागरिक पूर्ति विभाग की जांच समिति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों पर विचार करे। यह पता चला है कि जांच समिति ने ऐसे मामलों को अभी तक विचारार्थ नहीं लिया है।

यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को चीनी कारखानों के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह मामले की जांच करे।

———

11.20 म० पू०

कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 21 अक्तूबर, 1989 से 6 मास के लिए और आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा कर्नाटक के संबंध में 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 21 अक्तूबर, 1989 से छह मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा सभा को मालूम है, कर्नाटक में उस समय व्याप्त स्थिति को देखते हुए, राज्यपाल की सिफारिश पर 21 अप्रैल, 1989 को कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के

अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गई थी और राज्य विधान सभा को भंग कर दिया गया था।

राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा 26 अप्रैल, 1989 को स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार स्वीकृत की गई उद्घोषणा छ. महीने की अवधि की समाप्ति के बाद 20.10.1989 को प्रवृत्त नहीं रहेगी।

कर्नाटक के राज्यपाल ने हाल ही में राष्ट्रपति को लिखे पत्र में यह बताया है कि उन्होंने इस विषय में विचार किया है कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि की समाप्ति से पहले विधान सभा के चुनाव कराना सम्भव और वांछनीय होगा। राज्यपाल का यह विचार है कि राज्य में स्थायी सरकार को चुनने के हित में, संसद के चुनावों और विधान सभा के चुनावों के तालमेल का मुद्दा निर्वाचन आयोग और केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तदनुसार, राज्यपाल ने कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की अवधि 4 महीने के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि चुनाव कराने के मामले में सभी विकल्प उपलब्ध रहे। राज्यपाल का यह मत है कि बढ़ाई गई अवधि के दौरान, विधान सभा के चुनाव कराने के बारे में उचित निर्णय लेना संभव हो सकता।

संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन केवल छः महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है न कि इससे कम अवधि के लिए जैसाकि राज्यपाल ने सिफारिश की है। हालांकि, यदि परिस्थितियां ऐसी बनती है तो छः महीने की बढ़ाई गई अवधि के दौरान उद्घोषणा को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

राज्य में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सभी संबंधित कारणों पर विचार करते हुए ऐसा विचार है कि कर्नाटक में 21.10.1989 से और छः महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति का शासन जारी रखा जाए।

मेरे द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए, शुरू में उल्लिखित संकल्प को मैं इस महान सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कर्नाटक के संबंध में 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 21 अक्तूबर, 1989 से छह मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं गृह मन्त्री द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने के संबंध में लाए गए सांविधिक संकल्प का स्वागत करता हूं। मुझे पता लगा है कि सरकार की इच्छा विधान सभा और संसद दोनों के चुनाव एक दिन कराने की है और इसे संभव बनाने के लिए मंत्री द्वारा अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। गत छः महीनों के दौरान राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था को अच्छी तरह बनाए रखा जा रहा है। इससे पहले अराजकता व्याप्त थी। इससे पहले राज्य में काफी अस्तव्यस्तता थी और राष्ट्रपति शासन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। न केवल कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है बल्कि आवश्यक वस्तुएं अब कर्नाटक के लोगों को आसानी से उपलब्ध है। इन उपलब्धियों का स्वागत है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि अवश्य बढ़ाई जाए। सरकार की संसद और

[श्री पी० कुलनदईवेलू]

विधान सभा दोनों के चुनाव कराने की इच्छा है। मैं माननीय गृह मन्त्री और भारत सरकार से विशेष कर प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि संसद और कर्नाटक विधान सभा के चुनाव कराते समय तमिलनाडु विधान सभा में भी चुनाव कराए। यद्यपि तमिलनाडु में एक निर्वाचित सरकार है लेकिन यह सरकार संयोगवश ही है। सभी इसे जानते हैं। यहां तक कि माननीय मंत्री भी यह जानते हैं। गत सितम्बर महीने के दौरान, वहां पर सांप्रदायिक झगड़ा हुआ था। यहां तक कि हमारे माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम भी घटनास्थल पर गए थे। इन झगड़ों को तमिलनाडु में डी० एम० के० मंत्रियों द्वारा भड़काया गया था। इसे कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। मंत्रियों ने स्वयं वहां सांप्रदायिक हिंसा के लिए लोगों को भड़काया। क्या चुनी गई सरकार द्वारा ऐसा कराना सही है? तमिलनाडु में ऐसी स्थिति व्याप्त है। उनका कोई अधिकार नहीं है। वे तमिलनाडु में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने संसद के लिए चुनावों के साथ तमिलनाडु में भी चुनाव कराने के लिए माननीय मंत्री से अनुरोध किया है।

तमिलनाडु में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। हम तमिलनाडु मे सभी चावल खाने वाले हैं। चावल के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। केवल चावल के कारण ही 1967 में वहां कांग्रेस सरकार को बदल दिया जाता था। मान लो वहां चावल की समस्या है, अपने आप से ही तत्काल सरकार को भंग करना होगा। तमिलनाडु में राशन की दुकानों के सामने हर जगह लम्बी कतारें हैं। राशन की दुकानों और कतारों के सामने हम हर रोज हजारों लोगों को वहां खड़ा होते देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल कर्नाटक के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में, मैं तमिलनाडु की स्थिति को भी सरकार की जानकारी में लाने को उत्सुक हूं।

डा० एस० जगतरक्षकन (चेंगलपट्टु) : यह कर्नाटक से बहुत ही मिलता जुलता मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रसंग के साथ चलना होगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : राशन की दुकानों के सामने लम्बी कतारों में ही यह पता चलता है कि वहां सरकार लोगों मे बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। अत: एक अप्रिय सरकार उस राज्य मे शासन नहीं कर सकती और उसे भंग करना होगा।

दूसरा, वे आन्ध्र प्रदेश में चावल खरीद रहे हैं। माननीय मन्त्री, श्री सुखराम ने भी तमिलनाडु के लोगों को यह विवरण दिया था कि हर महीने 40,000 टन चावल आवंटित किया जा रहा है। लेकिन यह सरकार 40,000 टन चावल का उपयोग नहीं कर रही है। यहां यह स्थिति है। वे इसे केन्द्रीय पूल से नहीं ले रहे हैं। लेकिन वे इसे श्री एन० टी० रामाराव से खरीद रहे हैं। वे श्री एन० टी० रामाराव से क्यों खरीद रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ मिली भगत है। इसलिए वे 4.25 रुपये की ऊंची कीमत से चावल खरीद रहे हैं जब कि हम इसे जनता को राशन की दुकान पर 2.25 रुपये की दर से दे रहे हैं। वे क्यों खरीदते हैं?

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी आप जानते हैं कि हमें प्रासंगिक विषय पर ही बात कहनी है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने के लिए यह प्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह आप तमिलनाडु की चर्चा कर सकते है परन्तु इस प्रकार नहीं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : कर्नाटक की सरकार ऐसा कर रही है। वे चावल का उपयोग कर रहे हैं और जनता को चावल आबंटित कर रहे हैं। परन्तु तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित चावल का उपयोग नहीं कर रही है। उन्हें आन्ध्र प्रदेश से कमीशन मिल रहा है। मुख्य बात यह है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है (व्यवधान) जब हम कर्नाटक विधान सभा के चुनाव करा रहे हैं तो तमिलनाडु के चुनाव क्यों नहीं कराए गए ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह बाहर पूछ सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : तमिलनाडु में चुनाव कराने का समय आ गया है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु विधान सभा के भी चुनाव कराये जाएं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब से कर्नाटक में प्रैजीडैन्ड रूल हुआ है, तब से स्थिति सुधरी है और जो-जो स्कैंडल कर्नाटक के बारे ने अखबारों में आया है, वह सबको पता है, कोई बात छिपी हुई नहीं है। चाहे हेगड़े जी के बारे में हो, चाहे उन के बाद के चीफ मिनिस्टर के बारे में हो, चाहे जनता दल के दूसरे लोगों के बारे में हो, लैंड स्कैंडल के बारे में हो या करप्ट प्रेक्टिसेस के बारे में हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वे लोग दूसरों पर उंगलिया उठाते हैं जो खुद इसमें रंगे हुए हैं। रंगा सियार की कहानी आपने सुनी होगी। जो खुद रंगा हुआ है वह दूसरों पर करप्शन के नाम पर उंगली उठाता है। कर्नाटक की सरकार तो गिरती ही नहीं यदि वे एक-दूसरे की टांग नहीं खींचते। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं। ट्रेन में लोग बातें करते हैं, लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक के खिलाफ एक कैन्डीडेट को खड़ा करेंगे। आपके यहां तो सरकार थी और आपने ही टांग खींचकर उस सरकार को गिरा दिया तो आप कैसे सपना देखते है कि आप केन्द्र में सरकार बनाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि आप टांग खींचकर सात दिनों के अन्दर उस सरकार को नहीं गिराएंगे ? कर्नाटक में जो हुआ है उसने सारे देश की आंख खोल दी है और प्रैजीडैन्ट रूल के बाद वहां पर हालात सुधरे हैं जैसा कि गवर्नर की रिपोर्ट में कहा गया है और चिदम्बरम जी ने भी कहा है कि छः महीने से पहले ही हम वहां पर इलैक्शन कराने की कोशिश करेंगे जिससे स्टैबिलिटी आ जाए। हम चाहते हैं कि जनता यह समझ ले कि दूध दूध होता है और पानी पानी होता है। हम चाहते हैं कि वहां पर स्थायित्व आए। वह सरकार जिसका पांच-सात रुपये का चेक डिसआनर होता था, उस सरकार को रहने की इजाजत कैसे मिल सकती थी ? जिसकी ट्रैजरी में हजार-दो हजार रुपया भी नहीं बचा था, जिसने ट्रैजरी को खाली कर दिया था उसे एगजिस्ट करने का सवाल ही क्या उठता है। इसलिए मैं जोर से यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में प्रैजीडैन्ट रूल रहना चाहिए जब तक कि वहां पर स्थायित्व नहीं आ जाता।

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब से कर्नाटक में प्रैजीडैन्ट रूल हुआ है, वहां की आम जनता बहुत शान्तिप्रिय तरीके से रह रही है। इसके पहले जनता पार्टी की सरकार थी और इतिहास साक्षी है कि जब-जब गरीबों पर, हरिजनों पर अत्याचार हुआ है, शुरूआत इन्हीं के जमाने से हुई है। बिहार में जो हालात जनता पार्टी की सरकार के समय ढाई साल के शासन में थी ठीक इसी प्रकार की हालत कर्नाटक में शुरू हो गई है। ये एक-दूसरे को लंग-पुलिंग कर रहे हैं, ये कांग्रेस के विरुद्ध षडयंत्र रच रहे हैं, हमारी एकता और अखंडता पर इन्होंने कुठाराघात शुरू कर दिया है और जहां पर भी कम्युनल रायटस की चर्चा हो रही है, इसकी सारी जिम्मेदारी जनता पार्टी की है। अध्यक्ष महोदय, वहां की सरकार शान्तिप्रिय है, प्रैजीडैन्ट रूल वहां पर लागू होना चाहिए, ऐक्टैंशन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर प्रैजीडैन्ट रूल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, उसका ऐक्सटैंशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

* श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं।

जनता सरकार के दौरान कर्नाटक की जनता का जीवन दयनीय हो गया था। जब अप्रैल, 1989 में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गयी तो कर्नाटक की चार करोड़ जनता को अत्यन्त खुशी हुई। जनता सरकार ने जनता की लूट की और राज्य दिवालिया हो गया। सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर सकती थी। करोड़ो रुपये के बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। सौभाग्य की बात है कि अब राष्ट्रपति शासन से स्थिति नियंत्रण में आ गयी है। बिलों का भुगतान कर दिया गया है और अनेक विकासात्मक कार्य शुरू किये गये हैं।

राज्य को उत्पाद शुल्क विभाग से 40 करोड़ और बिक्री कर विभाग से 90 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। जनता सरकार ने अपने शासन के दौरान यह राजस्व हड़प लिया था। भ्रष्टाचार अत्यधिक फैला हुआ था और कुप्रशासन से राज्य का विकास रुक गया था। निस्सन्देह राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से जनता के दिमाग में यह भय नहीं रहा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान हरिजनों, गिरिजनों और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार नियंत्रित हुए हैं। विगत छह महीनों में अनेक विकासात्मक कार्यशुरू हुए हैं तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है।

राज्य के किसान अपने कार्यों में व्यस्त हैं। राज्य के अनेक भागों में अच्छी वर्षा हुई है। इसलिये चुनावों से पहले उन्हें कुछ और अधिक समय दिया जाए।

इसलिये मैं कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने का स्वागत करता हूं। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह अत्यधिक धनी राज्य है समूचे राज्य के किसान इस समय अत्यधिक व्यस्त हैं। मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि मेरे राज्य के किसानों को बिजली और सिंचाई की अन्य सुविधायें प्रदान की जाएं। मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। महोदय राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढाने में मुझे कोई राजनैतिक अथवा आर्थिक तर्क दिखायी नहीं देता। यह संकट की स्थिति समाप्त होने के बाद किसी रोगी को सघन चिकित्सा कक्ष में रखने के समान है। जहां तक मेरा विचार है, कर्नाटक में सामाजिक स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वहां कुछ घटनायें हुई हैं। परन्तु इससे ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसके कारण चुनाव नहीं कराये जा सकें। कानून और व्यवस्था की प्रमुख समस्या नहीं है। परन्तु असली मुद्दा जनता को लोकतंत्र के अधिकार से वंचित रखने के संबंध में है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि कर्नाटक की जनता को स्वायत्तशासी सरकार तथा अपनी सरकार चुनने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ साथियों ने आज विगत सरकार की उपलब्धि के संबंध में अप्रासंगिक प्रश्न उठाये हैं। हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं है। हेगड़े सरकार की उपलब्धि का प्रश्न नहीं है, बाध प्रश्न कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की उपलब्धि अथवा सम्मानित लाभ के बारे में है।

आर्थिक क्षेत्र के संबंध में मेरा विचार है कि बहुत थोड़ी उन्नति हुई है। विकास के क्षेत्र में स्थिरता की स्थिति है। सरकार वास्तव में कामचलाऊ शासन के रूप में कार्य कर रही है। यह शासन कर रही है परन्तु कर्नाटक उतनी उन्नति नहीं कर सकता जितनी इसे करनी चाहिए। सरकार तेजी से कार्य कर रही है। परन्तु यह कोई पहल नहीं कर रही है क्योंकि इसे भावी राजनैतिक स्थिति के बारे में विश्वास नहीं है। इन सब बातों की दृष्टि से कर्नाटक में यथाशीघ्र लोकतंत्र बहाल किया जाना चाहिए। यदि मैं सामान्य टिप्पणी करूं तो संभवतः जनता इसका वास्तविक कारण जानती है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि क्यों बढ़ायी जा रही है। मैं किसी विशेष दल की तरफ इशारा नहीं करना चाहता परन्तु तथ्य यह है कि यह पब्लिक रिकार्ड का मामला है कि कर्नाटक में कांग्रेस आई दल में फूट है और वे चुनाव का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये मैं राष्ट्रपति शासन की इस अवधि को बढ़ाने का विरोध करता हूं।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिए ताकि निर्धारित समय पर यथाशीघ्र विधानसभा के चुनाव हो सकें तथा कर्नाटक की जनता अपने भाग्य का निर्णय कर सके।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह संकल्प 21 अक्तूबर, 1989 से राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाना कर्नाटक की 4 करोड़ जनता के लिये वरदान होगा। अभी कर्नाटक में चुनाव कराने का समय नहीं है। विगत राज्य सरकार ने कर्नाटक के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ कर दी थी जिसे ठीक करने के लिये छह महीने की और आवश्यकता है। जैसा कि श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि यदि अधिक समय दिया जायेगा तो स्थिरता आयेगी और कर्नाटक में चुनाव कराने अथवा लोकतंत्र बहाल करने का उचित वातावरण बन जायेगा। मैं श्री शाहबुद्दीन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव कराने का समय पहले ही आ गया है। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी नुकसान पहुंचाया है। इस दृष्टि से 21 अक्तूबर, 1989 से कम से कम छह महीने और कर्नाटक में चुनाव नहीं कराये

[श्री आशुतोष लाहा]

जा सकते अथवा लोकतंत्र बहाल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस बात को याद रखा जाये कि श्री हेगड़े की अध्यक्षता में जनता पार्टी की विगत सरकार कर्नाटक में कोई विशेष परिवर्तन करने में पूर्णत असफल रही थी। नीतियों और कार्यक्रमों जैसे जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के कारण विगत छह महीनों में उन्हें अधिक लाभ मिले हैं। राष्ट्रपति शासन की विशेषत: किसानों और मध्यमवर्गीय लोगों को खुशी हुई है। इसलिये 21 अक्टूबर, 1989 से राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने से जनता को और चैन मिलेगा तथा वे चुनाव लड़ने के लिये अनुकूल वातावरण बनाने की स्थिति में होंगे।

इसलिये मैं 21 अक्टूबर, 1989 से राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरदार बूटा सिंह जी ने कर्नाटक में प्रेसीडेंट रूल बढ़ाने के लिए जो स्टेचुटरी रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हू। कर्नाटक में अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां पर लोकतंत्र कायम हो सके। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वहां पर प्रेसीडेंट रूल कायम रहे, लेकिन इसके लिए सिचुएशन स्टेबल होनी चाहिए, ताकि वहां पर सरकार सुचारू रूप से काम कर सके।

अभी श्री शाहबुद्दीन जी ने कहा कि हम लोग वहां पर इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, यह बात ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि वहां पर कांग्रेस ने प्रेसीडेंट रूल नहीं किया है, बल्कि जनता पार्टी के लोगों ने आपस में एक दूसरे से लड़कर वहां की सरकार को तोड़ा है। इन लोगों ने वहां पर इतना भ्रष्टाचार फैलाया कि वहां का विकास रुक गया और आज यही लोग राजीव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इन लोगों ने खुद ही अपने मुंह पर कालिख मली है और आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। मैं शाहबुद्दीन साहब को निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि बाकी लोग तो हैं नहीं, भाग गये हैं, आप अपनी शक्ल शीशे में देख लें फिर जनता को बतायें कि क्या होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके पक्ष में शीशा है क्या ?

कुमारी ममता बनर्जी : हिन्दुस्तान में लोकतांत्रिक राज कांग्रेस ने ही बचाकर रखा है जनता पार्टी या बी० जे० पी० ने नहीं। महात्मा गांधी ने आजादी के बाद खून दिया देश के लिए, इंदिरा ने खून दिया देश के लिए, लेकिन आपकी पार्टी ने देश के लिए क्या किया है और क्या कर रही है ? केन्द्र सरकार कर्णाटक में देखभाल कर रही है, वहां अब विकास का काम शुरू हुआ है, वहां की जनता खुश है। वहां जितने भी विकास की योजनायें हैं वह और होनी चाहिए। रूरल डवलपमेंट के जो एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, आई० आर० डी० पी०, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजनायें जो हैं इससे कर्णाटक की जनता को बहुत लाभ होगा। क्योंकि केन्द्र सरकार इसकी देखभाल कर रही है। जो डवलमेंट के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी कर्णाटक में क्लियर करना चाहिए और वह पूरे होने चाहिए। जनता दल, जिन्होंने वहां

भ्रष्टाचार किया है उसको सरकार को माफ नहीं करना चाहिए। वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के खिलाफ अभी जांच का काम शुरू हो चुका है, अगर वे या और लोग दोषी पाये जायें तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। जिससे कोई जनता का पैसा न बर्बाद कर सके। हरियाणा में भी ऐसी हालत हो रही है। असम में भी जो आया राम गया राम पार्टी है, ए० जी० पी०, जिसको हम पार्टी कहते हैं ** वहां भी यही हालत है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वैस्ट बंगाल के बारे में भी बोलिये।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं समझती हूं कि किस के बारे में बोलना है और किस के बारे में नहीं बोलना है। शाहबुद्दीन जी आपकी क्या देवीलाल जी के साथ दोस्ती है? हम लोग हाउस में बोलते हैं तो देवी लाल जी कहते हैं कि मैं अध्यक्ष जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। आपकी क्या उनसे शत्रुता है? हम तो जहां गलत काम होगा, उसका विरोध करेंगे ही। उन्होंने अपना जन्म दिन मनाया, कितना पैसा खर्च किया है। वहां पर एस्ट्रालजर्स को बुलाया और पूजा की। करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर दिया और बाद में कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। हिन्दुस्तान की जनता की आवाज को बुलन्द कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, क्योंकि उसकी आवाज हिन्दुस्तान की जनता की ही आवाज है। कांग्रेस ही हिन्दुस्तान को चला सकती है, हिन्दुस्तान में विकास के लिए काम कर सकती है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : और जहां हार जाये वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है।

कुमारी ममता बनर्जी : हमने राजीव जी को लीडर बनाया और हमें जनता ने बनाया है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी को जनता के प्रतिनिधियों ने चुना है।

[हिन्दी]

आपकी पार्टी ने या बी० जे० पी० ने राजीव गांधी को लीडर नहीं बनाया है जो वह कहेंगे कि हट जाओ तो हट जायेंगे। राजीव जी को छोड़ना होगा तो हिन्दुस्तान की जनता राय देगी। अभी कर्णाटक की जो स्थिति है उसमें स्थिरता आने के लिए विकास की बहुत आवश्यकता है इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूं और कर्णाटक की जनता को बधाई देना चाहती हूं कि वह समझ गई है कि वे लोग क्या थे और क्या बन गये हैं। वहां की जनता की आवाज हिन्दुस्तान के विकास की आवाज है इसलिए मैं वहां की जनता को बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : शाहबुद्दीन साहब कुछ बात जंची।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उन्होंने पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिये नहीं कहा है। यह बड़ी गम्भीर भूल है। उनके दल को इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी (मन्दसौर) : मैं शाहबुद्दीन साहब से कहना चाहता हूं कि अब तो कम से कम होश में आओ, लड़कियां तक आप पर लानत मारने लगी हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : लड़कियों में मैं कभी मकबूल नहीं था।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की कालावधि बढ़ाने के संबंध में सदन में जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कर्नाटक एक ऊंची परम्पराओं वाला प्रदेश रहा है। वह टीपू सुल्तान की कर्मभूमि है और ऊंची संस्कृति का स्थल है। वहां के लोग सही मायनों में सात्विक और सच्चे दिल के लोग हैं जो चाहते हैं कि वहां अच्छा प्रशासन कायम हो। वैसे तो सारा देश चाहता है कि यहां अच्छा प्रशासन कायम हो, लोकतंत्र की परम्पराएं सारे देश में मजबूत हों, क्योंकि अभी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आपकी उपस्थिति में अनेक बातों का जिक्र हुआ, हाल ही में मार्गरेट थैचर ने भारत के विषय में कहा था : डेमोक्रेसी इन इंडिया इज गोइंग स्ट्रांगर। उसका कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार ने लोकतन्त्र की परम्पराओं को इस देश में इतना मजबूत और गहराइयों तक पहुंचाया है कि यहां से अब कोई लोकतंत्र को उखाड़ नहीं सकता। लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस के इरादे और समर्पण की भावनाएं सिद्ध हो चुकी हैं और उत्तरोत्तर मजबूती पकड़ती जा रही हैं लेकिन कर्नाटक की जनता ने गत चुनावों में जनता पार्टी के लोगों के हाथ में सत्ता देकर जो उम्मीद लगायी थी, उनकी मीठी-मीठी बातों से उसे आशा बंधी थी कि ये लोग प्रदेश में अच्छा प्रशासन कायम करेंगे, क्योंकि विरोधी पार्टी के रूप में रहकर उन्होंने नैतिकता की दुहाई दी थी, उनके रवैये को देखकर कर्नाटक की जनता को भारी निराशा हुई, उनके कार्यों से उसे गहरा धक्का लगा। रामकृष्ण हेगड़े जैसे व्यक्ति और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से आचार संहिता को तोड़कर अल्प समय में ही भ्रष्टाचार के जो नये कीर्तिमान स्थापित किये, उनके थोड़े से समय में कर्नाटक में भ्रष्टाचार जिन ऊंचाइयों तक पहुंच गया, मैं समझता हूं कि वैसा किसी भी सरकार के समय में नहीं हुआ और सारी दुनिया में संभवत: वह प्रथम भ्रष्टाचार का रिकार्ड है। जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, शासन में आने पर उन्होंने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भ्रष्टाचार को अपनाया और कर्नाटक के लोगों को निराशा के जगत में छोड़ दिया। जब से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, प्रदेश की जनता को काफी राहत महसूस हुई है और अब उसने समझ लिया है कि पूर्ववर्ती सरकार के जितने कार्यक्रम थे, वे भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थे, उनका जनहित में कोई कार्य नहीं था। वैसे कर्नाटक हमेशा से कांग्रेस के कल्चर में रहने वाला प्रदेश रहा है लेकिन पहली बार वहां की जनता ने यह गलती की और अब धीरे-धीरे कांग्रेस की नीतियों के प्रति उसका रुझान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए नहीं कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है बल्कि इसलिए कि लोकतन्त्र के सही प्रहरी कांग्रेस के लोग ही हैं और कांग्रेस की सत्ता ही उन्हें सही प्रशासन दे सकती है। प्रेजीडेंट रूल लागू हो जाने के बाद वहां अनेक सुधार हुए हैं और उस प्रदेश में लोकतन्त्र की जड़ें और ज्यादा मजबूत हुई हैं, ऐसा वहां के लोग मानते हैं कि उनका विकास हो रहा है। इसलिए मेरी धारणा है कि कर्नाटक में अभी वह स्थिति निर्मित नहीं हुई है, न आर्थिक रूप से और न मानसिक रूप से, किसी भी दृष्टिकोण से वहां अभी ऐसा वातावरण तैयार नहीं हुआ है जिससे कि वहां की जनता पर चुनाव लादे जा सकें। उन पर चुनाव लादना अभी ठीक नहीं होगा। हमें वहां सही वातावरण और उचित परिप्रेक्ष्य का सृजन करना होगा। अत: कर्नाटक में राष्ट्रपति राज की अवधि 6 महीने बढ़ाने के संबंध में सदन में जो प्रस्ताव लाया गया है, वह जनता के हित में है और उस प्रदेश के हक में है, इसलिए मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

*श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय द्वारा इस

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सम्मानित सभा में प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और दो महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

जनता सरकार ने एक विशेष तरह से कार्य किया और वे आपसी लड़ाई-झगड़े के कारण अन्ततः सत्ता खो बैठे। सम्पूर्ण राज्य में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन चरम सीमा तक व्याप्त हो गया था तथा राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी तथा चुनावों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं क्योंकि मानसून शुरू हो गया था। इसके बारे में किसानों और अन्य वर्गों के लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि तत्काल चुनाव न कराये जायें।

जनता शासन के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति नाजुक थी। अकेले बिक्री कर और उत्पाद शुल्क से एक महीने में 22 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त होता था परन्तु दुर्भाग्य से जनता सरकार के कुप्रबंध के कारण कोष में कतई धन नहीं बचा। राज्य के सभी विकास कार्य रुक गए। इसलिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा अपरिहार्य थी। हमारा दल हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार है परन्तु हमें राज्य में व्याप्त परिस्थितियों की तरफ ध्यान देना है।

राज्य में अनेक परियोजनायें ऐसी हैं जिन पर केन्द्र को तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। मंगलौर तेल शोधक कारखाना ऐसी ही एक परियोजना है जिसे तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। अनेक दूसरी परियोजनायें भी लम्बित हैं। कर्नाटक की जनता इन परियोजनाओं के पूरा होने की आशा कर रही है। केन्द्र को राज्य की जनता की मांगों को पूरा करना है। ज्यों ही राज्य की स्थिति में सुधार हो त्यों ही चुनाव कराये जाने चाहिएं।

मैं कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन करता हूं तथा इन शब्दों के साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प का स्वागत किया है।

जैसाकि मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा है कि सरकार की छः महीने तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने की मंशा नहीं है। संवैधानिक उपबंधों में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिए बढ़ायी जाये। परन्तु हम आशा करते हैं कि हम संसद के चुनावों का निर्णय करने के पश्चात विधान सभा के चुनावों का भी यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल का भी यह दृष्टिकोण है कि विधान सभा और संसद के चुनावों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विकल्प रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने बढ़ाकर ही ऐसा किया जा सकता है तथा शीघ्र ही चुनाव कराने का विकल्प रखा जा सकता है। मेरे विचार से यह राज्यपाल के पत्र में स्पष्ट है तथा यह मेरे वक्तव्य में भी स्पष्ट है इसलिए श्री शाहबुद्दीन को लोकतंत्र की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है हम भी उनके समान लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं।

महोदय, मैं कुछ संक्षिप्त बातें कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन के कार्यों के संबंध में बताना चाहता हूं। पहला, कर्नाटक में कानून और व्यवस्था की स्थिति में अब पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है, जो

[श्री पी० चिदम्बरम]

अल्पसंख्यक समुदायों तथा अनुसूचित जातियों में असुरक्षा की भावना के कारण अत्यन्त बिगड़ गयी थी। कठोर कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल, उनके सलाहकार और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कुछ दिनों पहले मैं बंगलौर में था। मैंने देखा कि सभी वर्गों के लोग कानून और व्यवस्था के बारे में प्रसन्न थे। दूसरी बात वित्तीय स्थिति के संबंध में है। जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो कर्नाटक के मुख्य सचिव ने मुझे बताया कि 130 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। उनके पास मुख्य सचिव के पेट्रोल बिल के दैनिक भुगतान के लिए भी धन नहीं था। कर्नाटक की ऐसी विकट स्थिति थी। आज वित्तीय स्थिति में स्थिरता आयी है, बिलों का भुगतान किया जा रहा है, वेतन का भुगतान हो रहा है तथा किसानों पर अनुचित दबाव डाले बिना ही करों की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

महोदय, मद्य लॉबी को, जिसका सरकार पर प्रभाव था, इसके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। राज्यपाल ने बड़ी सख्त कार्यवाही की है जिसका कर्नाटक में व्यापक रूप से स्वागत हुआ है।

महोदय, राष्ट्रपति शासन से अनेक अनियमितताएं, जो विगत सरकार ने की थीं, प्रकट हुई हैं। मैं श्री शाहबुद्दीन की इस बात से सहमत हूं कि यह विगत सरकार की आलोचना करने का समय नहीं है। कर्नाटक की जनता उपयुक्त समय पर निर्णय करेगी। परन्तु यह नहीं भुलाया जा सकता कि सम्भवत: कर्नाटक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सार्वजनिक संपत्ति धन, विशेषत: भूमि अनैतिक सट्टेबाजों और डीलरों को फायदे के लिए दे दी गई हो। श्री रामकृष्ण हेगड़े तथा श्री बोम्मई की विगत सरकार जैसा समय पहले कभी नहीं था।

12.00 मध्यान्ह

केवल रीवाजीतु और एन० आर० आई० सौदे प्रकाश में आये हैं। अनेक दूसरी गम्भीर अनियमितायें हुई हैं। मैं नहीं जानता कि क्या श्री शाहबुद्दीन ने जी०वी०के० राव समिति की रिपोर्ट को, जिसने सहकारिता विभाग के अनेक घोटालों का पर्दाफाश किया है, पढ़ा है। उन्होंने भूमि अभिग्रहण अधिनियम के अधीन अधिसूचना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा तथा मआवजा निर्धारित करने के लिए धनराशि निर्धारित कर दी थी। यह मूल्यों पर आधारित सरकार नहीं थी। सम्पूर्ण कर्नाटक में विगत सरकार को बिकाऊ सरकार कहा जाता था। प्रत्येक चीज की कीमत लगायी जाती थी। कर्नाटक में इस प्रकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का पर्दाफाश किया जा रहा है। परन्तु यह विस्तार से चर्चा का समय नहीं है।

श्री शैयद शाहबुद्दीन : मैं स्थिति से भली-भांति अवगत हूं। इसी प्रकार की बिकाऊ सरकार बिहार में है।

श्री पी० चिदम्बरम : बात यह है कि राज्यपाल ने सरकार में कुछ स्थिरता और नैतिकता पैदा की है। आज सरकार वायदों को पूरा कर रही है, कर्नाटक में चलाये गये कार्यक्रमों विशेषत: आई०आर०डी०पी० और जवाहर रोजगार योजना को पूरा कर रही है। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। यदि कोई कमी होगी तो हम उसकी जांच करेंगे। परन्तु मैं यह भी सावधान करना

चाहता हूं कि जिला परिषदें जनता पार्टी के हाथों में हैं तथा यह पार्टी सत्ता में थी। हमने इन संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इनकी कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु राज्यपाल और उनके सलाहकार स्थिति को ठीक करने के लिए इन कठिनाइयों की जांच कर रहे हैं।

मैं इस संकल्प के लिए इस सभा का समर्थन चाहता हूं जिसे मैंने पहले प्रस्तुत किया है, अर्थात राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जाए ताकि कर्नाटक में उचित समय पर विधान सभा के चुनाव कराये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कर्नाटक के संबंध में 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 21 अक्तूबर, 1989 से छः मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.03 म०प०

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि पैकेज के बारे में

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंतीस वर्ष पहले इस सदन में बोलते हुए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :

"हम उद्योग को निश्चित रूप से महत्व देते हैं : परन्तु वर्तमान संदर्भ में हम कृषि एवं खाद्य तथा कृषि संबंधी मामलों को कहीं अधिक महत्व देते हैं।

यदि हमारा कृषि आधार सुदृढ़ नहीं है तो जिस उद्योग का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसका आधार भी मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा, आज देश में ऐसी स्थिति है कि यदि हम खाद्य के मोर्चे पर असफल होते हैं तो अन्य हर जगह हम असफल साबित होंगे। अतः हम खाद्य के मोर्चे को कमजोर नहीं कर सकते। यदि हम अपना कृषि का मोर्चा सुदृढ़ बना लेते हैं, जैसी कि हमें आशा है, तो औद्योगिक मोर्चे पर तेजी से उन्नति करना हमारे लिए अपेक्षाकृत अधिक सरल होगा। दूसरी ओर, यदि हम औद्योगिक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और कृषि को कमजोर हालत में छोड़ दें तो अन्ततोगत्वा हमारा उद्योग भी कमजोर होगा। यही कारण है कि कृषि और खाद्य की ओर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया गया है और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में भारत जैसे देश में यह आवश्यक है।"

सैंतीस साल बाद हमारे लिए यह दोहराने का समय आ गया है कि हमें किसान, कृषि कर्म, खाद्य एवं कृषि को अपनी अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला के रूप में अवश्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सैंतीस वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। अब हमें अकाल का कोई खतरा नहीं है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता के चार दशकों से अधिक समय के दौरान आनुक्रमिक सरकारों द्वारा अपनाई गई कृषि नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषि में युगांतरकारी कायाकल्प की स्थिति ला दी गई है। यह सच है कि जनता शासन की तीन वर्ष की त्रासदी के दौरान भारी आघात पहुंचा था, परन्तु इन्दिरा जी और कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर हमारी कृषिक अर्थ-व्यवस्था दोबारा सही रास्ते पर चल पड़ी है।

[श्री राजीव गांधी]

अब हमारे किसानों और खेत मजदूरों ने हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बना दिया है। उन्होंने हमें इस वर्ष खाद्यान्नों तथा अन्य अधिकांश कृषि उत्पादों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दिया है। उन्होंने हमें सूखे की कठिनाइयों तथा बाढ़ की तबाहियों को सहन करने का आंतरिक बल प्रदान किया है। उन्होंने हमें इज्जत एवं आत्म-सम्मान दिया है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को पुनः प्रतिबलित किया है। वे हमारी प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति सिद्ध हुए हैं। खेती में आत्म-निर्भरता का यह आधार ही है कि हम आत्म-निर्भर, अर्थ-व्यवस्था, पूर्णतः लोकतांत्रिक स्वदेशी नीति, तथा एक स्वतंत्र विदेश नीति बना सकें हैं। यदि हम किसी वक्त खाद्य के मोर्चे पर असफल हो गए होते तो, जैसा कि पंडितजी ने कहा था, सम्पूर्ण देश एवं वह सभी कुछ कमजोर हो जाता जिसके लिए हमने संघर्ष किया। यह हमारी उल्लसित खेती के कारण ही है कि ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि देश, किसान एवं खेत मजदूर का पूर्णतः ऋणी बन गया है। पिछले नौ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में पहले की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न कृषि उत्पादों सहित खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि आई है। यह स्वागत योग्य है। इसका अर्थ है कि जनता के पौष्टिक आहार और जीवन यापन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मांग की इस आशातीत वृद्धि को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इस प्रकार, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए कृतसंकल्प हैं। कृषि के विकास की गति में अवश्य तेजी लाई जानी चाहिए। आमदनी एवं रोजगार पहले के मुकाबले में अधिक तेज गति से अवश्य बढ़ना चाहिए। हमारे किसान कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया से चिंतित हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन-लागत का हिसाब लगाने के तरीके में दो बड़े संशोधन लागू किए जायें। प्रथम, हम, कृषि मजदूरों के लिए राज्य द्वारा अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मजदूरी अथवा चुकता वास्तविक मजदूरी में से जो भी अधिक हो, के आधार पर मजदूरी लागत निर्धारित करेंगे।

दूसरे, हम किसान के प्रबंधकीय तथा उद्यमी दायित्व को स्पष्ट करते हुए उसके काम में आने वाले श्रम को अधिकाधिक मजदूरी के रूप में उत्पादन की लागत में शामिल करेंगे। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बुवाई से पहले ही अधिसूचित किए जाए जा रहे हैं ताकि किसान अपनी फसलों का पैटर्न तर्कसंगत रूप में निर्धारित कर सकें। तथापि, इस तरीके में घोषणा के समय तथा कटाई के समय के बीच लागतों में होने वाली वृद्धि शामिल नहीं की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सी० ए० सी० पी० को एक उपयुक्त वृद्धि सूत्र बनाने की हिदायत दे रहे हैं। इसी दौरान, खरीफ, 1989 से लेकर, काम में आने वाली सामग्री के मूल्यों में वृद्धि एवं बुवाई के समय की शुरूआत के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जाएगी।

धान का खरीद मूल्य 175/- रु० से बढ़कर 185/- रु० प्रति क्विंटल होगा : मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी का 155/- रु० से बढ़कर 165/- रु०, खरीफ की दालों जैसे तूर, मूंग एवं उड़द का 400/- रु० से बढ़कर 425/- रु०, मूंगफली का 470/- रु० से बढ़कर 500/- रु०, काले सोयाबीन का 05/- रु० से बढ़कर 325/- रु० तथा पीले सोयाबीन का 350/- रु० से बढ़कर 370/- रु०, सूरजमुखी के बीज का 500/- रु०, से बढ़कर 530/- रु०, एफ-414 एवं एच-777 कपास का 540/- रु० से बढ़कर 570/- रु०, तथा एच-4 कपास का 650/- रु० से बढ़कर 690/- रु०, तथा अन्ततः पटसन (एम-5 असम की किस्म) का खरीद मूल्य 280/- रु० से बढ़कर 295/- रु० होगा। ये दरें उन किसानों पर भी लागू होंगी जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में

अपने उत्पाद बेच दिए हैं।

कृषक समुदाय अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की शर्तों पर भी चिंतित रहा है। छठी तथा सातवीं योजनाओं में व्यवसाय की शर्तों के प्रतिकूल संचलन को कुछ हद तक सुधारा गया है। हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की अनुकूल शर्तें सुनिश्चित करेंगे।

बहुत से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी-कभी खरीद केन्द्र उनके खेतों तथा गांवों से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। हमारा इरादा खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है ताकि, अन्ततः, खरीद केन्द्र प्रत्येक किसान के गांव से 10 किलोमीटर के भीतर हो सके। ग्रामीण सड़कों का जाल भी चरणबद्ध रूप में मजबूत बनाया जाएगा। विशेषतः वे किसान जो जल्दी खराब होने वाली कृषि पण्यों की खेती करते हैं, अक्सर अपने उत्पादन के उचित मूल्य की धनराशि से केवल इसलिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पैदावार जल्दी खराब होने वाली होती है। इसका एकमात्र हल ग्रामीण गोदामों तथा शीत/शीतित भाण्डागारों की सुविधाओं का विस्तार करना है। इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में शीत/शीतित भाण्डागारों की सुविधाएं स्थापित करने के लिए आकर्षक शर्तों पर संस्थागत ऋण के विस्तार के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

कृषि समुदाय की ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है। हम इसके लिए चार विशिष्ट उपाय प्रस्तावित करते हैं। पहला, हमें सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को उपलब्ध न हो रहे ऋण की समस्या का अवश्य समाधान करना चाहिए क्योंकि जिन सहकारी संस्थाओं से वे संबंधित है, वे नाबार्ड के पुनर्वित्तीयन की पात्र नहीं रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पहले उपाय के रूप में हमने आगामी रबी मौसम से सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के ऋण की विशेष संख्या निर्दिष्ट करने का निर्णय किया है। यह ऋण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। दूसरा अल्पावधिक उत्पादन ऋण के वित्त-पोषण की राशि को वार्षिक रूप से परिशोधित किया जाएगा ताकि किसान को उपलब्ध करवाये गए ऋण से उसकी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान कीमतों पर अनुशंसित राशि को पूर्णतः काम में लगाया जा सके।

तीसरा, जल विभाजन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षों पर आधारित कृषिकारी क्षेत्रों के किसानों के लिए एक विशेष ऋण तंत्र चालू किया जा रहा है। नया तंत्र तीन से पांच वर्ष की अवधि में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर चालू होगा ताकि ऐसे क्षेत्रों में किसी एक अवधि के दौरान आने वाले पर्याप्त और अपर्याप्त मानसून वाले वर्षों के सहज जोखिम को संतुलित किया जा सके। विशेष ऋण तंत्र में एक आवर्तक अवधि में उत्पन्न होने वाली अतिदेय राशियों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि लाभकारी फसल उत्पादन और अन्य सम्बद्ध कार्यों की सहायता के लिए पर्याप्त ऋण का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। इस तंत्र को वर्षा आश्रित कृषिकारी क्षेत्रों में जल-विभाजन विकास के बड़े कार्यक्रम द्वारा पुनः सशक्त बनाया जाएगा।

चौथा उपाय जिसे हम प्रस्तावित करते हैं, वह अवश्य प्रक्रियात्मक है, परन्तु वह किसान को अपनी आवश्यकताओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने के नाते तत्काल मान्य होगा। किसानों को पास बुकें और कृषि ऋण-पत्र दिए जायेंगे ताकि सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों से आसानी से उत्पादन ऋण प्राप्त किया जा सके।

[श्री राजीव गांधी]

राष्ट्रीय कृषि ऋण सहायता निधि से भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पादन की विशिष्टताओं और भारी क्षति पर आधारित एक विस्तृत राहत नीति तैयार होगी। ऋणों के कार्यक्रम के पुनर्निधारण तथा सुस्पष्ट परिस्थितियों में सूद और मूलधन की छूट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि हम भूमि सुधार और सिंचाई में भारी पूंजीनिवेश कर चुके है, फिर भी भूमि तथा जल संसाधनों का हमारा प्रबंध इतना खराब रहा रहा है कि लाभ प्राप्ति इष्टतम प्राप्तव्य की अपेक्षा बहुत कम हुई है। हम अपनी भूमि और जल संसाधनों के प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव करते हैं।

अगले पांच वर्षों में नहर परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक करोड़ अतिरिक्त भूमि में एक सुनिश्चित आधार पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए सुनिश्चित मात्रा में और ठीक समय पर पानी पहुंचाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख ट्यूबवैलों, खुदाई के कुओं का निर्माण भी किया जाएगा और प्रति वर्ष पांच लाख हैक्टेयर भूमि को गांवों के तालाबों, बीलों, बांधों और पोखरों को साफ करने और उनका रख-रखाव करने के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दूसरे, असिंचित भूमि की उत्पादकता को कारगर जल-विभाजन विकास और इन-सीटू नमी परीक्षण द्वारा बढ़ाया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 50 लाख हैक्टेयर भूमि में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

तीसरा, प्रतिवर्ष 25 लाख हेक्टेयर की दर से 25 लाख हेक्टेयर ऊसर और बारानी भूमि का सुधार किया जाएगा। हमें इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आठवीं योजना के आरम्भ होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी वर्ष ही इसकी शुरूआत की जानी चाहिए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्लास्टिकल्चर में अत्यधिक सम्भाव्यता है। विशेषकर सिंचाई, भंडारण और पैकेजबंदी में प्लास्टिक के अनेक उपयोग हैं।

प्लास्टिक संबंधी वर्तमान योजनाओं में पर्याप्त विकास किया जाएगा।

सभी किसानों को स्प्रिंक्लर अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक लाख अतिरिक्त स्प्रिंक्लर प्रणालियों और एक लाख ड्रिप सिंचाई प्रणालियों की स्थापना की जाएगी।

अधिकाधिक कृषि उत्पादन का मूल आधार अच्छे बीज है। नई बीज नीति कार्यान्वित की जा रही है और बनाए जा रहे सुरक्षित भंडार से किसानों को उत्तम किस्म के बीज और पौध-रोपण सामग्रियां उचित मूल्य पर सुलभ होंगी। हमें लघु, सीमांत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों की विशेष चिंता है। रबी 1989-90 से ऐसे 20 लाख किसानों को वर्तमान केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अधीन बेहतर बीजों की आपूर्ति के लिए मिनीकिट उपलब्ध कराए जायेंगे। कृषि अनुसंधान पर आवश्यक ध्यान अथवा प्राथमिकता नहीं दी जा रही। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन कर रहे हैं और मैं इसके प्रेजिडेंट पद का कार्यभार संभालूंगा। हमारे ध्यान में दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, हमारा प्रस्ताव 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों के प्रत्येक उपक्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम अपनी कृषि को आधुनिक बना सकें। दूसरा, संकर किस्म के अनुसंधान और विकास के लिए एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है है जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास और तिलहन शामिल होंगे। इनके परिणाम

पांच वर्षों के अन्दर मांगे जायेंगे और अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण उच्चतम स्तर पर किया जाएगा। कृषि मशीनों और बेहतर डिजाइन के विशेषकर नए और अधिक कारगर सामग्रियों का प्रयोग करने वाले औजार के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण और ऐसे मशीनों और औजारों के विपणन तथा मशीनों और औजारों, पौध संरक्षण उपस्कर और स्प्रिंक्लरों को पट्टे अथवा किराए पर देने के लिए ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि स्थापित की जा रही है।

प्राथमिक उपज का मूल्य बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए भी कृषि पर आधारित उद्योगों, विशेषकर खाद्य संसाधन उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उपयुक्त क्षेत्रों में फलों और सब्जियों के विकास और संसाधन के लिए एक विशेष विस्तार और अवसंरचनात्मक एकमुश्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। औद्योगिक एककों को लघु उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत अथवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ठेके करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ग्रामीण आर्थिक कार्य के विविधीकरण के लिए सभी तटीय जिलों में मत्स्यपालन और जलजीवपालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन विकास एजेंसियां स्थापित की जा रही हैं। मुर्गी के सस्ते चारे सहित अंडे के मूल्यों के सुस्थिरीकरण के लिए विपणन समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मुर्गीपालन फार्मों से सम्बद्ध संसाधन संकुल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने और संसाधित मुर्गीपालन उत्पादों के निर्यात के लिए समर्थन देने सहित मुर्गीपालन विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कृषि में एक मुख्य निर्यात क्षेत्र बनने की संभावना है। हमारे किसानों को कृषि उत्पादों को लाभकारी निर्यात बाजारों से जोड़ने से लाभ प्राप्त होगा। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, निर्यातयोग्य जिन्सों के उत्पादन के आधार तथा गैर-पारम्परिक कृषि निर्यातों की सीमा को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का हमारा प्रस्ताव है।

इस संबंध में, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हमने बंगाल देशी कपास की एक लाख गांठों और ज्यादा लम्बे रेशेवाली कपास की दो लाख गांठों का निर्यात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है। जहां तक कृषि पण्यों की निर्यात नीति का संबंध है, उन्हें इस प्रकार विनियमित किया जाएगा ताकि हमारे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

इस एकमुश्त योजना के समर्थन के लिए प्रमुख संस्थागत सुधार अपेक्षित हैं। इस विषय में दो प्रमुख कार्यक्रम हमारे हाथ में हैं। पहला हम भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने और संगणकीकृत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ताकि किसान मांगने पर प्रलेखन प्राप्त कर सकें। दूसरा हम सहकारी आंदोलन, को सुधारने, नवीयन करने और पुनः सशक्त बनाने का प्रस्ताव करते हैं जो देश के बहुत से भागों में और कई तरीकों से वह अहम भूमिका निभाने में असफल रहा है, जिसकी हमारी सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की नीति में सहकारी आंदोलन के लिए परिकल्पना की गई थी। यह हमारे अगले कार्यकाल के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। कृषि के हित में राष्ट्र का हित है। कृषि विकास और राष्ट्रीय विकास में कोई अंतर नहीं है। पहली वस्तु दूसरी का आधार है। हमें विश्वास है कि जिन कृषि पैकेज को मैं अब सदन के सामने रख रहा हूं उससे हमारे कृषि समुदाय के लिए एक उज्ज्वल नए युग का शुभारम्भ होगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो इतनी अच्छी नीति के बारे में मैं हमारे सब किसानों की ओर से 2—4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। सारे देश के किसानों की ओर से राजीव जी, आप को बधाई और देश के इतने बड़े किसान की अध्यक्षता

[श्री बालकवि बैरागी]

आपने यह सब काम किया, इसके लिए विशेष तौर से आपको हम बधाई देना चाहते हैं। 4 पंक्तियां पद्य में पढ़ रहा हूं और यह याद रखिये कि सारे देश के लोगों की तरफ से, किसानों की ओर से अर्ज कर रहा हूं। मैं किसान हूं इसलिए कह रहा हूं :

जिसने यह पीड़ा पहचानी, भारत के कोटि किसानों की,
मूक व्यथा समझी जिसने, खेती की, खलिहानों की,
हम नेहरू के उस नाती को, खेतों का साथी कहते हैं,
यह साठ करोड़ किसान उसे, अपनी आशीषें देते हैं।"

12.24 म० प०

पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1989 से 6 मास के लिए और आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० चिदम्बरम

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1989 से छह मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

12.24½ म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसा कि सदन जानता है पंजाब में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल की सिफारिश पर 11 मई, 1987 को पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी की गई थी। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उद्घोषणा के लिए दोनों सदनों लोक सभा तथा राज्य सभा की स्वीकृति 12.5.1987 को ली गई थी। विधानसभा जिसे पहले स्थगित किया गया था 6 मार्च 1988 को राज्यपाल की सिफारिश पर भंग कर दी गयी थी। चूंकि राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही थी वहां पर राष्ट्रपति शासन 11.11.1987 से छः महीने तक और बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों की अनुमति ली गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 356 (5) के विद्यमान उपबंध के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से ज्यादा अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि उस खंड में दी गई शर्तों को पूरा न किया जाये। चूंकि ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती थीं, इसलिए संविधान (59 वां संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 365 (5) में संशोधन किया गया ताकि पंजाब राज्य के संबंध

में 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा के लिए उस अनुच्छेद के खण्ड (5) को अव्यवहारिक किया जा सके। अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में दी गई शर्तों को पूरा किए बिना पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि यदि आवश्यक हो तो कुल तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है लेकिन हर बार छः महीने के लिए उद्घोषणा जारी करने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी होगी।

संविधान (59 वां संशोधन) अधिनियम 1988 के अधिनियमित होने से 11.5.1988, 11.11.1988 और फिर 11.5.1989 से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10 नवम्बर 1989 को समाप्त होने जा रही है।

पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी हाल ही की रिपोर्ट में बताया है कि आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई एक नाजुक दौर पर पहुंच गई है। राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में और वृद्धि हुई है और वे सीमा पार से नये-नये हथियारों तथा गोला-बारूद के साथ सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इनके तथा जो आतंकवादी पंजाब में पहले से ही मौजूद हैं उनके साथ कारगर ढंग से निपटा जाये। तदनुरूप, उन्होंने बताया कि यह आवश्यक है कि 11 नवम्बर 1989 से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिए और बढ़ाई जाये।

पंजाब के राज्यपाल ने यह भी बताया है कि अकालियों के कई ग्रुपों और उनके आगे छोटे ग्रुपों में विभाजित होने तथा उपविभाजित होने से पंजाब के राजनैतिक वातावरण में एक प्रकार से पूर्ण अनिश्चतता होने के कारण वहां विधान सभा के चुनाव नहीं कराये जा सकते। जिसके फलस्वरूप, राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है और राज्यपाल को संदेह है कि क्या कोई स्थायी सरकार बनायी जा सकेगी। राज्यपाल की दृष्टि में आने वाले लोकसभा चुनावों के बाद पंजाब में एक स्थिर राजनैतिक वातावरण उभर कर आयेगा। तदनुरूप, उन्होंने सिफारिश की है कि पंजाब विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होने चाहिएं।

इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1989 से आगे छः महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

राज्य में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि 11.11.1989 से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छः महीने के लिए और जारी रखा जा सकता है।

मेरे द्वारा व्यक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए; मैं निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा उल्लिखित संकल्प को इस महान सदन द्वारा स्वीकृति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1989 से छह मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी की बात को ध्यान से

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

सुना है कि पिछले छः महीनों में या 2½ वर्षों में सरकार जो कुछ नहीं कर सकी वह अगले छः महीनों में कर लेगी। राज्यपाल ने कहा है कि हम आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आतंकवाद का पुलिस प्रयोग करके मुकाबला किया जा सकता है। मेरे विचार से यह उचित समय है कि सरकार यह महसूस करे कि ताकत से पंजाब समस्या का समाधान नहीं हो सकता, केवल राजनीतिक समाधान से ही समस्या सुलझ सकती है। आज हम निराशा की स्थिति में हैं। हर रोज हम समाचारपत्रों में लोगों की मृत्यु के समाचार पढ़ते हैं। हर रोज मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे पास रोजाना के आंकड़े नहीं हैं लेकिन मंत्री जी के पास अवश्य होंगे—रोजाना मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही आप इसे सही करेंगे। मैंने मारे गये आतंकवादियों की रिपोर्ट को पढ़ा है। मुझे सलाहकार समिति में वह दिन अभी भी याद है जब तत्कालीन गृह मंत्री जी ने मुझे सूचित किया था कि आतंकवादियों की संख्या बहुत कम रह गई है और अन्ततः उन्हें शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा। वह दिन नहीं आया। आतंकवाद विरोधी प्रत्येक गतिविधि से आतंकवाद और बढ़ा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है। कुछ किया जाना चाहिए। हमें कभी-कभी पता चलता है कि मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उनमें कितनी सच्चाई है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो, लेकिन सच यह है कि पंजाब में मानव अधिकारों संबंधी स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ताकत के बल पर जो कार्यवाही की जा रही है उसमे हमें सफलता नहीं मिलेगी।

महोदय, तीन बातें है। जिन्हें मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा जो हमें इस निराशा में आशा की किरण दिखायेंगे। राजनीतिक स्तर पर किसी भी सिख ने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया है। सामाजिक स्तर पर राष्ट्र विरोधी ताकतों और समाज विरोधी प्रयासों के अलावा पंजाब में और कोई साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ है। आर्थिक स्तर पर मैं यह कहूंगा कि इसका श्रेय औसत पंजाबी पर जाता है कि हर तरह के आतंक हिंसा, खून खराबे के बावजूद पंजाब की आर्थिक उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ा। यह तीन मूल बातें हैं राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक पहलू जो कि सरकार के लिए यह आधार प्रदान करते हैं कि वह जानबूझकर ऐसा रास्ता अपनाए जिससे पंजाब में शान्ति हो सके न कि पुलिस राज की आड़ में पंजाब की जनता को कुचला जाये। हमें स्थिति पर पुनः विचार करना होगा। हमें कुछ कदम उठाने होंगे। हमने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के संबंध में बहुत लम्बी चर्चा की। वह चर्चा पंजाब के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमने यह महसूस किया है कि जब सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा की जाएगी तब हम केन्द्र राज्य संबंधों की समूची पद्धति की समीक्षा करेंगे और अपनी संघीय पद्धति को नया रूप देंगे जो हमारे पंजाब की जनता की उचित मांगों को पूरा करेंगे ताकि नया प्रशासन, नयी धारणा बनायी जा सके और मैं महसूस करता हूं कि विकेन्द्रीकरण से न केवल पंजाब अपितु देश के अन्य भागों की जनता की इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि हमने यहां कहां गलती की है—सरकारी रिपोर्ट कहां है, मैं नहीं जानता कि इसमें छुपाने के लिए इसको कौन से रेफ्रिजेटर में रखा गया है। हमने एक और अवसर खो दिया है।

महोदय, पंजाब में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन की चर्चा राजीव लोंगोवाल समझौता में की गई थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के अधीन आतंकवादियों का मुकाबला करने के अलावा लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मेरे विचार से उन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सका है सिख समुदाय की और पंजाब की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए काफी कुछ किया जा सका है। मेरे विचार से नदी के पानी के बंटवारे के प्रश्न के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरे विचार से बहुत कुछ नहीं किया गया है—कुछ के लिए वचन दिया गया है लेकिन बहुत कुछ नहीं किया गया। औद्योगिक विकास और पंजाब की सीमा संबंधी प्रश्नों के बारे में कोई भी पहल नहीं की गयी। इस प्रकार का अवरोध क्यों है ? इन मामलों को हल क्यों नहीं किया गया। जबकि आतंकवाद के खिलाफ आपका अभियान जारी है। सिख समुदाय की उचित मांगें हैं। मैं इन्हें पुनः नहीं कहना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री महोदय को इनके बारे में पता है। मुझे याद है कि एक समय था जब संसदीय सलाहकार समिति की वार्ताओं में हम सिख समुदाय की बुनियादी धार्मिक मांगों पर समझौते के काफी निकट थे, फिर भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई थी। इस बारे में क्या उपलब्धि हुई है ?

पंजाब में वास्तविक समस्या सिख समुदाय की घायल मनःस्थिति का उपचार करना है। वे राष्ट्रभक्त तथा उच्चतम स्तर के राष्ट्रवादी हैं। वे अपनी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवादिता में किसी से कम नहीं हैं। लेकिन असुरक्षा की भावना उन्हें देशभर में घेरे रहती है। माननीय मंत्री हमें बताएं कि 1984 के घावों को भरने के लिए क्या किया गया है ? वे अभी भी क्यों मौजूद हैं ? कितने लोगों को सजा दी गई है ? हाल ही में इस सम्बन्ध में धक्का लगा है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? 1984 में हुए हजारों लोगों के जघन्य हत्याकांड पर सिख समुदाय को न्याय कब मिलेगा ? यही प्रश्न है। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक आप पंजाब में सदभावना नहीं ला सकते। यह आपकी सबसे बड़ी विफलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दें। पंजाब समस्या को पृथक करके नहीं सुलझाया जा सकता। पंजाब की स्थिति तभी सुलझ सकती है जब हमारे देश में रह रहा सिख समुदाय, जो कि एक सम्मानित समुदाय है और देश के लिए कुर्बानियां करने में तथा स्वतन्त्रता आंदोलन और देश की सुरक्षा के मामले में किसी से पीछे नहीं है अपनत्व की भावना महसूस करे, चिन्ता रहित होकर देश के साथ तथा सुरक्षित रहें। इसलिए वार्ता करना आवश्यक है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने राज्यपाल की रिपोर्ट में पढ़ा कि सिख बंटे हुए हैं, अकाली विभाजित हैं। हां, वे विभाजित हैं। इसलिए आप कहते हैं : "हम वार्ता किससे करें ?" यह प्रश्न पिछले ढाई वर्षों से लटका हुआ है। आप सारे पंजाब में से किसी को भी बातचीत के योग्य समझ पाने में असफल रहे हैं। अकालियों को भूल जाइये। आपने पंजाब के वयोवृद्ध नेता डा० स्वर्ण सिंह से बातचीत कब की थी ? मैं जानना चाहता हूं कि आपने डा० जी० एस० ढिल्लों जैसे इस सभा के प्रमुख सिख सदस्यों को विश्वास में कब लिया था। आपने अपने ही लोगों से बातचीत क्यों नहीं की ? वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके बोझ को बांटेंगे और आपको रास्ता दिखायेंगे। सम्भवतः आप इसका समाधान नहीं चाहते। आप सम्भवतः किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। आप केवल बन्दूक के बल पर राज्य चलाना चाहते हैं। लेकिन बन्दूक-राज से राज्य में शान्ति नहीं लाई जा सकती।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

अकाली विभाजित है और उनके अनेक गुट बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन सभी से बातचीत करने में कोई हानि नहीं है। उनमें श्री बरनाला और श्री बादल जैसे प्रमुख नेता हैं। लेकिन उन्हें राष्ट्र-विरोधी कह कर जेल में रखा जाता है और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। मैं तीन विभिन्न क्षेत्रों से तीन नाम ले रहा हूं—सर्वश्री खुशवन्त सिंह, अर्जुन सिंह और अमरीक सिंह जो कि राजनीतिज्ञ नहीं है, ये प्रसिद्ध लोग हैं। इनमें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुप्रसिद्ध लेखक, सेनाओं के सेवानिवृत्त प्रमुख तथा सेवानिवृत्त कुलपति शामिल हैं। आप इन्हें क्यों नहीं बुलाते ? आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते ? आप पंजाब की समस्याओं पर एक राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन करने के लिए पहल क्यों नहीं करते जिसमें अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सिख नेता, राजनीतिज्ञ, न्यायविद्, लेखक, विद्वान, शिक्षाविद्, भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, किसान एवं उद्योगपति, जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया है और जो लोग भारतीय होने पर गर्व करते हैं तथा जिनके कारण हमें गर्व है, इन सभी को आमंत्रित किया जाए ? आप उनसे पंजाब और सिखों के बारे में बातचीत करके समाधान क्यों नहीं खोजते ? राष्ट्रपति शासन को छः महीने और बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। इससे आप सफलता, सामंजस्य अथवा सद्भावना जो आज की जरूरत है को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपको कुछ और भी करना है।

महोदय, सिखों को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि देश उनका ख्याल रखता है, उनकी चिन्ता करता है, उनके दु.ख-दर्द में उनके साथ है और हम सभी उनके प्रति चिंतित हैं और हम उन्हें पुनः विश्वास दिलाने तथा भविष्य के प्रति उनमें आशा जागृत करने के लिए कुछ करेंगे। इसलिए यह मेरा विनम्र अनुरोध है। हम यह संकल्प पारित कर सकते हैं, मैं इसे नहीं रोक सकता, लेकिन राजनैतिक प्रक्रिया फिर से शुरू की जानी चाहिए। इस राजनैतिक प्रक्रिया को शुरू करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता, विकल्प नहीं है और आप पंजाब के लोगों को लोकतान्त्रिक अधिकार देने से इन्कार नहीं कर सकते। यदि भारत को लोकतांत्रिक रहना है तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसी भी परिस्थिति में जानबूझकर पंजाब में आम चुनावों से न बचे। वास्तव में उन्हें उचित समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि आम चुनाव तथा विधान सभा के चुनाव एक ही समय पर हो सकें।

यद्यपि मैं इस अवधि के बढ़ाये जाने पर खुश नहीं हूं लेकिन चूंकि मैं सरकार को एक मौका और देना चाहता हूं इसलिए इस आलोचना के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में चुनाव प्रक्रिया लागू करने संबंधी अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि संसद और विधान सभा के चुनाव के साथ-साथ पंजाब के भी संसदीय और असेम्बली के चुनाव कर दिए जाने चाहिए। हमारी कांग्रेस सरकार ने पंजाब की स्थिति पर काफी नियंत्रण किया है। अब आतंकवादी सिर्फ कुछ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में एक्टीव हैं और उनको भी कुचलने का प्रयास चल रहा है। मैं समझता हूं इस समय शांति से चुनाव किए जा सकते हैं। आतंकवाद को नियंत्रित करके पूरी शक्ति लगाकर चुनाव शांतिपूर्वक किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय

इस सम्बन्ध में घोषणा करें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इतना आतंकवाद होने के बाद भी वहां की जनता ने जो सांप्रदायिक सद्भाव बना रखा है, वह प्रशंसनीय है। देश के अनेक स्थानों पर जैसे राजस्थान, यू० पी० और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव हो रहा है परन्तु पंजाब के हिन्दू और सिखों में आपस में बहुत प्रेम है और भाईचारा है। यह एक बहुत अच्छा शुभ लक्षण है। वे किसी भी तरीके से आतंकवादियों के हमले बाद भी अपने मधुर सम्बन्ध बनाए हुए हैं। इसका अनुकरण दूसरे प्रदेशों को भी करना चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव बनाना चाहिए। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के उपरांत भी पंजाब में कृषि और औद्योगिक उत्पादन बराबर सही तरीके से होता रहा। देश के कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका जो पहले थी वैसी ही भूमिका बनी रही। इसके लिए मैं वहां के किसानों और वहां की जनता की प्रशंसा करना चाहता हूं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इंडस्ट्रीयलिस्ट औद्योगिक उत्पादन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस प्रकार सब कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वे भी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। आनंदपुर प्रस्ताव को सरकारिया कमीशन ने भी मान्यता नहीं दी है लेकिन अकाली दल के लोग इस प्रस्ताव पर अड़े हुए हैं। अगर इस प्रस्ताव को मान्यता दी गई तो इसका मतलब यह हुआ कि खालिस्तान की मांग की कुछ हद तक पूर्ति हो जाएगी। इस प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की मांग बढ़ेगी और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे इसलिए आनन्दपुर प्रस्ताव की मांग पूरी नहीं की जानी चाहिए। अभी भी अकाली दल का जो रवैया है वह स्पष्ट नहीं है। वे अभी भी आतंकवादियों की भोग सेरेमनीज में जाते हैं और उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जब तक वे आतंकवादियों की निन्दा नहीं करते हैं स्पष्ट रूप से, तब तक उन पर हम यकीन नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संबंध में यह देखने की आवश्यकता है कि अकाली दल के समर्थक हैं वे भी स्पष्ट घोषणा करें कि हम आतंकवादियों का विरोध करते हैं और उनकी निन्दा करते हैं। जब तक वे ऐसा नहीं करते उनको हम कतई मान्यता नहीं दे सकते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब प्रथम आया है देश के अन्दर। इस का अर्थ यह है कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादन वहां स्पष्ट रूप से चल रहे हैं, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। राजीव-लोंगोवाल समझौता इसी आधार पर सफल हो सकता है और एकता कायम हो सकती है। इसलिए इस समझौते के अन्दर जो शर्तें रह गई हैं जैसे रावी-व्यास नदियों के पानी का सवाल है उसमें हरियाणा सरकार का और पूर्व की पंजाब सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है। इसका न्यायोचित हल किया जाना चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। जिसका पानी का जितना मेयर है उसे उतना ही मिलना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हाई-कोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट में इस मसले का हल निकाला जा सकता है। राजस्थान भी इसमें इंटेरेस्टेड है, ऐसा न हो कि हमारे हित को कोई नुकसान पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि एक्स्टेंशन के बारे में जो प्रस्ताव यहां रखा गया है भविष्य में और एक्स्टेंशन न मांगी जाये। वहां भी दिसम्बर में या जनवरी में जो आम चुनाव होंगे उसी के साथ-साथ पंजाब में भी चुनाव हों और वहां जनता की सरकार काम करे। जो राष्ट्रपति शासन की भावना है वह उचित नहीं है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए चुनाव अवश्य होने चाहिए। मैं इस एक्स्टेंशन का समर्थन करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के बारे में यहां प्रस्ताव आया है मैं इसका समर्थन करता हूं। दरअसल पंजाब के किसानों ने बड़ा भारी काम किया है सारे हिन्दुस्तान में। पंजाब हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। सरकार ने बड़े यत्न करके पंजाब के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है और यदि पूरे देश में देखा जाये तो पंजाब के किसानों का प्रथम दर्जा है। मैं किसानों को मुबारकवाद देना चाहता हूं। जहां तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है, यह खुद अकाली पार्टी की देन है। अकाली पार्टी को बहुमत

[श्री के०डी० सुल्तानपुरी]

प्राप्त हुआ, बरनाला जी ने सरकार बनाई और उनकी सरकार में ऐसे उग्रवादी लोग शामिल हो गये जिन्होंने पंजाब को बर्बाद करने के लिए कदम उठाये। उसी का नतीजा यह है कि पंजाब के साथ जो दूसरे राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का इलाका, वहां सारा डिस्टर्ब एरिया हो गया है। पंजाब में उग्रवाद ने जो भयंकर रूप धारण किया, वहां जिस तरह से उग्रवाद पनपा, हमारी सरकार ने पूरा प्रयत्न किया कि किसी भी तरह वहां शान्ति कायम हो। हमारी सरकार की हमेशा से मंशा रही है कि पंजाब में अमन हो, अमन के जरिये से पंजाब में खुशहाली आये और पंजाब समस्या का राजनीतिक तौर पर हल ढूंढा जाए। सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयत्न किए, गाहे-बजाहे मीटिंग्स हुईं, लोंगोवाल समझौता हुआ और उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील रही लेकिन अकालियों में वह एकता नहीं आ सकी जिसकी जरूरत थी। वहां उन्होंने ऐसी हरकतें करनी आरम्भ कर दीं जो राष्ट्र के बंटवारे की ओर जाती थीं, जैसी हालत आजादी के वक्त मुस्लिम लीग ने पैदा कर दी थी, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वैसे ही अकालियों ने पंजाब में आनन्दपुर साहेब प्रस्ताव पास करके हालत पैदा कर दिए थे, और उसमें वे सारे इकट्ठा हो गये। जो चीज विधान के अनुसार नहीं है, उसे मनवाने के लिए तरह-तरह के षडयंत्र रचे गये, कोशिशें की गयीं ताकि पंजाब के लोग एक्सप्लॉयट हों, पंजाब की स्थिति खराब हो जाये। हमारी सरकार की मंशा कभी नहीं रही कि वहां राष्ट्रपति राज काफी देर तक कायम रहे। आज सदन में विपक्ष के लोग मौजूद नहीं हैं उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि राजीव-लोंगोवाल समझौता राष्ट्र के हित में है, सबके हित में है, उसके लिए अनेक लोगों ने कुर्बानियां भी दीं, जिनमें बी० जे० पी० के लोग भी शामिल हैं, हमारे लोग भी शामिल हैं, अनेक अखबार वाले, जैसे लाला जगत नारायण, उनका लड़का जो पंजाब के अग्रणी प्रेस के मालिक थे, अनेक रिपोर्टर्स की वहां हत्यायें हुईं। किसी जात-बिरादरी को देखकर हत्याएं नहीं होती थीं बल्कि उग्रवादियों का मकसद था कि किसी भी तरह से ही पंजाब में बदअमनी फैलायी जाये। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने उनको कन्ट्रोल करने के लिये न केवल प्रयत्न किया, गाहे-बगाहे पंजाब का दौरा किया, लोगों को विश्वास में लिया और आज वहां जो गवर्नर साहब हैं, वे भी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, रिबैरो साहब ने भी काफी प्रशंसनीय काम पंजाब में किया। उनको मारने तक की साजिशें हुईं। मैं समझता हूं कि यदि हमारी सरकार ने वहां दखल न दिया होता तो वहां स्थिति दूसरी ही होती क्योंकि बरनाला सरकार के इरादे नेक नहीं थे। जब हम दिल्ली में यह देखते हैं कि पिछले दिनों जो एक भारी रैली हुई, उसमें एक विपक्ष के नेता का जन्म-दिन मनाने के लिए, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल हैं, भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया, वहां जिस तरह की बातें हुईं, भाषण हुए, उग्रवादियों से संबंध रखने वाले अनेक लोग उस रैली में शामिल हुए, उसे देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इससे बड़ा आडम्बर दूसरा नहीं हो सकता था जिसमें न केवल स्मगलरों को इकट्ठा किया गया, लोगों से जबर्दस्ती पैसा इकट्ठा किया गया और पंजाब की हालत को खराब करने वालों तक को आमंत्रित किया गया, मैं उसका विरोध करता हूं। इस प्रस्ताव में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाये जाने की व्यवस्था है, यदि वहां 6 महीने में अमन चैन की स्थिति बहाल हो जाती है तो मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट में इलैक्शन के साथ-साथ पंजाब असैम्बली के चुनाव भी करा दिए जायें ताकि वहां के लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार मिल सके और पंजाब तरक्की कर सके। वहां डैमोक्रेसी बहाल हो और उग्रवादियों को ठीक तरह से सजा दे सके। मेरी मान्यता है कि पंजाब में हरिजन भाइयों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है, वहां के सरकारी कर्मचारी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों वहां की हाई कोर्ट में एक रिट पर हरिजन भाइयों के हक में फैसला हुआ था,

लेकिन मुझसे आज भी अनेक लोग मिलने आये थे, उन्होंने बताया कि उस फैसले को इम्पलीमैंट करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। उस फैसले में यह कहा गया था कि हरिजनों को रोस्टर के मुताबिक जितना आरक्षण कोटा मिलता है, वह दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा है, उस फैसले को इम्पलीमैंट नहीं किया जा रहा है। जो अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि आप उन्हें देखिये और जल्दी से जल्दी उस फैसले को इम्पलीमैंट करवाइये। जहां तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह और बढ़ाये जाने का ताल्लुक है, यह उचित कदम है। जैसा यहां कुछ साथियों ने शंका जाहिर की कि सरकार पंजाब में लम्बे समय तक राष्ट्रपति राज बनाए रखना चाहती है, सरकार की मंशा साफ नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है। सरकार की मंशा हमेशा से साफ रही है। सरकार ने हर सम्भव कोशिश की है कि पंजाब में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आए और वहां पर ठीक ढंग का वातावरण पैदा किया जाए। उसके लिए मैं सभी दलों के लोगों को कहना चाहूंगा कि वे सब लोग इस तरफ तवज्जुह दें और खासकर जो डिस्टर्ब एरिया है उसमें भी यह कोशिश की जाए कि वहां अमन कायम हो सके। जहां राष्ट्रपति शासन होगा वहां तो अमन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर साहब को, उनके सलाहकार को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी खराब हालत का मुकाबला करने और पंजाब की हवा को ठीक रखने और वहां के हालात को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाई जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहेब, मैं आज अपने चिदम्बरम साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूं ज्यादा लम्बी तकरीर मुझे करनी नहीं है क्योंकि इन्होंने पंजाब के मसले को समझा है और ये बार-बार वहां गए हैं। मैं इससे आदादो शुमार फीगर्स मांगना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोगों के पास ग्राफ है और हमारे पास जो सैंसस है, वह यह है कि प्रेसीडेंण्ट रूल में एवरेज बहुत ज्यादा लोग मरे, बहुत ज्यादा प्रापर्टी का नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इनका ग्राफ क्या बताता है कि पहले जब वहां बरनाला सरकार थी, उस वक्त ज्यादा लोग मरे, ज्यादा लोग जख्मी हो गए और ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, ये ग्राफ इनका है। यह ग्राफ क्या बताना चाहता है? इनको हमें कान्फीडेंस में लेकर बताना चाहिए कि क्या सूरते-हाल हैं। जो लोगों की बात है जिनमें मैं शामिल हूं, हमारे पास एक साइकोलौजी है, नफसियात है। उसकी ग्राफ की फीगर्स तो इनके पास है, मगर नफसियात का ग्राफ हमारे पास है। हम इस पर मुत्तफिक हैं कि सदर का राज होने के बाद भी पंजाब में कतलो-गारद जारी रही और हमारे कान दुख से भर जाते हैं, जब हम हर रोज, हर सुबह, हर शाम सुनते हैं कि पंजाब में इतने लोग मारे गए। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब हमारे कान यह बुरी खबर नहीं सुनते। इसलिए चिदम्बरम जी को आदादों शुमार पेश करनी चाहिए। एवरेज बताना चाहिए कि कितने लोग मारे गए। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस वक्त रिबैरो साहब वहां गए उस वक्त हम बहुत दुखी थे। पंजाब का मसला तो यहां चलता रहा है। मैंने भी दर्जनों बार यहां पर बोला है पंजाब पर। उस वक्त भी हमारा यह विचार था कि एक बहुत बड़ा सहारा रिबैरो साहब हैं, एक बड़ा डिसीप्लिण्ड सोल्जर, बहुत ही मुखलिस आदमी है और जब वे वहां गए, तो हमने कहा कि अब पंजाब की हालत सुधर जाएगी और रिबैरो साहब जब वहां डी० जी० थे उस वक्त भी और जब वे शुरू के दिनों में एडवाइजर भी हो गए थे, तब वे बहुत ही जोर से कहते थे कि बुलट पर बुलट और उनका ख्याल था कि गोली का बदला गोली लगाने से पंजाब की हालत सुधर जाएगी और पंजाब में चैन हो जाएगा, उन लोगों के लिए जो पंजाब में चैन और अमन चाहते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा हमारे नैशनल प्रैस में कई स्टोरीज आ गई हैं और उनके साथ जिन जर्नलिस्ट्स ने बातें की हैं, उससे ऐसा

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

लगता है कि उनका दुख ऐसा ही है जैसा हमारे दिल में है। उनकी थ्योरी फेल हो गई है कि गोली का जवाब गोली से देने से स्थिति सुधर जाएगी। अब आखिरकार रिबैरो साहब ने जब चार्ज दे दिया, तो अब वे इस बात से दुखी हैं कि उनकी जो पॉलिसी थी वह गलत थी और गोली का जवाब गोली से देने से मसला हल नहीं होगा।

जब रिबैरो साहब ने कहा था, उस वक्त मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि गांधी जी ने हमें जो दर्स दिया है कि तशद्दुद से तशद्दुद जन्म पाता है। जब गोली का जवाब गोली से होता है, तो फिर वायलेंस, हिंसा फैल जाती है और आज गांधी जी की फिलोसोफी पर भी रिबैरो साहब का ऐतिकाद है और उनका भी ख्याल है कि गांधी जी का कहना सही है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि गोली चलेगी नहीं। अगर टैररिज्म होता है और लोग जब जम्हूरियत को नहीं मानते हैं, वोट

1.00 म० प०

की हुकूमत नहीं मानते हैं और पंजाब प्रापर्टी को नुकसान करेंगे और मासूम लोगों का कत्ल करेंगे, वहां सरकार को लॉ एण्ड आर्डर के लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब का मसला लॉ एण्ड आर्डर का नहीं है, वह एक सियासी मसला है। इसलिए हमने शुरू में भी कहा था मरकजी सरकार से। मरकजी सरकार के सामने भी बड़ी दुश्वारियां थीं, मुश्किलात थी। उनको हमने बताया था कि मेहरबानी करके पंजाब में ऐसी हालत कीजिए कि वहां सियासी तफसिया हो जाए। बरनाला जी को चुनने में आपने गलती की होगी। उससे ज्यादा अच्छे आदमी सियासतदां वहां पर बादल साहब थे। कभी-कभी मरकजी सरकार में ऐसे लोग होते है जो सियासत में ऐसे लोगों को चाहते हैं जो आपके कागज पर अंगूठा लगाएं, जो ऐजेंट बने होंगे दिल्ली के। आपके दिल से यह विश्वास होना चाहिए कि जो सियासत की हुकूमत चलाएंगे वे लोगों की मर्जी से आ जाएं और आजादी से हुकूमत चलाएं। आपके जो कुछ साइको-फैंटस हैं वे चलने नहीं देते है, वे ऐसे लोग चाहते हैं जो आपके ऐजेंट हो जाएं। इसलिए उस वक्त उन पर बड़ा खौफ था जैसा कि मेरे इल्म में है। उसने यह सोचा और प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया और उन्होंने बरनाला जी को चुन लिया। मेरे ख्याल में बरनाला जी ठीक आदमी थे लेकिन उनमें वह दम नहीं था जो शायद बादल जी दिखा सकते थे। लेकिन बहरहाल वह जमाना गया। बरनाला जी की सरकार को आपने डिसमिस किया। आपकी मुश्किलात क्या होगी हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं यह मानता हूं कि मरकजी सरकार को बड़ी दुश्वारियां थी पंजाब में। इसलिए आपने पंजाब में सदर-राज्य किया और बार-बार सदर राज्य को वहां ऐक्सटैंड करना कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। पंजाब का मसला अब फिर ऐक्सटैंशन से हल नहीं होगा कि सदर राज को ऐक्सटैंड किया जाए। पंजाब का मसला यह है कि इस वक्त जो भी मरकजी सरकार की दुश्वारियां हैं वे ऐसी हिकमते अमली बने कि लोगों के साथ बात की जाए। आपके सामने अभी शहाबुद्दीन साहब बता रहे थे। हम भी जहाज से सफर करते हुए या रेल से जाते हुए या पार्लियामैंट में या सैंट्रल हाल में हजारों सिख लीडरों से मिलते है और उनके दिल में भी यह तमन्ना है कि यह मुल्क एक रहे और पंजाब की हालत दुरूस्त हो जाए। लेकिन एक बात है, हम कब तक इंतजार करेंगे कि हमारे डायरेक्टर जनरल हमको बताएंगे पंजाब में या गवर्नर साहब कि क्या होना चाहिए। इन दो आदमियों की मर्जी से पंजाब नहीं चलाया जा सकता है। पंजाब की हालत को दुरूस्त किया जाना चाहिए। हम लोगों के नुमाइंदे हैं। इस ऐवान में फैसला होगा कि पंजाब में क्या होना चाहिए। इसलिये मेरी दरख्वास्त होगी, इस वक्त आपको मजबूरी है और मैं यह मानता हूं कि ऐक्सटैंशन तो होना चाहिए लेकिन फिर भी जैन साहब ने जो मसला बताया, अब नई लोकसभा में क्या होगा। लेकिन इस समय हाउस में यही है कि पंजाब में आइन्दा सदर राज नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी की हुकूमत दे दी जानी चाहिए और वे जानेंगे कि कैसे लॉ एण्ड आर्डर रखा जाए। एक शख्स की मर्जी से पंजाब नहीं चलाया जाएगा चाहे शंकर-रे हो या मिस्टर गिल हों।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارامولا): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں آج اپنے چدمبرم صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ لمبی تقریر مجھے کرنی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب کے مسئلے کو سمجھا ہے اور یہ بار بار وہاں گئے ہیں۔ میں ان سے اعداد و شمار فیگرس مانگنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے پاس گراف ہے اور ہمارے پاس جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈینٹ رول میں الوریج بہت زیادہ لوگ مرے بہت زیادہ پراپرٹی کا نقصان ہو گیا بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ ان کا گراف کیا بتاتا ہے کہ پہلے جب وہاں برنالا سرکار تھی اس وقت زیادہ لوگ مرے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اور زیادہ پراپرٹی کا نقصان ہو گیا یہ گراف ان کا ہے۔ یہ گراف کیا بتانا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کو ہمیں کانفیڈنس میں لے کر بتانا چاہیے کہ کیا صورت حال ہے۔ جو لوگوں کی بات ہے جن میں میں شامل ہوں ہمارے پاس ایک سائکولوجی (نفسیات) ہے۔ اس کی گراف کی فیگرس جو ان کے پاس ہے مگر نفسیات کا گراف ہمارے پاس ہے۔ ہم اس پر متفق ہیں کہ صدر کا راج ہونے کے بعد بھی پنجاب میں قتل و غارت جاری رہی اور ہمارے کان دکھ سے بھر جاتے ہیں جب ہم ہر روز صبح ہر شام سنتے ہیں کہ پنجاب میں اتنے لوگ مارے گئے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جب ہمارے کان یہ بری خبر نہیں سنتے۔ اس لیے چدمبرم جی کو اعداد و شمار پیش کرنے چاہیے۔ الوریج بتانا چاہیے کہ کتنے لوگ مارے گئے۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ریبیرو صاحب وہاں گئے اس وقت ہم بہت دکھی تھے۔ پنجاب کا مسئلہ جو یہاں چلتا رہا ہے۔ میں نے بھی درجنوں بار یہاں پر بولا ہے پنجاب پر۔ اس وقت بھی ہمارا یہ وچار تھا کہ ایک بہت بڑا سہارا ریبیرو صاحب ہیں ایک بڑا ڈسپلنڈ سولجر بہت ہی مخلص آدمی ہے اور جب وہ وہاں گئے تو ہم نے

کہا کہ اب پنجاب کی حالت سدھر جائے گی۔ اور ریبیرو صاحب جب وہاں ڈی جی تھے اس وقت بھی اور جب وہ شروع کے دنوں میں ایڈوائزر بھی ہو گئے تھے تب وہ بہت ہی زور سے کہتے تھے کہ بلٹ پر بلٹ اور ان کا خیال تھا کہ گولی کا بدلہ گولی لگانے سے پنجاب کی حالت سدھر جائے گی اور پنجاب میں چین ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو پنجاب میں چین اور امن چاہتے ہیں لیکن ابھی میں نے دیکھا ہمارے نیشنل پریس میں کئی اسٹوریز آگئی ہیں اور ان کے ساتھ جن جرنلسٹ نے باتیں کی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا دکھ ایسا ہی ہے جیسا ہمارے میں ہے۔ ان کی تھیوری فیل ہو گئی ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دینے سے حالت سدھر جائے گی۔ اب آخر کار ریبیرو صاحب نے جب چارج دے دیا تو اب وہ اس بات سے دکھی ہیں کہ ان کی جو پالیسی تھی وہ غلط تھی اور گولی کا جواب گولی سے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

جب ریبیرو صاحب نے کہا تھا اس وقت میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ گاندھی جی نے ہمیں جو درس دیا ہے کہ تشدد سے تشدد جنم پاتا ہے۔ جب گولی کا جواب گولی سے ہوتا ہے تو پھر وائلینس ہنسا پھیل جاتی ہے اور آج گاندھی جی کی فلاسفی پر بھی ریبیرو صاحب کا اعتقاد ہے اور ان کا یہی خیال ہے کہ گاندھی جی کا کہنا صحیح ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گولی چلے گی نہیں۔ اگر ٹیرارزم ہوتا ہے اور لوگ جب جمہوریت کو نہیں مانتے ووٹ کی حکومت نہیں مانتے ہیں اور پنجاب پراپرٹی کو نقصان کریں گے اور معصوم لوگوں کا قتل کریں گے وہاں سرکار کو لا اینڈ آرڈر کے لیے ضروری کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن پنجاب کا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا نہیں ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم نے شروع میں بھی کہا تھا مرکزی سرکار سے۔ مرکزی سرکار کے سامنے بھی بڑی دشواریاں

تھیں مشکلات تھیں۔ ان کو ہم نے بتایا تھا کہ مہربانی کر کے پنجاب میں ایسی حالت کیجیے کہ وہاں سیاسی تصفیہ ہو جائے۔ برنالا جی کو چننے میں آپ نے غلطی کی ہوگی۔ اس سے زیادہ اچھے آدمی سیاستداں وہاں پر بادل صاحب تھے۔ کبھی کبھی مرکزی سرکار میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو آپ کے کاغذ پر انگوٹھا لگائیں جو ایجنٹ بنے ہوں گے دلی کے۔ آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو سیاست کی حکومت چلائیں گے۔ وہ لوگوں کی مرضی سے آجائیں اور آزادی سے حکومت۔ آپ کے جو کچھ سائکوفینٹس ہیں وہ چلنے نہیں دیتے ہیں وہ ایسے لوگ چاہتے ہیں جو آپ کے ایجنٹ ہو جائیں اس لیے اس وقت ان پر بڑا خوف تھا جیسا کہ میرے علم میں ہے۔ اس نے سوچا اور پرائم منسٹر کو دھوکا دیا اور انھوں نے برنالا جی کو چن لیا۔ میرے خیال میں برنالا جی ٹھیک آدمی تھے لیکن ان میں وہ دم نہیں تھا جو شاید بادل جی دکھا سکتے تھے۔ لیکن بہر حال وہ زمانہ گیا۔ برنالا جی کی سرکار کو آپ نے ڈس مس کیا۔ آپ کی مشکلات کیا ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ مرکزی سرکار کو بڑی دشواریاں تھیں پنجاب میں۔ اس لیے آپ نے پنجاب میں صدر راج کیا اور بار بار صدر راج کو وہاں ایکس ٹینڈ کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ پنجاب کا مسئلہ اب پھر ایکس ٹینشن سے حل نہیں ہوگا کہ صدر راج کو ایکس ٹینڈ کیا جائے۔

پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی مرکزی سرکار کی دشواریاں ہیں وہ ایسی حکمت عملی بنائے کہ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے۔ آپ کے سامنے ابھی شہاب الدین صاحب بتا رہے تھے۔ ہم کبھی جہاز سے سفر کرتے ہوئے یا ریل سے جاتے ہوئے یا پارلیمنٹ

में या सेन्ट्रल हाल में हजारों सिख लीडरों से मिलते हैं और उन के दिल भी यह तमन्ना है कि यह मुल्क एक रहे और पंजाब की हालत दुरुस्त हो जाए। लेकिन एक बात है कि हम कब तक इन्तजार करेंगे। हमारे डायरेक्टर जनरल हम को बताएंगे पंजाब में या गवर्नर साहब को क्या होना चाहिये। इन दो आदमियों की मर्जी से पंजाब नहीं चलाया जा सकता है। पंजाब की हालत को दुरुस्त किया जाना चाहिये। हम लोगों के नुमाइन्दे हैं। इस ऐवान में फैसला होगा कि पंजाब में क्या होना चाहिये।

इस लिये मेरी दरख्वास्त होगी इस वक्त आप की मजबूरी है और मैं यह मानता हूं कि एक्सटेंशन तो होना चाहिये लेकिन फिर भी जैन साहब ने जो मसला बताया अब नई लोक सभा में क्या होगा।

लेकिन इस वक्त हमारे पास में भी यही है कि पंजाब में आइन्दा सदर राज नहीं होना चाहिये। लोगों को अपनी मर्जी की हकूमत दे दी जानी चाहिये और वह जानेंगे कि कैसे लॉ एंड आर्डर रखा जाए।

एक शख्स की मर्जी से पंजाब नहीं चलाया जाएगा चाहे शंकर रहे हों या सुरजीत हों।]

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म.प. तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

.09 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.09 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टोम्बी सिंह जी, आप बोलें।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं जिसके तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाए जाने का प्रावधान है। पंजाब की कठिनाइयां मात्र पंजाब और पंजाबियों की कठिनाई नहीं है बल्कि सम्पूर्ण देश की कठिनाइयां हैं। पंजाब हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः पंजाब की समस्या मात्र पंजाब तक ही सीमित होकर कभी नहीं रही। क्योंकि यह अन्य राष्ट्रीय मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें पंजाब में स्थिरता की सम्भावनाएं नजर नहीं आ रही है। मैंने माननीय शाहबुद्दीन जी द्वारा सरकार और सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सुना। ये आरोप उन्होंने विपक्ष की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए लगाए थे। मैं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं हूं कि सरकार किसी समस्या के समाधान के लिए इच्छुक नहीं है। यदि सरकार या श्री राजीव गांधी जी इस समस्या के समाधान के लिए इच्छुक नहीं होते तो ऐतिहासिक राजीव-लोंगोवाल समझौता का उद्देश्य क्या था? वास्तव में राजीव-लोंगोवाल समझौता एक ऐतिहासिक कदम था जिसमें काफी खतरा था। यदि समझौता को पूरी तरह लागू करना सम्भव नहीं हो सका, तो इसके लिए अकेले सरकार ही दोषी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में आज असन्तोषजनक स्थिति है जो कि सरकार की देन है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं कि पंजाब में एक शांतिपूर्ण, राजनैतिक और स्थायी समाधान होना चाहिए। अभी तक हम इस समस्या का समाधान ढूंढने में सफल नहीं हो पाए हैं।

अब, हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि विगत में क्या हुआ था, वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। इस चर्चा के दौरान मैं कुछ पहलुओं पर बल देना चाहूंगा।

पंजाब में इस हो-हल्ले, आन्दोलनों और विद्रोह की स्थिति के पश्चात् भी, वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में गड़बड़ उत्पन्न नहीं हुई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सभी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। यदि समस्या मात्र विद्रोह, भूमिगत लोगों की होती तो इसका समाधान बहुत पहले ही हो जाता। कांग्रेस और कुछ अन्य प्रगतिशील राजनैतिक दलों को छोड़कर जो राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उन पर अब संदेह जाहिर करने के हमारे पास तथ्य मौजूद हैं। अकाली जैसे सिख संगठन अभी भी कुछ विद्रोही गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। यदि राजनैतिक नेता भूमिगत कार्यकर्ताओं से अपना संबंध तोड़ लें और धन, हथियार और अन्य चीजें देकर उनका मार्गदर्शन करना बंद कर दें, तो इस समस्या का समाधान सम्भव हो सकेगा।

इसका बार-बार उल्लेख किया गया है कि खालिस्तान समर्थकों के प्रयत्नों के बावजूद तथाकथित आतंकवादी सिख समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने के नाम पर देश के इस भाग में किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे फैलाने में असफल रहे हैं। यह बिल्कुल ही स्वाभाविक है। इसका कारण यह है कि मूल रूप से सिख समुदाय और हिन्दू समुदाय एक ही सूत्र से बंधे हैं। उन्हें अलग

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

नहीं किया जा सकता है। वे आपस में भाई-भाई हैं। वे सिर्फ एक ही धरती के भाई नहीं हैं बल्कि वे अपने धर्म की उत्पत्ति से ही एक सूत्र में बंधे हैं। अत: साम्प्रदायिकता के आधार पर इसका समाधान या सम्प्रदाय के आधार पर इसका विभाजन असम्भव रहा है। यह असम्भव है। अत: जो भी संगठन या आंदोलन इस आधार पर चला है वह निश्चय ही असफल रहा है।

ऐसा कहा गया है कि पुलिस अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। यह ठीक है। परन्तु पंजाब में जो स्थिति है उसे पुलिस के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मैं पुलिस के उन अनेक कार्यों की सराहना करता हूं जिससे उन्होंने विभिन्न स्थिति को नियंत्रित किया है या बदलती हुई स्थिति के अनुसार अपने आपको सामने रखने की कोशिश की है। कुछ जगहों पर हम पुलिस के कार्यों की भी आलोचना करते हैं। लेकिन अनुभव के आधार पर उन्हें यह पता चला है कि वे अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं लेकिन इस समस्या के समाधान में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पंजाब समस्या के समाधान के लिए पुलिस का बहुत महत्व है। इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय, इसके प्रशासन और इसके अन्य विभागों को वहां परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक प्रश्न यह उठाया गया कि सरकार वहां राष्ट्रपति शासन को छः महीने के लिए और बढ़ाकर क्या कर सकती है। निःसंदेह, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। लोगों की हत्याएं अभी तक जारी हैं। प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि लोगों की हत्या में वृद्धि हो रही है या कमी आ रही है। लेकिन हत्याओं की संख्या से यह पता नहीं चल सकता कि स्थिति अच्छी हुई है या खराब। इसका कुछ समाधान ढूंढ़ना चाहिए। तभी हत्याओं को रोका जा सकेगा।

लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब हमारे संबंध अपने पड़ौसी देशों से मित्रतापूर्ण न हो, उदाहरण के लिए पाकिस्तान जिससे पंजाब की सीमा लगती है प्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान में नई सरकार आने से किस हद तक, क्रान्तिकारियों व विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने, उन्हें हथियार, गोली-बारूद और धन देने पर रोक लगाई गई है। मैं सरकार से इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा देने का अनुरोध करूंगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक सीमावर्ती राज्य का रहने वाला हूं। सौभाग्यवश बर्मा सरकार से हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं और साथ ही यह एक ऐसी सरकार है जो हानि नहीं पहुंचाती और सैनिक या अन्य दृष्टि से भी शक्तिशाली नहीं है। इससे हमारे मजबूत पूर्ण संबंध नहीं है। वहां भी, सीमा पर नशीले पदार्थों और अन्य तस्करी की गतिविधियां समस्या उत्पन्न कर रही हैं। मैं जानता हूं कि सीमा-सुरक्षा बल और अन्य अर्द्ध-सैनिक बल जो सीमा पर तैनात हैं वे तस्करी व्यापार पर अच्छी तरह नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा बटालियनों की मांग कर रहे हैं। यह अपने आप में ही, हमारी सामाजिक अर्थ-व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी ओर, नशीले पदार्थों के क्रय-विक्रय के कारण हमारे देश के युवकों को नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तान की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी ही नहीं होती है। निश्चय ही नशीले पदार्थ

बहुत बड़ी मात्रा में इस सीमा से आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हानिकारक तो पाकिस्तान की ओर से पंजाब के आतंकवादियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, विद्रोहियों को प्रशिक्षण संबंधी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा धन और हथियार प्रदान करना है। इसे रोका जाना चाहिए। तभी कुछ हद तक पंजाब समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।

राजीव-लोंगोवाल समझौता के आधार पर हम एक राजनीतिक समाधान की चर्चा कर रहे थे। हम किस हद तक इससे लाभान्वित हुए हैं। यह एक विवाद का विषय है, लेकिन हम कुछ संतुष्टी के साथ और अपने नेता की सराहना करते हुए कह सकते हैं कि एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में, एक बहुत ही साहसिक कदम और जोखिम से भरा कदम उठाकर, राजीव-लोंगोवाल समझौता किया गया। लोंगोवाल जो कि एक स्नेही नेता थे, की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात, इस समस्या के समाधान के लिए अन्य मुद्दों पर भी विचार करना आवश्यक है, जैसे चण्डीगढ़ के संबंध में, हरियाणा और पंजाब के बीच के क्षेत्रों का निर्धारण और पंजाब तथा अन्य पड़ोसी देशों के बीच पानी की समस्या का समाधान इत्यादि। ये कदम उठाए जाने चाहिए।

हम राजीव गांधी, वर्तमान सरकार और कांग्रेस को ही दोषी क्यों ठहराएं? हरियाणा के नेतृत्व अर्थात देवीलाल पर हमें आरोप लगाना चाहिए। वह इस समस्या के संबंध में क्या कर रहे हैं? उन्हें अपनी भूमिका अदा कर पंजाब की नाजुक समस्या के समाधान में सहायता करनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यदि वह राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और राष्ट्र के कल्याण के संबंध में सोचते हैं, तो उन्हें पंजाब के संबंध में अपने योगदान के बारे में सोचना चाहिए।

अभी तक उन्होंने इस संबंध में क्या भूमिका अदा की है? दूसरे समुदाय के लोगों को विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोगों को, विभिन्न वर्गों के लोगों को, अकाली दल के नेताओं को उस वचनबद्धता की भावना से आगे आना चाहिए जिस वचनबद्धता से वे इस समझौते में शामिल हुए थे तथा कुछ व्यवहारिक सुझाव देने चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए न कि केवल वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। इसके विपरीत ऐसा संदेह अभी भी किया जा रहा है कि वे लोग भूमिगत लोगों की सहायता कर रहे हैं। पंजाब में दुःखद स्थिति होने के पश्चात भी, अस्थिरता के कारण उत्पन्न असंतोष की भावना के बावजूद सरकार वहां सभी चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है।

हम सरकार के दृष्टिकोण और इस प्रस्ताव की सराहना करते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जाये। हमें आशा है कि वहां राष्ट्रपति शासन की बढ़ायी गई यह अवधि अंतिम हो। इससे अधिक सुखद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती कि वहां नियमित चुनाव कराए जाएं। उस चुनाव के आधार पर जनता की सरकार बनाई जाए।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र पहले नम्बर का है और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों—बंगलादेश, बर्मा और चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ाई से चौकसी रखी जानी चाहिए जिससे कि भविष्य में स्थिति खराब न हो। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के निकट बर्मा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त सेना तैनात करने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने इनकी मांग की है। भारत सरकार को तत्काल उनकी मांग पूरी करनी चाहिए और

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

सीमाओं पर सुरक्षा को और सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि विवरण सदा इलाज से बेहतर है। इन सीमाओं पर अवांछनीय तत्वों की होशियारी तथा गम्भीरतापूर्वक रोकथाम की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से संबंधित संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

इस सदन में जब-जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन की चर्चाएं हुईं, मैं बराबर इस सदन में देखता चला आ रहा हूं कि पंजाब के मसले पर सभी माननीय सदस्य गम्भीरता से सोचते हैं। एक बार मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी पंजाब का दौरा करूं और वास्तव में देखूं समाचार पत्रों में जितनी बातें आती हैं, वाकई में सरजमीन पर वस्तुस्थिति क्या है। मैंने आनन्दपुर से लेकर नंगल सभी जगहों का दौरा किया और दौरा करने के तत्पश्चात् मुझे यह अहसास हुआ कि पंजाब की सरजमीन पर इस तरह की बातें, जो बाहर के लोगों में व्याप्त हैं, वैसी बातें नहीं हैं। चन्द लोग जो पहले भी अपराध में संलग्न थे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगारी की समस्या के शिकार होकर इस आतंकवाद के बहकावे मे आ चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, इस बात को सारा हिन्दुस्तान जानता है, कहीं-न-कहीं पंजाब में आतंकवाद का प्रश्रय कोई-न-कोई देश उसमें संलग्न है। श्रीमती बेनजीर भुट्टो प्रजातन्त्र द्वारा चुनकर आई, उसके बाद भी पाकिस्तान का रवैया हिन्दुस्तान के साथ रहा, इस बात पर आपको सबसे पहले गौर करना है। हिन्दुस्तान का एक इतिहास रहा है। शाहबुद्दीन साहब ने ठीक कहा है कि प्रजातान्त्रिक तरीके से इसका हल निकालना चाहिए, मैं मानता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संत लोंगोवाल से समझौता किया और उस समझौते में चाहे देवीलाल जी हों, चाहे अन्य लोग, अनेक प्रकार की बाधाएं उसमें उत्पन्न की गई। हम संत लोंगोवाल के साथ हुए समझौते से कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसाकि और सभी लोगों ने कहा और रिबेरो जी ने भी कहा जो कि पंजाब में निदेशक थे कि यह अच्छी बात नहीं है कि जो लोग बेरोजगार हैं और अपने रास्ते से भटक गये हैं उनको आतंकवादियों की तरह से समझा जाए। इसीलिए पंजाब की सरकार ने वहां ओपन पब्लिक मीटिंगें कीं और नियुक्तियों का सिलसिला जारी किया। पंजाब के गवर्नर ने वहां लोगों के साथ मीटिंगें कीं और लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ाया। इससे वहां परिस्थिति कुछ बदली। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल बेकार नौजवान लोगों को रोजगार दे देने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

आज पंजाब में आतंकवाद जिस रूप में है वह सभी लोग जानते हैं। कल ही हमने टी०वी० और रेडियो पर सुना कि सतनाम सिंह नाम का एक आतंकवादी पुलिस के हाथों मारा गया जिस पर कि एक लाख रुपए का इनाम था। पंजाब की पुलिस का निश्चित रूप से यह सराहनीय कार्य है। पंजाब में ऐसी बात नहीं है कि वहां पुलिस किसी पर भी गोलियों की बौछार कर देती है। मैं एक बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की बात सुनते-सुनते आज अवाम तंग आ गया है।

लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि वहां चंद लोगों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण और दूसरे लोगों को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखना न्यायोचित नहीं होगा। जो लोग बैंकों की डकैती करते हैं या दूसरे अपराध करते हैं उनको आतंकवादियों की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। जैसाकि कानून आतंकवादियों के लिए हम अलग से विगत पार्लियामेंट में लाये थे वैसा ही कोई अलग से कानून ऐसे दूसरे अपराधों को करने वालों के लिए भी अलग से बनना चाहिए। आतंकवादियों और दूसरे अपराध करने वालों के लिए अलग-अलग प्रावधान होना चाहिए, दोनों के लिए एक-सा प्रावधान नहीं होना चाहिए।

आज हमें निश्चित रूप से यह बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह की राईफल्स या बन्दूकें आज आतंकवादियों के पास हैं या नक्सलाइटिस के पास है उस तरह की राईफल्स और बन्दूकों का इस्तेमाल दूसरे अपराध करने वाले भी कर रहे हैं।

यह बात भी ठीक कही गयी कि पंजाब में हिन्दू और सिख की भावना नहीं है। अगर वहां यह भावना होती तो पंजाब ने जितनी तरक्की की है वह उतनी तरक्की नहीं कर पाता। आज ही समाचार पत्रों में आया है कि ग्रामों में विद्युतीकरण के मामले में पंजाब सारे देश में प्रथम स्थान पर है। वहां के लोग मेहनती हैं और उन्होंने पंजाब की बहुत तरक्की की है। लेकिन वहां जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहूंगा जो लोग पंजाब में आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं उनको कुचलने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जानी चाहिए। वहां बेकारी दूर करने का पूरा प्रयास भी किया जाना चाहिए। हमारा जो इतिहास रहा है, चाहे पण्डित जी का इतिहास रहा हो, गांधी जी का इतिहास रहा हो वह शांति का इतिहास रहा है। हम सदा से ही शान्ति के पुजारी रहे हैं। हम आज भी शांति के पुजारी हैं और हम सभी समाधान शांति से करना चाहते हैं। पंजाब में भी आतंकवाद की समस्या का समाधान इस तरह से हो सकता है—

प्रेम नहीं कर्त्तव्य मार्ग से नर को कभी डिगाता है।
प्रेम सुधा पीकर मानव शीश दान दे जाता है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि पंजाब में राजनीतिक समाधान के साथ-साथ प्रजातांत्रिक समाधान भी हो। पंजाब में चुनावों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने संत लोंगोवाल जी जैसे महान् व्यक्ति से समझौता किया। लेकिन उसके बाद भी पंजाब में अमन-चैन नहीं आया। लोंगोवाल जी को भी गोलियों से भून दिया गया। हमारे राजीव जी की यह मान्यता है कि वहां जैसा समझौता लोंगोवाल जी के साथ हुआ था उसी रूप में वहां का पूर्ण समाधान हो।

जहां तक सभी दलों की बात है, मैंने देखा है कि अन्य दलों की स्थिति क्या है। आप एक तरफ कहते हैं कि विरोधी पक्ष से प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कोई सुझाव दिया है पंजाब समस्या को लेकर कि यह मंतव्य है जिस पर राजीव जी अमल करके समस्या समाधान करें। आपकी स्थिति भी आज स्पष्ट नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ। इसका पता इसी बात से चल सकता है अगर आप देखें कि पहले कितने लोग पंजाब में मारे जा रहे थे और आज कितने आतंकवादी पंजाब में मारे जा रहे हैं। इस तरह से

[श्री काली प्रसाद पांडेय]

वहां की व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, मैं चाहूंगा कि प्रजातन्त्र को प्राथमिकता देते हुए आने वाले चुनाव में पंजाब में भी लोक सभा और विधान सभा का चुनाव एक साथ कराया जाये।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

विधान सभा चुनाव कराने के लिए सरकार अथवा जनता के पास राज्य में अनुकूल वातावरण तैयार होने तक कोई अन्य विकल्प नहीं है। उग्रवादी रोज अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं। किन्तु साथ ही उच्च श्रेणी के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और ऐसे खतरनाक आतंकवादी जिनको पकड़ने के लिए लाखों रुपयों की इनकम है, स्वयं आत्म-समर्पण कर रहे हैं। जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है कि आतंकवाद एक ऐसी नाजुक स्थिति पर पहुंच गया है और केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों इसको रोकने के लिए अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रही हैं।

हम राज्यपाल महोदय के इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं कि पंजाब में लोक सभा के लिए चुनाव शेष देश के साथ-साथ ही होंगे। हम सच्चे मन से चाहते हैं कि उस राज्य में भी संसदीय चुनाव शांतिपूर्वक पूरे हो जाए ताकि इससे विधान सभा चुनाव कराने के लिए भी रास्ता साफ हो जाए।

कुछ लोग इस प्रकार भी आलोचना कर रहे हैं कि राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। निश्चय ही यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह उससे अधिक और भी कुछ है। इसका एक राजनीतिक समाधान तो ढूंढना ही होगा। इस बात पर विचार करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत आलोचना की जा रही है। मैं समझता हूं कि आलोचना करने वाले बिना सोच-विचार के ऐसा कर रहे हैं। वे केवल आलोचना करने के लिए ऐसा करते हैं। वे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो संकीर्ण राजनीतिक समर्थन का प्रस्ताव करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने में सरकार को सहयोग नहीं देना चाहते हैं। वहां बहुत अशांति है।

महोदय, जैसा आप जानते हैं पंजाब हमारा गौरव, हिन्दुस्तान का गौरव है। पंजाब ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण और वीरतापूर्वक भूमिका निभायी है। बलिदानों के मामले में पंजाब सबसे पहले आता है। यह सर्वोत्तम है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भी चीनी आक्रमण के समय और भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, पंजाब का काम, पंजाब का योगदान व्यापक और प्रशंसनीय रहा है। स्वतन्त्र भारत में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी पंजाब ने महत्वपूर्ण काम किया है। जहां तक हरित क्रांति का संबंध है, पंजाब में वह पूरी तरह सफल रहा है। यह भी ढाढस देने वाली बात है कि इस गड़बड़ी के बावजूद, राष्ट्रपति शासन में, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए समर्थन से पंजाब का आर्थिक विकास प्रभावित नहीं हुआ। हम सभी विस्मित हैं कि इतने रक्तपात के बावजूद, वहां कभी इतनी भयानक स्थिति के बावजूद, पंजाब के आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ माननीय मित्रों ने पहले ही कहा है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंजाब सबसे ऊपर है। कृषि के क्षेत्र

में भी यह प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी, प्रगति संतोषजनक है।

मुझसे पूर्व वक्ता, श्री टोम्बी सिंह ने ठीक ही राजीव—लोंगोवाल समझौते का उल्लेख किया है। इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि चुनाव संभावना की दृष्टि से यह समझौता कांग्रेस और हमारे प्रधानमंत्री, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं एक प्रकार का धक्का होगा फिर भी उन्होंने यह समझौता किया। सामान्य स्थिति बहाल करने, आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने और देश के उस भाग में भी लोकतंत्र को पनपते हुए देखने की चिन्ता में उन्होंने यह ऐतिहासिक राजीव—लोंगोवाल समझौता किया। उन्होंने इसके अक्षरशः कार्यान्वयन का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। किन्तु हम सभी जानते हैं कि इसमें कौन-कौन-सी बाधायें हैं। बहरहाल, जैसा आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का विभाजन और ऐसी अन्य कई बातें हैं जिनका संबोधन केवल पंजाब राज्य से है परन्तु हरियाणा राज्य के साथ भी है। हरियाणा में आज किसका शासन है और वे भारत सरकार को किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं हम सभी इस बात से अवगत हैं। बल्कि, भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का वे विरोध कर रहे हैं। यही समय है कि हम अपनी पूरी शक्ति से आतंकवाद का मुकाबला करें। वहां हो रहे रक्तपात का अन्त करना है। पंजाब के राज्यपाल वहां पर प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। वह बहुत परिश्रम करते हैं। वह वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां की अशांति के बावजूद विकास के क्षेत्र में पंजाब कहीं पीछे न रहे। हमें यह देखते हुए प्रसन्नता होती है कि जब देश के प्रत्येक भाग में साम्प्रदायिकता की लहर चलती है तो पंजाब इससे प्रभावित नहीं होता है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि पंजाब की जनता शान्तिप्रिय है। वे साम्प्रदायिक दंगे नहीं चाहते हैं। वे यथार्थ में साम्प्रदायिक सद्भावना चाहते हैं और यह एक अच्छा लक्षण है और अब इस बात की आवश्यकता है कि हमें सख्ती से आतंकवाद का मुकाबला करना है जिसको विदेशी शक्तियों द्वारा समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है। यह बात सभी जानते हैं कि सीमा पार से भारी मात्रा में शस्त्र उपलब्ध किए जा रहे हैं और एक षड्यंत्र भी चल रहा है। स्वभावतः इस समय यह सच नहीं हो सकता है कि विपक्ष का काम तथा व्यवहार इस समस्या को और भी गम्भीर स्वरूप प्रदान कर रहा है? विशेषकर पिछले कुछ महीनों में उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार उन्होंने संसद का बहिष्कार किया है, अब वे बाहर क्या कह रहे हैं, क्या इससे आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? क्या इससे पंजाब में आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है? क्या विपक्ष इसका खंडन कर सकता है? वे जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उससे केवल देश का राजनीतिक वातावरण दूषित हो रहा है, जिसके लिए हम निश्चय ही विपक्ष पर आरोप लगा सकते हैं और कोई भी समझदार व्यक्ति विपक्ष को दोषी ठहरा सकता है। निस्संदेह ही इन परिस्थितियों में जब चुनाव नहीं हो सकता है तो निकट भविष्य में हमें एक साथ तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करने के लिए संविधान में ही संशोधन कराना पड़ेगा, और निश्चय ही किसी लोकतन्त्र में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में नहीं होगा, और इस मामले में पंजाब ने एक रिकार्ड स्थापित किया है। क्या सरकार इस बात से प्रसन्न है। हमें पूरा विश्वास है कि विवशता की स्थिति में सरकार को ऐसा करना पड़ा। निस्संदेह सरकार अपना काम कर रही है, किन्तु यह ऐसा समय है कि विरोधी दलों के समेत सभी को मिल-जुलकर काम करना चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इससे हमारे उस लोकतन्त्र की

[श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही]

खतरा है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। हमें लोकतन्त्र से प्यार है, हमें भारतीय लोकतन्त्र पर गर्व है और जब इसको खतरा हो और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन जाए, तो सभी राजनीतिक दलों का प्रयास सहयोग करने का ही होना चाहिए। धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने अनेक अवसरों पर पंजाब की स्थिति पर विपक्षी नेताओं से सलाह किया है। किन्तु परिणाम क्या निकला ? विपक्ष ने इसका अर्थ प्रधानमंत्री या सरकार की कमजोरी माना है। अतः विपक्ष को भी अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और इस समस्या की गम्भीरता को समझना चाहिए और इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढ निकालने के लिए सरकार का हाथ बटाना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब में आज हालत बहुत तश्वीशनाक है। मैं समझता हूं तवारीख में न तो कभी इतना जानी और माली नुकसान हुआ है न इस कद्र बर्बरता देखने को आई जो आज हम पंजाब में देख रहे हैं। आज यह सवाल मैं पूछ सकता हूं माननीय मंत्री जी से कि जब से आपने वहां पर गवर्नर का शासन बैठा दिया उसके बाद कितने लोग मरे हैं, कितना माली नुकसान हुआ है यह हमें मुकाबिल करना पड़ेगा बरनाला साहब के साथ, क्योंकि जब बरनाला साहब की सरकार को तोड़ दिया गया उस वक्त हमारी यहां की रूलिंग पार्टी का यह कहना था कि जानी माली नुकसान इस कद्र बढ़ चुका है और आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सका है इसलिए हमें इस सरकार को तोड़ना पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि उसके बाद बरनाला साहब की हुकूमत को मन्हूम करने के बाद हमारे गवर्नर राज में क्या तबाही बढ़ी है या कम हो गई है। जहां तक मैं समझता हूं, जो आदादोशुमार है उससे लगता है कि गवर्नर शासन बैठाने के बाद ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। मैं इस बात पर दुःख का इजहार करूंगा जिस वक्त बरनाला साहब की सरकार को तोड़ दिया गया, दिलचस्प बात यह है कि बरनाला सरकार को कायम करने में कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की और बहुत अच्छा किया क्योंकि यह सवाल नहीं है कि बादल बने या बरनाला बने लेकिन पंजाब में लोकतन्त्र के लिए एक रास्ता निकल आए। उस लोकतन्त्र में बरनाला की हैसियत बनी और बरनाला से जितना मुमकिन हुआ, उसने काम किया परन्तु जिस तरह से बरनाला की सरकार को वहां तोड़ा गया उसको हरियाणा के इलैक्शन्स के साथ जोड़ा जा सकता है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि जब हरियाणा में इलेक्शन्स हो रहे थे, उससे पहले बरनाला के खिलाफ जिस किस्म के चार्जेज लगाए गए, उस किस्म की शिकायत नहीं आयी थीं, लेकिन जब हरियाणा के इलैक्शन एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गये और ऐसा लगा कि कांग्रेस वहां पर इलेक्शन जीतना चाहती है तो उसे कुरबानी की बली बनाया गया। यह हमारी बदकिस्मती की तारीख का एक हिस्सा है क्योंकि पंजाब की तबाही, पंजाब की बरबादी, सिर्फ पंजाब की नहीं है बल्कि पूरे देश की बरबादी और तबाही है। मैं आज जनाबे मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अब तक वहां कितने रिसोर्सेज और कितनी जानी नुकसान हो चुका है, कितने लोग मारे जा चुके हैं, किस कदर तबाही हुई है। जिस रिसोर्स को हम अपने मुल्क की डैवलपमैंट के लिए इस्तेमाल कर

सकते थे, पंजाब के कारण वह बेकार हो गयी और पंजाब आज हमारे लिए वैसा ही सिरदर्द बन गया है जैसे एक वक्त अफगानिस्तान रूस के लिए बना था। जैसे रूस को बाद में वहां से निकलना पड़ा, खुदा-न-ख्वास्ता कल पंजाब में ऐसे सूरतेहाल पैदा न हो जायें कि हमें पंजाब से हाथ धोना पड़े। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पंजाब के मामले में हमने कैसी पौलिसी अख्तयार की। हमने इस सदन में उस वक्त भी कहा था कि औपरेशन ब्ल्यू स्टार से मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल बढ़ जायेंगे और रफ्ता-रफ्ता आपने देखा कि आज हम कहां पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की वजह से आज हमारा कितना नुकसान हो रहा है, न सिर्फ पंजाब जल रहा है, पंजाब के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि वहां हिन्दुओं और सिक्खों के बीच जो सदियों से भाईचारे की भावना बनी आ रही थी, सैल्यूलरिज्म की बुनियाद बड़ी मजबूत थी और जैसा यहां ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि दोनों कम्यूनिटीज में इतने गहरे सम्बन्ध थे जिनको तोड़ना आसान नहीं है लेकिन आज वे संबंध न सिर्फ टूट चुके हैं, उनके बीच भाईचारा खत्म हो चुका है बल्कि वे एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं और एक दूसरे को तबाह कर देना चाहते हैं। इसके साथ-साथ पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की बदनामी हो रही है। मेरे पास कई रिपोर्ट्स अमेरिका और यूरोप से आयी हैं, दुनिया के दूसरे देशों में हिन्दुस्तान की बदनामी हो रही है कि हम पंजाब में इस वक्त ह्यूमन राइटस को तबाह कर रहे हैं। इंसानी हकूक को तबाह करने के बारे में मन्त्री जी को सदन में जवाब देना पड़ेगा कि क्या यह सही है या गलत है। हमारे सामने कई वाकयात ऐसे आए हैं जिसमें हमारे मुल्क की पुलिस की ज्यादती सामने उभर कर आयी है। उससे हिन्दुस्तान की इमेज टारनिश होती है, हिन्दुस्तान का नाम मिट्टी में मिल जाता है। हमें हिन्दुस्तान के कल्चर और अपने इतिहास पर बड़ा गर्व है, फख्र है, हिन्दुस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी डैमोक्रेसी है लेकिन जब यह बात अमेरिका और यूरोप के देशों में फैलती है कि हम पंजाब में कत्ल कर रहे हैं, पुलिस के हाथों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, पंजाब में बेगुनाह लोगों का कत्ले-आम हो रहा है, तो उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। अमेरिका में जो खालिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से हिन्दुस्तान में कुछ पम्फलैटस तकसीम कराये गये थे और मेरी जानकारी के अनुसार वे बहुत हद तक अमेरिकी कांग्रेस को हिन्दुस्तान के खिलाफ समझाने बुझाने में कामयाब रहे हैं। जब ऐसी बातें सारी दुनिया में फैलती हैं तभी तो अमेरिका की कांग्रेस के सिनेटर्स और नौजवान कई मौकों पर खालिस्तान की तहरीक की हिमायत कर चके हैं। हिन्दुस्तान में सिक्खों के साथ ज्यादती की बातें गलत हैं या सही हैं, लेकिन जिस ढंग से अमेरिका में उनका प्रचार हो रहा है, उन्हें पेश किया जा रहा है, उससे हमारी इमेज खतरे में पड़ गयी है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक वाकया ऐसा हुआ जिसमें पंजाब की दो औरतों को, जो बैंक में काम करती थीं, वहां के सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले गए, शायद यह घटना अम्बाला की है और थाने में ले जाकर इंटेरोगेशन के दौरान उनकी जिस तरह मार पिटाई हुई, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे हस्बैंड कहां हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे हस्बैंड तो पुलिस की डर से कई सालों से घरों से गायब हैं, लेकिन थाने में उनकी जो दुर्गत बनायी गयी, जिस तरीके से मारा गया, उसे दूसरे मुल्कों में डिटेल में शाया किया गया और ये बातें सारी दुनिया में फैल गयीं। बाद में उन्हें छोड़ा गया परन्तु अभी तक वे जेरे इलाज हैं, उनकी हालत बहुत ही जिगरखूं है, दोनों हवातीन की बहुत बुरी हालत है। तो ये चीजें एक ही बार नहीं कई बार उठी हैं। बरनाला साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बार उन्होंने क्रॉस सेक्शन आफ

[श्री अब्दुल रसीद काबुली]

पार्लियामेंट मेम्बरान को बुलाया। मैं भी उसमें मौजूद था। उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की थी कि पंजाब के आल इंडिया रेडियो से अनाउंस कराया जाए कि जो नौजवान पुलिस के डर से पाकिस्तान या और कहीं चले गए हैं, उनका हम वैलकम करें, उनको कहें कि हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, आप आइए। तो बरनाला साहब ने यह कहा कि 10 नौजवान सिख पाकिस्तान के बार्डर को क्रॉस करके हिन्दुस्तान आ रहे थे, उससे पहले मैंने रिबैरो साहब से बात की थी, लेकिन जब वे बार्डर क्रॉस कर रहे थे और वे निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, तब उनको गोली का निशाना बना दिया गया। जब यह बात रिबैरो साहब से कही, तो उन्होंने कहा कि जो वहां के बी० एस० एफ० के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि यह काम आपका नहीं है, यह तो मेरा काम है। क्या यह रिपोर्ट हमने कभी की। बरनाला जैसे जिम्मेदार, वजीरे आला, वहां के मुख्य मंत्री को यह शिकायत करनी पड़ी। उन दस आदमियों को जब श्मशान घाट ले जाया गया तो उसमें हजारों नौजवान मुतास्सिर हुए। तो मैं यह चाहूंगा कि यह बात हल-तलब है कि कैसे इस मसले को हल करें।

डिप्टी स्पीकर साहब मैं यह बताना चाहता हूं कि आज पंजाब में यह जो पुलिस है, इसने जो हालत वहां की बना दी है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस को डैमोक्रेसी में, लोकतन्त्र में ज्यादा पॉवर्स मिलती हैं, तो उसके बदतरीन और बहुत बुरे नतायज सामने आ जाते हैं और वे नतायज पूरी डेमोक्रेसी को भुगतने पड़ते हैं। मैं इस सिलसिले में चाहूंगा कि पंजाब में लोगों की तरफ से जो भी शिकायतें आ रही हैं, क्या भारत सरकार ने इनकी तरफ तवज्जुह दी है? जो इस मामले में तहरीक है, जो इस मामले में लोगों की दुर्दशा हुई है, जो शिकायत है, जो आप तक पहुंची है, उसकी तरफ गौर फरमाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में, मैं आपकी परमीशन से एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब की हालत को ठीक करने के लिए पंजाबियत को मद्दे-नजर रखें। पंजाबियत एक ऐसा कल्चर है जिसमें हिन्दू भी हैं, सिख भी हैं और उसमें मुसलमान भी हैं। यह उनकी रीजनल एस्पीरेशन है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने आनन्दपुर साहब प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए पुलिस शासन, आर्म्ड फोर्सेस आदि ये मसले का हल नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि पंजाब के लिए पोलिटिकल सल्यूशन चाहिए और इसके बगैर कोई चारा नहीं है। छः छः महीने हम इसको बढ़ाएं, इससे मसला हल नहीं होगा। इससे तो और जहर हमारी रगों में फैलेगा। पंजाब हमारा सिपाही है, पंजाब का किसान हिन्दुस्तान के लिए अनाज उगा रहा है। पंजाब का सिपाही हमारी सरहदों पर, हमारी हिफाजत करता है और पंजाब की हिफाजत करने के लिए हमें मोहब्बत से और प्रेम तथा शफकत के माहौल में डिस्कशन करना पड़ेगा, डॉयलॉग करना पड़ेगा और यह दिलों में प्यार के जरिये से दूर हो सकती है, नफरत से वे दूर नहीं हो सकती है। पुलिस शासन बढ़ाकर और गवर्नर रूल को बढ़ाकर ये मामलात और बिगड़ रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो, आप शांति से रास्ता निकाल लीजिए। वहां का जो पंजाबियत का कल्चर है, उसी के जरिए वहां के मसले का रास्ता तलाश कीजिएगा।

عبدالرشید کابلی (سری نگر) ۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پنجاب میں آج حالت بہت تشویشناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں تواریخ میں نہ تو کبھی اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے نہ اس قدر بربریت دیکھنے میں آئی جو آج ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ سوال میں پوچھ سکتا ہوں ۔ محترم وزیر صاحب سے کہ جب سے آپ نے وہاں پر گورنر کا شاسن بٹھا دیا ہے اس کے بعد کتنے لوگ مرے ہیں؟ کتنا مالی نقصان ہوا ہے؟ یہ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ برنالا صاحب کے ساتھ کیونکہ جب برنالا صاحب کی سرکار کو توڑ دیا گیا اس وقت ہماری یہاں کی رولنگ پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ جانی مالی نقصان اس قدر بڑھ چکا ہے اور آتنک واد پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اس لیے ہمیں اس سرکار کو توڑنا پڑا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد برنالا صاحب کی حکومت کو محروم کرنے کے بعد ہمارے گورنر راج میں کیا تباہی بڑھی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں جو اعداد و شمار ہیں اس سے لگتا ہے کہ گورنر شاسن بیٹھنے کے بعد زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ میں اس بات پر دکھ کا اظہار کروں گا جس وقت برنالا صاحب کی سرکار کو توڑ دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ برنالا سرکار کو قائم کرنے میں کانگریس نے بڑی کوشش کی اور بہت اچھا کیا کیوں کہ یہ سوال نہیں ہے کہ بادل بنے یا برنالا بنے لیکن پنجاب میں لوک تنتر کے لیے ایک راستہ نکل آئے۔ اس لوک تنتر میں برنالا کی حیثیت بنس اور برنالا سے جتنا ممکن اس نے کام کیا لیکن جس طرح سے برنالا کی سرکار کو وہاں توڑا گیا۔ اس کو ہریانہ کے الیکشنس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔

مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہریانہ میں الیکشنس ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے برنالا کے خلاف جس قسم کے چارج لگائے گئے اس قسم کی شکایت نہیں آتی تھی لیکن جب ہریانہ کے الیکشن ایک نازک موڑ پہ پہنچ گئے اور ایسا لگا کہ کانگریس وہاں پر الیکشن جیتنا چاہتی ہے تو اسے قربانی کی بلی بنایا گیا۔ وہ ہماری بدقسمتی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کیوں کہ پنجاب کی تباہی پنجاب کی بربادی صرف پنجاب کی نہیں ہے بلکہ پورے دیش کی بربادی اور تباہی ہے۔ میں آج جناب منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک وہاں کتنے ریسورسز اور کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں کس قدر تباہی ہوئی ہے۔ جس ریسورسز کو ہم اپنے ملک کی کی ڈیولپمینٹ کے لیے استعمال کر سکتے تھے پنجاب کے کارن وہ بے کار ہو گئی اور پنجاب آج ہمارے لیے ویسا ہی سر درد بن گیا ہے جیسے ایک وقت افغانستان روس کے لیے بنا تھا۔ جیسے روس کو بعد میں وہاں سے نکلنا پڑا خدا نہ خواستہ کل پنجاب میں ایسے صورت حال پیدا نہ ہو جائیں کہ ہمیں پنجاب سے ہاتھ دھونا پڑے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے معاملے میں ہم نے کیسی پالیسی اختیار کی۔ ہم نے اس سدن میں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپریشن بلیو اسٹار سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسائل بڑھ جائیں گے اور رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی وجہ سے آج ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے نہ صرف پنجاب جل رہا ہے پنجاب کے لوگ مارے جا رہے ہیں بلکہ وہاں ہندوؤں اور سکھوں کے بیچ جو صدیوں سے بھائی چارے کی بھاونا بنی آ رہی تھی سیکولرزم کی بنیاد بڑی مضبوط تھی اور جیسا یہاں آنریبل اسپیکر صاحب نے کہا کہ دونوں

کمیونیٹیز میں لتنے گہرے سمبندھ تھے جن کو توڑنا آسان نہیں ہے لیکن آج وہ سمبندھ نہ صرف ٹوٹ چکے ہیں ان کے بیچ بھائی چارا ختم ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں ۔

اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے ۔ میرے پاس کئی رپورٹیں امریکہ اور یورپ سے آئی ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں میں ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے کہ ہم پنجاب میں اس وقت ہیومین رائٹس کو تباہ کر رہے ہیں ۔ انسانی حقوق کو تباہ کرنے کے بارے میں منتری جی کو سدن میں جواب دینا پڑے گا کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے ۔ ہمارے سامنے کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس میں ہمارے ملک کی پولیس کی زیادتی سامنے ابھر کر آئی ہے ۔ اس سے ہندوستان کی امیج ٹارنش ہوتی ہے ۔ ہندوستان کا نام مٹی میں مل جاتا ہے ۔ ہمیں ہندوستان کے کلچر اور اپنے اتہاس پر بڑا گورو ہے بڑا فخر ہے ۔ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے لیکن جب یہ بات امریکہ اور یورپ کے دیشوں میں پھیلتی ہے کہ ہم پنجاب میں قتل کر رہے ہیں پولس کے ہاتھوں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں پنجاب میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ۔ امریکہ میں جو خالصتان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں ان کی طرف سے ہندوستان میں کچھ پمفلیٹس تقسیم کرائے گئے تھے اور میری جانکاری کے مطابق وہ بہت حد تک امریکی کانگریس کو ہندوستان کے خلاف سمجھانے بجھانے میں کامیاب رہے ہیں ۔ جب ایسی باتیں ساری دنیا میں پھیلتی ہیں تبھی تو امریکہ کی کانگریس کے سینیٹرس اور نوجوان کئی موقعوں پر خالصتان کی تحریک کی حمایت کر چکے ہیں ۔ ہندوستان میں

سکھوں کے ساتھ زیادتی کی باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں لیکن جس ڈھنگ سے امریکہ میں ان کا پرچار ہو رہا ہے انھیں پیش کیا جا رہا ہے اس سے ہماری امیج خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں ایک واقعہ ایسا ہوا جس میں پنجاب کی دو عورتوں کو جو بینک میں کام کرتی تھیں وہاں کے سپرنٹنڈینٹ آف پولیس نے پکڑ لیا اور تھانے لے گئے شاید یہ گھٹنا امبالا کی ہے اور تھانے میں لے جا کر انوسیٹیگیشن کے دوران ان کی جس طرح مارپیٹائی ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہسبینڈ کہاں ہیں تو انھوں نے بتایا کہ ہمارے ہسبینڈ تو پولیس کی ڈر سے کئی سالوں سے گھروں سے غائب ہیں لیکن تھانے میں ان کی جو درگت بنائی گئی جس طریقے سے مارا گیا اسے دوسرے ملکوں میں ڈیٹیل میں شائع کیا گیا اور یہ باتیں ساری دنیا میں پھیل گئیں۔ بعد میں جب ان کو چھوڑا گیا۔ لیکن ابھی تک وہ زیر علاج ہیں ان کی حالت بہت ہی جگر خون ہے۔ دونوں خواتین کی بہت بری حالت ہے۔ تو یہ چیزیں ایک ہی بار نہیں کئی بار اٹھی ہیں۔ برنالا صاحب کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بار انھوں نے کراس سیکشن آف پارلیمنٹ ممبران کو بلایا۔ میں بھی اس میں موجود تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ پنجاب کے آل انڈیا ریڈیو سے اناونس کرایا جائے کہ جو نوجوان پولیس کے ڈر سے پاکستان یا اور کہیں چلے گئے ہیں ان کا ہم دیں کم کریں ان کو کہیں کہ ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار رہیں آپ آیئے۔ تو برنالا صاحب نے یہ کہا کہ دس نوجوان سکھ پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے ہندوستان آ رہے تھے

اور وہ بھوکے تھے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے تب ان کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ جب یہ بات ریبرو صاحب سے کہیں تو انھوں نے کہا کہ جو وہاں کے بی ایس ایف کے انچارج ہیں انھوں نے کہا کہ کام آپ کا نہیں ہے یہ تو میرا کام ہے۔

کیا یہ رپورٹ ہم نے کبھی کی ہے۔ برنالا جیسے ذمہ دار وزیر اعلیٰ وہاں کے مکھیہ منتری کو یہ شکایت کرنی پڑی۔ ان دس آدمیوں کو جب شمشان گھاٹ لے جایا گیا تو اس سے ہزاروں نوجوان متاثر ہوئے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بات حل طلب ہے کہ کیسے اس مسئلے کو حل کریں۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب میں یہ جو پولیس ہے اس نے جو حالت وہاں کی بنا دی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ پولیس کو ڈیموکریسی میں لوگ تنتر میں زیادہ پاور ملتی ہیں تو اس کے بدترین اور بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں اور وہ نتائج پوری ڈیموکریسی کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ پنجاب میں لوگوں کی طرف سے جو بھی شکایتیں آرہی ہیں کیا بھارت سرکار نے ان کی طرف توجہ دی ہے جو اس معاملے میں تحریک ہے جو اس معاملے میں لوگوں کی درد شا ہوئی ہے جو شکایت ہے جو آپ تک پہنچی ہے اس کی طرف غور فرمائیں۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب آخر میں میں آپ کی پرمیشن سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے پنجابیت کو

کو مد نظر رکھیں۔ پنجابیت ایک ایسا کلچر ہے جس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور اس میں مسلمان بھی ہیں۔ یہ ان کی ریجنل اسپیریشن ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آنند پور صاحب پرستاو ریجیکٹ کر دیا لیکن اس کو آگے لے جانے کے لیے پولیس شاسن آرمڈ فورسز وغیرہ سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لیے پالیٹیکل سولیوشن چاہیے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ چھ چھ مہینے ہم اس کو بڑھائیں سال سال کر کے ہم اس کو بڑھائیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہو گا۔ اس سے تو اور زہر ہماری رگوں میں پھیلے گا۔ پنجاب ہمارا سپاہی ہے پنجاب کا کسان ہندوستان کے لیے اناج اگا رہا ہے۔ پنجاب کا سپاہی ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتا ہے اور پنجاب کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں محبت سے اور پریم سے تتھا شفقت کے ماحول میں ڈسکشن کرنا پڑے گا ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور یہ دلوں میں پیار کے ذریعہ سے دور ہو سکتی ہے نفرت سے یہ دور نہیں ہو سکتی ہے۔ پورا پولیس شاسن بڑھا کر اور گورنر رول کو بڑھا کر یہ معاملات اور بگڑ رہے ہیں۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو آپ شانتی سے راستہ نکال لیجیے۔ وہاں کا جو پنجاب کا جو کلچر ہے اس کے ذریعے وہاں کے مسئلے کا راستہ تلاش کیجیے گا۔]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में प्रेसीडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए जो रिजोल्यूशन लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हम तो कांग्रेस वाले हैं। हमारा तो सदा यही नारा है कि

पंजाब हो या गौहाटी अपना देश अपनी नीति
जितनी भाषा उतने प्रदेश फिर भी हिन्दुस्तानी एक।

यह कांग्रेस की संस्कृति है, यह कांग्रेस की राजनीतिक ध्येय है। इसलिए काबुली साहब ने जो कहा, वह कहने की और इनके द्वारा ये सुझाव देने की जरूरत नहीं है। वह तो भारत की नीति है और यह कांग्रेस का धर्म है। आज पंजाब में, यह तो सब मानेंगे कि प्रेसीडेंट रूल होने के बाद जो स्थिति पहले थी, उस स्थिति में काफी सुधार आया है। पंजाब के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लीजिए, सब ठीक है। पंजाब में हिंसा की घटनाएं, तो घटती हैं, लेकिन इस सबके बावजूद पंजाब में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है। पंजाब में प्रेसीडेंट रूल होने से पहले स्थिति बहुत खतरनाक थी। वहां से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ठीक आ रही है और हमारी सरकार उन टैररिस्ट्स को पकड़ने में कामयाब हो रही है और टेररिस्ट्स की कांस्पिरेसी को तोड़ने में कामयाब हो रही है। यह पंजाब के सुधार में सही दिशा है। आज आप देखते होंगे कि जो हार्ड-कोर टैररिस्ट्स थे, उसमें से ज्यादा को पुलिस ने पकड़ लिया है या वे मारे गए हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि बुलेट पर बुलेट हों और हिंसा की भावना हम नहीं चाहते हैं। डैमोक्रेसी को रैस्टोर करने के लिए, वहां नार्मलेसी लाने के लिए, यह जानते हुए भी कि पंजाब में चुनाव नहीं हो सकते, हमारी पार्टी की स्थिति क्या होगी, फिर भी जनतन्त्र का वातावरण पैदा करने के लिए पंजाब के चुनाव हमने किए। उसके बाद जो सरकार बनी, उसकी केन्द्रीय सरकार ने हर तरह से सहायता की लेकिन सरकार किस ढंग से चलनी चाहिए, लोगों को और देश को जो उमीद थीं वह पूरी नहीं हुईं, इसलिए उस सरकार को जाना पड़ा।

आज पंजाब में राजीव-लोंगोवाल जो एकार्ड है, उसे इम्पलीमैंट करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है लेकिन यह एकार्ड तब तक इम्पलीमैंट नहीं हो सकता जब तक पंजाब और हरियाणा की सरकारें इसमें पूरा सहयोग न करें। आप जानते हैं कि कितनी प्रैक्टिकल हिंडरेन्स आ रही है इसको इम्पलीमैंट करने के लिए लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार और राजीव गांधी वचनबद्ध हैं और यह एकार्ड इम्पलीमैंट होकर ही रहेगा।

जो वहां पर ब्लैक थंडर हुआ, मेरा यह सौभाग्य था कि 5, 7 रोज पहले मैं अमृतसर गया था, वहां मुझे स्वर्ण मन्दिर में जाने का अवसर मिला था। वहां 4, 5, 6 साल से लोगों के मन में भय था, वह गुरुद्वारे के अन्दर जा नहीं सकते थे लेकिन आज वह स्थिति वहां पर नहीं है। आज लोग भक्तिपूर्ण भाव से खुले दिल से वहां जा रहे हैं। इसलिए पंजाब की ला-एंड-आर्डर सिचुएशन में काफी सुधार आया है, लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और आज पंजाब में हिन्दू-सिख साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं है। वहां पर हिन्दू सिख और मुसलमान एकता बहुत जोरों से है। इस स्थिति को देखते हुए और अभी जो पंजाब में सिचुएशन है, उसको मजबूत करने के लिए और जो टैररिस्ट्स हैं, उनके खिलाफ जो आज लड़ाई चल रही है उसे कामयाब करने के लिए पंजाब में जो स्ट्रैटेजी लाई गई है, कि बार्डर स्टेट में आकर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा न करे जिससे बार्डर एरिया में टैंशन रहे, उसके

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

खिलाफ काफी काम किया गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए और डैमोक्रेसी लाने के लिए अभी कुछ महीने के लिए वहां पर प्रैजीडैंट रूल को एक्स्टैंड करना जरूरी है। उसके साथ मेरा यह सुझाव है कि जब पार्लियामैंट के चुनाव हों तो उस समय पंजाब में विधान सभा के भी चुनाव कराये जायें। उसके साथ-साथ हिन्दुस्तान की जनता में, पोलिटिकल पार्टी में, हर गवर्नमेंट में मोरल होना चाहिए और यह रिस्पौंसेब्लिटी है कि लोगों में एवेयरनेस क्रीएट हो और टैरेरिस्ट्स के खिलाफ फाइट करने के लिए लोगों में शक्ति पैदा करें जिन भाई-बहिनों पर कुछ अत्याचार हुए हैं, उनके मन में यह भावना पैदा करें कि हिन्दुस्तान की जनता और सरकार उनके साथ है और पंजाब के युवक जो बेरोजगारी में तड़प रहे हैं, उनको रोजगार मिले। इस तरह से हमको इन प्राब्लम्स को हल करना है। इसके साथ ही जो एक्सटेंशन के लिए रैज्यूलूशन लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो रैज्यूलेशन होम मिनिस्टर साहब ने मूव किया है पंजाब में प्रैजीडैंट रूल एक्स्टैंड करने के लिए, मैं उसकी ताईद करता हूं।

पंजाब में जब इलैक्शन हुए, मैं भी वहां गया था, इलैक्शन बड़े अच्छे ढंग से हुए। काफी अच्छे माहौल में, आपसी भाई-चारे में जब बरनाला सरकार वहां बनी उस वक्त काफी उम्मीद थी कि पंजाब की सिचुएशन में सुधार होगा और आपसी भाई-चारे में लोग रहेंगे। लेकिन हालात दिन-ब-दिन बदतर होते गए और हालात इस ढंग से बने कि बरनाला सरकार उन लोगों की जान-माल की रक्षा नहीं कर सकी। अभी हमारे दोस्त मौतरम साथी काबुली साहब कर रहे थे कि शायद बरनाला साहब को इसलिए गिराया गया कि कांग्रेस हरियाणा में इलैक्शन जीतना चाहती थी।

3.00 म० प०

पंजाब की सरकार का हरियाणा के इलेक्शन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही आपस में इसको जोड़ा जा सकता है। हरियाणा में अपने किस्म का माहौल था और पंजाब में और किस्म का माहौल था। पंजाब के लोग इतने तंग आ गए थे कि वह उसके लिए कुछ भी करने को उतारू हो गये थे। बरनाला सरकार में कुछ मंत्री ऐसे थे कि जो टैरारिस्टों को पनाह देते थे जिससे बहुत गड़बड़ी पैदा हो गई थी। स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि बरनाला सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और वहां प्रेजीडैंट रूल लागू करना पड़ा। प्रेजीडैंट रूल में हालात काफी सुधरे और पंजाब के बहादुर किसानों ने काफी अन्न पैदा किया।

3.01 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

शाहबुद्दीन साहब अभी कह रहे थे कि ग्रामीण विकास की तरफ कोई तवज्जह सरकार ने नहीं दी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है जिससे उनकी हालत सुधरी है। इससे पंजाब के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है। इतना ही नहीं वहां के नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रेल का कारखाना वहां लगाया गया और वहां के किसानों को बोनस दिया गया। इसके अलावा और बहुत से कनसैशन दिए गए और अनेकों नये प्रोजेक्ट लगाए गए। इस पर गवर्नमेंट ने काफी खर्चा भी किया। इससे लोगों की

हालत सुधरी है। इन सबसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हालात में काफी सुधार हुआ है लेकिन फिर भी अभी हालात ऐसे नहीं हैं जिससे यह कहा जा सके कि वहां इलेक्शन कराए जाएं। अभी भी पाकिस्तान से बहुत से हथियार स्मगल होकर आ रहे हैं। पाकिस्तान शरारत करने से बाज नहीं आ रहा है। वह टैरारिस्टों को ट्रेनिंग देकर पंजाब में भेज रहा है। कई जगहों में अभी भी गड़बड़ी हो रही है। कहीं बैंक लूटे जा रहे हैं और कहीं लोगों को मारा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी पूरी तरह से हालात सुधर नहीं पाए हैं।

मेरा रोज पंजाब से वास्ता पड़ता है। वह मेरा एक पड़ोसी स्टेट है। वहां एंटी सोशल एलीमेंट्स काफी ऐक्टिव है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार को पूरी तरह से हालात का जायजा लेना चाहिए। वैसे तो काफी समय तक के लिए प्रेजीडेंट रूल नहीं रखा जा सकता है लेकिन फिर भी जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक वहां इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहियें। अगर इस वक्त वहां इलेक्शन कराए जाते हैं तो वहां काफी खतरनाक हालात पैदा होंगे क्योंकि अभी भी बहुत से टैरारिस्टों के ग्रुप वहां सक्रिय हैं।

पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी आने वाले हैं। इसलिए तब तक कोई सौल्यूशन निकाल कर अगर उस समय कोई इलेक्शन करवाना चाहें तो करा लें। अभी जरूरत इस बात की है कि वहां प्रेजीडेंट रूल की अवधि बढ़ायी जाए। वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ने लगी है और आपसी भाईचारा बढ रहा है। इसलिए मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि प्रेजीडेंट रूल और 6 महीने के लिए एक्सटेंड करना चाहिए और हालात को मद्देनजर रखा जाए। जैसे ही हालात पूरी तरह से सुधरें तब वहां इलेक्शन कराए जायें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो पंजाब में 6 महीने और प्रेसीडैण्ट रूल बढ़ाने के लिए स्टेचुटरी रैजोलूशन लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अभी कहा है कि आज पंजाब में जिस प्रकार की हालत है उसमें अगर इलेक्शन कराए जायें, चाहे वह असेम्बली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, वह मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां जिस तरीके का टैरेरिस्ट मूवमेंट या टैरेरिस्ट एक्टीविटीज चल रही हैं, जिस की वजह से एक अशान्ति फैली हुई है, उस अशान्ति को जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता तब तक इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से व्यवस्थित सम्पन्न नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछले वर्षों के अन्दर जब से प्रेसीडैण्ट रूल वहां पर चल रहा है, जब से बरनाला सरकार गई है, बरनाला सरकार के बाद जब से प्रेसीडैण्ट रूल आया है, गवर्नर साहब ने मजबूती के साथ वहां व्यवस्थायें ठीक करने की कोशिश की है। पुलिस ने भी काफी मजबूती के साथ इन टैरेरिस्ट्स को समाप्त करने की कोशिश की है मगर यह एक ऐसा जज्बा है, जिसे जितना खत्म करो उतना ही बढ़ता जाता है। उसके बढ़ने के पीछे कई देशों के हाथ भी हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान से लोग ट्रैण्ड होकर आ रहे हैं, उनको अमेरिका से पैसा आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, इंग्लैण्ड से आ रहा है, अन्य स्थानों से आ रहा है और टैरेरिस्ट्स को काफी पैसा मिल रहा है। इसके साथ-साथ स्मगलिंग का धन्धा भी चलता है, चाहे वह हशीश हो या अन्य प्रकार के नारकोटिक्स हों, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के द्वारा पंजाब में नारकोटिक्स आ रहा है जिसके जरिए से इन टैरेरिस्ट्स को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और उस पैसे की वजह से टैरेरिस्ट

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

एक्टीविटिज को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है इसलिए हमारी सरकार को ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, चाहे बोर्डर को सील करके या अन्य प्रकार की व्यवस्थायें लागू करके। जब तक स्मगलिंग समाप्त नहीं होती तब तक टैरेरिस्ट्स मूवमेंट को बराबर मदद मिलती रहेगी और उसकी वजह से बराबर इनको ताकत मिलेगी और वह टैरेरिस्ट्स एक्टीविटीज को संचालित कर सकेंगे इसलिए सबसे पहली आवश्यकता स्मगलिंग एक्टीविटीज को समाप्त करने की है। पंजाब में टैरेरिस्ट्स एक्टीविटीज आज इसी की वजह से हो रही हैं। आज पंजाब की सीमा पर बाड़ बगैरह लगाकर बोर्डर को बन्द करने की कोशिश की है तो राजस्थान स्टेट के अन्दर आकर लोग स्मगलिंग एक्टीविटीज को बड़े पैमाने पर चला रहे हैं, हथियार भी उधर से ला रहे हैं, हथियार भी राजस्थान के बोर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से जब तक आप इस पूरे एरिया को, जो पाकिस्तान से लगता है, चाहे वह पंजाब से लगता हो, चाहे कश्मीर से लगता हो, चाहे राजस्थान से लगता हो, चाहे गुजरात से लगता हो, सारे बोर्डर को जब तक आप पूरी तरह से सील नहीं करेंगे, पूरी पाबन्दी नहीं लगाएंगे, पूरी फोर्सेज वहां पर नजर नहीं रखेंगी तब तक यह व्यवस्थायें ठीक प्रकार से नहीं बैठ पायेंगी इसलिए इनको रोकने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी जिस से यह एक्टीविटीज समाप्त हो और आर्म्स का आना-जाना भी बन्द हो और लोग बाग ट्रैण्ड होकर पंजाब, गुजरात और राजस्थान में जो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जब तक उनको नहीं रोका जायेगा, तब तक व्यवस्थायें ठीक प्रकार से नहीं बैठ पायेंगी। अभी हमारे कश्मीर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बरनाला सरकार के आने के बाद व्यवस्थायें सुधरी थीं और उसके बाद भी कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव की वजह से बरनाला सरकार को समाप्त कर दिया और उसकी वजह से और हालात खराब हो गये। उनका यह कहना असत्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बरनाला सरकार इन टरेरिस्ट्स को, जो खालिस्तानी एक्टीविटीज चलाना चाहते थे, उनको रोक नहीं सकी, उनको कण्ट्रोल नहीं कर सकी और उसके साथ-साथ इनकी मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए थे, वह लोग भी उनकी अन्दरूनी तौर पर मदद कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी एक्टीविटीज को बराबर मदद मिल रही थी और इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी जिससे व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं बैठ पा रही थी इसलिए मेरा कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर असर डालने के लिए नहीं बल्कि उनकी जो एक्टीविटीज थीं, जिसकी वजह से पंजाब पर असर पड़ रहा था, उनको समाप्त करने के लिए पंजाब की सरकार एक तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकती थी, उस सरकार को समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की। कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टैप लिया है वह बिल्कुल राइट टाइम पर राइट स्टैप लिया है। अगर बरनाला सरकार कुछ दिन और बैठी रहती तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए उनका काम काफी ठीक था। उस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आज और भी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब को हमारे से अलग करने के लिए केवल पंजाब में ही कार्यवाही नहीं हो रही है, बल्कि विदेशों में भी कोशिश हो रही है। पुराने जमाने में जो हमारे सिक्ख लोग वहां गए थे, जो कि पैसे वाले हो गए हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, वे एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए पूरे तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं और हर प्रकार से इन लोगों की मदद कर रहे हैं। वहां की सरकार और हमारी सरकार का एक

संबंध हैं और हम पोलिटिकली एक दूसरे की मदद करने की बात करते हैं, तो निश्चित तरीके से ऐसे लोग जो विदेशों में रह कर हमारे देश को खंडित करना चाहते हैं, हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, हमारे इस प्रान्त को हम से अलग करना चाहते हैं, उन देशों की सरकारों के ऊपर हमारी सरकार को दबाव डालना चाहिए कि हमारे देश को खंडित करने के लिए वहां पर हमारे देश से गए हुए जो लोग रह रहे हैं, वे लोग जिस प्रकार की एक्टिविटी चला रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। सरकार द्वारा यह व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए और जब तक यह व्यवस्था नहीं होती है, तब वे इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हैं। इस लिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से देखने की आवश्यकता है।

दूसरे जितने भी डवेलपमेंट के कामकाज हैं, ये डवेलपमेंट के काम बार्डर में किए गए हैं। रेल का कारखाना लगाया गया है और अन्य प्रकार से किसानों की मदद की गई है। किसानों की तरक्की के लिए जितना काम राजीव गांधी जी की सरकार ने किया है पंजाब के अन्दर, मेरा ख्याल है कि पहले वहां चाहे कोई भी सरकार रही हो, रूस जमाने में उतना काम नहीं किया है। प्रोडेक्शन के हिसाब से भी आप देख सकते है। ऐसी स्थिति होने के बाद भी वहां का प्रोडक्शन आज पंजाब में लगातार बढ़ती जा रही है। इस विकास की बजह से आप कह सकते हैं कि सारा डवेलपमेंट हुआ है, सारा विकास हुआ है। आप यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं पंजाब हमारा बैकबोन हैं। अगर पंजाब हमारे साथ नहीं रहता है, तो निश्चित तरीके से हमारा देश कमजोर बन जाएगा। हमारे यहां जितने खाने-पीने के साधन है, चाहे गेहूं हो या चावल हो, वह प्रान्त पैदा करता है और खिलाता है। सारा देश उसकी शक्ति से चलता है। उसको जो बढ़ावा दिया गया है, उसका जो विकास किया है, वह इसी वजह से किया है कि देश की बढ़ोतरी में वह काम आए तथा हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाने में योगदान करें। हमारे देश को तमाम खाने-पीने के साधन उपलब्ध कराए। इसीलिए तो वहां पर पानी की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था की है, खाद और बीज की व्यवस्था की है, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, और हिन्दुस्तान के लोगों को ठीक प्रकार से खाना-पीना उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार से व्यवस्था करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि यह प्रान्त हमारे देश की बैकबोन है। उसका विकास हमारे देश का विकास है और अगर इस प्रान्त को अलग कर दिया जाता है तो हिन्दुस्तान कमजोर देश बन जाएगा। इसलिए जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी ताकत के साथ कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे उनकी जितनी टैरेरिस्ट एक्टिविटीज हैं या जो टैरेरिस्ट ग्रुप वहां बने हुए हैं, वे सब समाप्त हो जायें और हिन्दुस्तान एक अखंड देश बन सके और शक्तिशाली देश बन सके और हिन्दुस्तान के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान करता रहे। इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव मंत्री महोदय द्वारा किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, सदन के सामने जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें यह मानना चाहिए कि पंजाब की समस्या आसानी से सुलझने वाली समस्या नहीं है क्योंकि यह एक आतंकवाद है तथा सामान्य क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है।

आतंकवाद जब पूरी दुनिया में फैला था, उस वक्त भी आतंकवाद दुनिया में नहीं आया था,

[श्री शान्ताराम नायक]

क्योंकि भारत की जनता ने आतंकवाद को पनाह नहीं दी थी, जबकि बहुत सारे देशों में आतंकवाद फैला था। लेकिन हमारे देश में ऐसा एक पॉकेट बना, जहां पर आतंकवाद को मौका मिला आने का और वह आ गया। जहां-जहां आतंकवाद फैला हुआ होता है, हमने इतिहास में देखा है और पाया है कि आतंकवाद बहुत देर तक और सालों तक रहता है। कभी-कभी तो वह निकलने का नाम नहीं लेता। इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कुछ न कुछ रूप में तो वह चलेगा।

पंजाब में आतंकवाद से जो लोग जुड़े हुए हैं वे पंजाब के लोग नहीं हैं। वे प्रायः बाहर से आते हैं, उनका प्रशिक्षण बाहर होता है, उन्हें पैसा बाहर से आता है। वहा से वे फिर नेबरिंग स्टेट में चले जाते हैं। पंजाब के लोग ही आतंकवाद में इनवाल्व नहीं हैं, हालांकि उनमें कुछ पंजाब के हैं।

रात को मैंने एक टी०वी० सीरियल में देखा कि एक टेबिल पर एक हिन्दू और एक सिख बैठा है। जब हिन्दू से प्रश्न पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी मातृभाषा पंजाबी है और राष्ट्रभाषा हिन्दी है। बाद में उससे पूछा गया कि पंजाब किसका है तो उसने बताया पंजाब पंजाबी का है। इस पर सिख ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं यह कहने की पंजाब पंजाबियों का नहीं है, पंजाब सारे देश का है। यह बात सिख ने कही। इस सबको देखते हुए कौन यह कहेगा कि सिख अपने को देशभक्त नहीं समझ रहा है या कौन ऐसा है जो कि उनको देशभक्त नहीं समझेगा। आज जो पंजाब में आतंकवाद है उसमें पंजाबियों का हाथ बहुत कम है।

इसके अलावा अगर पंजाब में सामान्य किसान, खेतिहर मजदूर या सामान्य नागरिक इसमें शामिल होता तो वह आतंकवाद में ही लगा रहता, पंजाब की तरक्की नहीं करता। पजाब में जो उत्पादन बढ़ा है वह बढ़ नहीं पाता। इसलिए एवरेज पंजाबियों को पंजाब में आतंकवाद में शामिल नहीं मानना चाहिए। आम पंजाबी आतंकवाद में इनवाल्व नहीं है।

पंजाब में बहुत सारे कत्ल हो रहे हैं, यह बात सही है। लेकिन फिर भी यह बात माननी चाहिए कि पंजाब में आतंकवादियों की जो राजनीतिक शक्ति थी, पहले जो पोलिटिकल पावर थी आज वह उनमें नहीं है। आतंकवादी आज वहां एक आरडिनरी क्रिमिनल का जीवन जीता है। वह क्राईम करता है और भाग जाता है। उसमें आज कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है।

लेकिन फिर भी मैं एक बात सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। अगर पंजाब में आतंकवाद का थोड़ा-बहुत सिलसिला चलता रहा तो हमें इस सदन में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बजाए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने एक सुझाव दिया था कुछ दिनों पहले जिस पर होम मिनिस्टर को गौर करना चाहिए। पंजाब को कुछ वर्षों तक केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में रखना चाहिए। ऐसा करने से वहां जल्दी ही चुनाव कराने का सवाल भी नहीं रहेगा। पंजाब को स्टेट्स की लिस्ट से हटाकर अगर केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का भी सवाल नहीं रहेगा। हमारे यहां दादरा, नागर हवेली, अण्डमान, निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकोय आयलैंड केन्द्र शासित प्रदेश हैं। वहां विधान सभा नहीं हैं। फिर हमारे लिए कोई कानूनी मजबूरी भी नहीं रहेगी कि वहां के लिए कोई कानून पास करने के लिए बिल लाने की आवश्यकता पड़े। इसलिए कुछ काल तक जब तक कि पंजाब में शान्ति व्यवस्था कायम न हो जाए, उसको केन्द्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए और अगले 6 महिने के पहले ही बना देना चाहिए।

सरकार का इरादा था, मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कहा था, लेकिन सरकार का इरादा पंजाब में पंचायत स्तर पर चुनाव कराने का था। अगर वहां पर पंचायत के चुनाव होते तो उससे पता चलता कि वहां की जनता चुनाव के लिए कहां तक तैयार है, उस बैरोमीटर से पता चलता कि वहां चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वह जो प्रस्ताव सरकार का था पंचायत स्तर पर चुनाव कराने का, वह क्यों नहीं पूरा किया गया। खैर चुनाव नहीं कराए गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे असेंबली इलेक्शंस और लोक सभा इलेक्शंस में सरकार का क्या असेसमेंट है, सरकार का क्या प्रिलमिनरी असेसमेंट है कि वहां पर चुनाव होंगे या नहीं हो सकेंगे, सरकार के पास क्या रिपोर्ट है, इन बातों की जानकारी मैं मंत्री जी के जवाब में चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने और बढ़ाने के लिए संकल्प का समर्थन किया है। मुझे प्रसन्नता है कि पंजाब में वास्तविक राजनीति को माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है। वास्तविक राजनीति यह है कि पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां हम चुनाव करा सकें और मैं अब आपको बताऊंगा ऐसा 'क्यों' है।

श्री शाहबुद्दीन, श्री काबूली और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यहां कतिपय प्रश्न उठाये थे। ये प्रश्न पहले भी उठाए जा चुके हैं और हमने इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया था। उदाहरण के लिए पंजाब समझौते के प्रश्न को लीजिए। समझौते में ग्यारह मदें हैं जिनमें आठ को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया है। शेष तीन मदें हैं, पहला चण्डीगढ़ के बदले में क्षेत्र का अन्तरण दूसरा, नदी जल का बंटवारा, तीसरा अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम को लागू किए जाने के संबंध में राज्यों में सर्व सम्पत्ति नहीं है लेकिन हम इस देश के विभिन्न राज्यों से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं जहां काफी संख्या में गुरुद्वारे हैं। तथापि, मेरे विचार से यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका प्रभाव सिख समाज पर पड़े जैसा श्री शाहबुद्दीन ने कहा है।

वास्तव में अन्य दो मुद्दे सुलझाने योग्य हैं लेकिन मुझे खेद है कि हम इन्हें सुलझाने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि एक ओर अकाली दल छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है और दूसरी ओर हरियाणा में अड़ियल सरकार है। यह अप्रतिरोध्य बल और अटल गुट के बीच में विशिष्ट संघर्ष है। न तो कोई कारण बतायेंगे, और न ही कोई वार्ता के लिए तैयार होगा। कोई भी समाधान के लिए आगे नहीं आयेगा और बरनाला सरकार जब सत्तारूढ़ थी तो इन दो मदों के बारे में कुछ नहीं किया गया। इसलिए मेरे विचार से पंजाब में आतंकवाद का कारण पंजाब समझौते में इन दो मदों को पूरा करने में असफल रहना नहीं है। पंजाब में आतंकवाद का यह कारण नहीं है। इसके विपरीत, हमने कई बार कहा है कि आतंकवादियों के लिए पंजाब समझौते का महत्व नहीं है। आतंकवादियों का पंजाब समझौते में विश्वास नहीं है और पंजाब समझौते के क्रियान्वयन से इन आतंकवादियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मुझे आंकड़े देने के लिए फिर से कहा गया है। मैंने पहले भी आंकड़े दिए थे और मुझे यह सब बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि इसमें कार्यकरण का संबंध है। पंजाब समस्या, आतकवाद की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। किसी भी व्यक्ति को इसके

[श्री पी० चिदम्बरम]

वास्तविक कारणों को जानने के लिए गहराई में जाना चाहिए। अगर आप आंकड़े जानना चाहते हो तो मैं आपको आंकड़े बता दूंगा। 1981, 1982 और 1983 में कुछ लोग मारे गए थे। जैसा मैंने पहले कई बार बताया है, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति बच जाता है तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, आतंकवादी हिंसा में जब लोग मारे जाते हैं तो हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं। 1984 में 359 निर्दोष लोग मारे गये थे। 1985 में हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद मुख्य राजनीतिक परिवर्तन हुए जिसके कारण पंजाब समझौता हुआ। राजनीतिक शक्ति अकाली दल को दे दी गई थी। किसी ने उसका श्रेय कांग्रेस सरकार को नहीं दिया और उसी का मुझे दुःख है। निष्पक्ष और लोकतान्त्रिक चुनावों में राजनीतिक शक्ति अकालियों को दे दी गई थी। पंजाब में 1985 में केवल 63 लोग मारे गये थे और यह कोई खुशी की बात नहीं है। 63 व्यक्ति मारे जाने का अभिप्राय है 63 बार हमारा सिर शर्म से झुका। लेकिन केवल 63 व्यक्ति मारे गये थे। उस अच्छाई को किसने छीना ? इस सरकार को किसने गिराया ? अकाली दल में किसने फूट डाली ? आतंकवाद पर कौन नियंत्रण नहीं कर सका। आतंकवादियों द्वारा स्वर्ण मंदिर को लेने की तुष्टीकरण नीति किसने शुरू की ? यह बरनाला ने किया उसका परिणाम क्या हुआ था ? 1985 में बरती गई लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि 1986 में मरने वालों की संख्या 520 और 1987 में मरने वालों की संख्या 910 हो गई थी। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ करते हो और कल आतंकवाद फैल जाएगा।

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सरकार बनाते हैं आप किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, आप किस प्रकार के उपाय करते हैं जिसके फलस्वरूप छः महीने बाद या एक वर्ष बाद इसके अच्छे या बुरे परिणाम सामने आएंगे। आंकड़ों में वृद्धि हो रही है क्योंकि बरनाला सरकार आतंकवाद को समाप्त करने में पूरी तरह से असफल रही पुलिस का मनोबल गिर गया है, सरकार में फूट थी, मंत्रिमंडल में फूट थी, दल में भी फूट थी इसलिए बरनाला सरकार को बरखास्त किया गया था। 1988 का वर्ष आतंकवाद का सबसे बुरा वर्ष रहा था। हमें पंजाब में पुलिस को और नागरिक प्रशासन को नये सिरे से गठित करना पड़ा था। 1988 में 1,949 व्यक्ति मारे गए थे।

1988 के प्रथम नौ महीनों में, जनवरी से सितम्बर तक 1614 व्यक्ति मारे गए थे। पिछले वर्ष हमने आपरेशन ब्लैक थंडर के फलस्वरूप स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराया था। इस वर्ष भी हमने उसी प्रकार की कार्यवाही की है। वास्तव में हमने दो कार्यवाहियां की हैं। इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ क्योंकि हम उनका प्रचार नहीं करना चाहते थे। लेकिन पंजाब पर प्रभाव डालने के अर्थ में मेरे विचार से ये दो कार्यवाहियां भी ब्लैक थंडर आपरेशन की तरह महत्वपूर्ण होंगी। पहली कार्यवाही मांड क्षेत्र में की गई। अब मांड क्षेत्र आतंकवादियों से मुक्त है और हम वहां पुलिस की व्यवस्था करने में समर्थ हो गए हैं पहले मांड क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था नहीं थी। पिछले दो महीनों में ध्यानपूर्वक कार्यवाही करने से हम मांड क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था करने में सफल रहे हैं और मांड क्षेत्र में आतंकवादी खुले में नहीं घूमते। दूसरी कार्यवाही तरन तारन जिले में की जिससे काफी संख्या में आतंकवादियों से छुटकारा पाया गया। हमने कुछ विशेष बल रखे और एक महीने की लम्बी कार्यवाही से हमने तरन तारन जिले में मुख्य गिरोह से मुक्ति पा ली है। अब उसके

परिणाम देखिए। फिर भी मैं कहूंगा किसी निर्दोष व्यक्ति के मारे जाने पर मुझे जरा भी प्रसन्नता नहीं होती। जैसा मैंने कहा था 1988 के प्रथम नौ महीनों में 1614 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इस वर्ष की अनुवर्ती अवधि में 846 लोग मारे गए थे। यह लगभग आधा है। यह अच्छी बात नहीं है। इसमें मुझे प्रसन्नता नहीं है। हर बार जब मैं पंजाब जाता हूं, हर बार जब मैं जिला की पुलिस से बात करता हूं, हर बार जब मैं प्रभावित परिवारों से बात करता हूं, तब मुझे बहुत दुःख होता है। इसमें कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। लेकिन आज कम से कम राष्ट्रपति शासन ने इस समस्या से निपटने की क्षमता दिखाई है। पूरे 1988 में 373 आतंकवादी मारे गए थे। 1989 में अभी तक 581 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 1988 के पहले नौ महीनों में 86 पुलिस कर्मी मारे गए थे। 1989 के प्रथम नौ महीनों में 93 पुलिस कर्मी मारे गए थे। इसमें संदेह नहीं है कि पंजाब में आने वाले आतंकवादियों की संख्या में और आतंकवाद में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन आतंकवाद से लड़ने के लिए पुलिस की क्षमता में और प्रशासन के दृढ़ संकल्प में भी वृद्धि हुई है। इसलिए जब हम आतंकवाद को देखते हैं तो हमें केवल एकतरफा दृष्टिकोण से आतंकवाद को नहीं देखना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा यह कहना ठीक नहीं है आतंकवाद इन कारणों से था या उन कारणों से बढ़ रहा है। आज पंजाब की स्थिति गम्भीर है। मेरे विचार से इसके तीन कारण हैं। प्रथम, सीमा पार से आतंकवादी गुप्त रूप से व प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करते हैं। जब तक हम इस जटिल समस्या को हल नहीं कर लेते जिसके लिए हमें राजनयिक कौशल, नीति पहल, ध्यानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, तब तक हम आतंकवादियों से जिन्हें सीमा पार से प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, से निपटने में समर्थ नहीं होंगे। पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने का कार्य केवल पुलिस के लिए संभव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है हम पाकिस्तान सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। सिर्फ चन्द दिन पहले ही इंटीरियर सेक्रेट्री किसी सिलसिले में यहां आए हुए थे और हमने उन्हें याद दिलाया कि हमारे गृह सचिव और उनके बीच मई, 1989 में जो बात-चीत शुरू हुई थी उसे जारी करने और आगे कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

मई, 1989 में हुई बात-चीत के अनुसार हम कुछ कदम उठा रहे हैं। हमने उन्हें कानून की पकड़ से बच जाने वालों की एक सूची दी है और उन्होंने उठाए गए कुछ कदमों के संबंध में हमें आश्वासन दिया है। लेकिन इस स्थिति के संबंध में मेरा अवलोकन यह है कि शायद पाकिस्तान की सरकार ने कुछ कदम उठाया हो लेकिन वास्तविक स्थिति में बहुत फर्क नहीं है।

पंजाब से संबंधित दूसरी समस्या यह है कि वहां खालिस्तान में विश्वास रखने वाले कट्टर-पंथी लोग भी अच्छी संख्या में हैं और जो खालिस्तान के नारों को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। श्री जसबीर सिंह रोडे का ही उदाहरण लीजिए। हाल ही में दिए गए एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा कानूनन धर्म को राजनीति से अलग किया जाना और इस तरह सिख पंथ को समाप्त करना सिर्फ एक चुनावी इश्तहारबाजी है तथा उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग करने के बजाए सिक्ख अपने को देश से ही अलग करना बेहतर समझेंगे।

20 सितम्बर, 1989 को मनजीत सिंह ग्रुप के ऑल इंडिया सिक्ख स्टूडेण्ट्स फेडेरेशन द्वारा आयोजित सभा के बारे में सदस्यों को जानकारी है। मनजीत सिंह ने व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकार से समझौता किए जाने के विरुद्ध चेतावनी दी है। उन्होंने बंदी बनाए गए

[श्री पी० चिदम्बरम]

"नेताओं" को रिहा किए जाने का समर्थन किया है और इनमें जिंदा, जिस पर जनरल वैद्य की हत्या का मुकदमा चल रहा है, अतिन्दरपाल सिंह, जिस पर दिल्ली के मामले को लेकर दिल्ली में मुकदमा चल रहा है, शामिल हैं। भिंडरवाले की इस घोषणा में, कि खालिस्तान की बुनियाद उसी दिन रखी गई थी जिस दिन स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण हुआ था, विश्वास प्रकट करते हुए सभा में संकल्प पारित किए गए और बारम्बार यह दोहराया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आल इंडिया सिख स्टूडेंटस फैडरेशन हर संभव प्रयास करेगी।

एन०एस०सी०एन०, पी०एल०ए०, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और टी०एन०वी० जैसे संगठनों के "स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष" के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए अन्य प्रस्ताव पारित किए गए थे।

जब तक खालिस्तान में विश्वास करने वाले लोग रहेंगे और जब तक वे खालिस्तान के नाम पर हत्या, लूट, आगजनी, अपहरण करने का कार्य करते रहेंगे तब तक हमें यह लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आतंकवादियों को यह बात जाननी चाहिए। भारत कभी भी खालिस्तान का अथवा पंजाब में एक अलग राज्य बनाने की अनुमति नहीं देगा। वे अपने इस लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और इस समस्या के समाधान का उपाय हम तभी कर सकते हैं जब वे अपने इस उद्देश्य को त्याग दें। इसके लिए हम अपनी लड़ाई कभी बंद नहीं करेंगे।

पंजाब में आतंकवाद जारी रहने का तीसरा कारण है अकाली दल का विभाजन। यह एक राजनीतिक सत्य है कि अकाली दल, जैसाकि यह अपने मूल स्वरूप में था, पंजाब में भारी राजनीतिक मत का प्रतिनिधित्व करता रहा है। फिर कांग्रेस भी पंजाब में भारी राजनीतिक मत का प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्रम में पंजाब में सी०पी०आई० और सी०पी०आई०एम० राजनीतिक दल हैं। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि अकाली दल, जैसाकि यह अपने मूल स्वरूप में था, पंजाब में भारी राजनीतिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। यह दल पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। यहां इतने अधिक दल बन गए हैं कि इन्हें याद रख पाना भी मुश्किल है। इतने अधिक नेता हो गए हैं और वे एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा इतनी शीघ्र बदलते हैं कि किसी भी एक राजनीतिक नेतृत्व अथवा राजनीतिक मत का पालन करना मुश्किल है। जब तक अकाली दल इसी प्रकार विभाजित रहेगा और आतंकवाद के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाना नहीं चाहेगा तब तक चुनाव सम्पन्न करना और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना बहुत ही कठिन है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम एक मिली-जुली सरकार बना सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : एक समय था जब कांग्रेस और अकाली दल की मिली-जुली सरकार थी। मिली-जुली सरकार की स्थापना हो सकती है बशर्ते कि यह एक संगठित राजनीतिक दल हो और एक राजनीतिक दल की भांति कार्य करे, खतरों और चुनौतियों का सामना करे।

श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि एक भी महत्वपूर्ण सिक्ख नेता ने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया है लेकिन इसी प्रकार उनके दल के किसी भी प्रसिद्ध सिक्ख नेता ने आतंकवाद की भर्त्सना नहीं की है। वे अलग-अलग तर्क देते हैं। महोदय, मैं अकालियों से उनके आपसी मतभेद समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे एकजुट हों और अपने राजनीतिक विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करें और फिर उस दिन होगा हम विश्वास से यह कह सकेंगे कि अब

लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापना का समय आ गया है। जब हमने उन्हें अपनी उस-समिति से बात-चीत करने का आमंत्रण दिया तो अकाली दल ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। यहां उपस्थित माननीय सदस्यों ने हमें उनसे बात-चीत करने के लिए कहा है। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अकालियों में से हमारे साथ कौन बात करने के लिए तैयार है? जब तक दूसरा पक्ष बात करने के लिए तैयार न हो हम बातचीत नहीं कर सकते। हमें लोगों के साथ बात करनी होगी। हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम उनसे बात करने चण्डीगढ़ गए लेकिन वे हमारे साथ बात करने के लिए नहीं आए।

श्री काबुली जी ने कहा है कि सभी प्रकार की रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं और सभी प्रकार की बातें विदेशों में कही गई हैं। वस्तुतः मुझे खेद है कि उन्होंने कतिपय ऐसी बातें कहीं हैं। जिन्हें मैंने और कहीं नहीं सुना है। मैंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हिन्दू और सिख पंजाब में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वह आखिरी बार पंजाब कब गये थे?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने 'सब' नहीं कहा। मैंने कहा है कि अधिकतर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : जो कुछ आपने कहा है मैंने नोट कर लिया है। आपने कहा है कि वे एक दूसरे का विनाश चाहते थे। आप आखिरी बार पंजाब कब गए? आज यदि कोई ऐसा स्थान है जहां इतनी अशान्ति में भी साम्प्रदायिक सौहार्द बना हुआ है तो वह पंजाब है। हिन्दुओं और सिखों के बीच पूर्ण रूप से सौहार्द की भावना है। मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। जो कुछ आज हो रहा है क्या उसमें कोई डर वाली बात है। पंजाब के बहुत से हिस्सों में डर फैला हुआ है और इसलिए सामाजिक आदान-प्रदान बहुत सीमित है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हिन्दू और सिख एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि हिन्दू और सिख एक दूसरे का विनाश करना चाहते हैं इसके विपरीत हाल ही की रिपोर्ट देखिए। हाल ही में मुख्य पत्रिकाओं और मुख्य समाचार पत्रों ने यह रिपोर्ट छापी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने दस दिन पूर्व यह रिपोर्ट छापी थी। पंजाब का एक दूसरा रूप है। पंजाब सक्रिय है, फल फूल रहा है, कार्य हो रहे हैं उत्पादन हो रहा है जहां खुशियां मनाई जा रही हैं जब भी किसी गांव या शहर में कोई हत्या होती है तो इन सब बातों को आघात पहुंचता है और उदासी छा जाती है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन पंजाब फल-फूल रहा है और विकास हो रहा है और यह सब राष्ट्रपति शासन के कारण सम्भव हुआ है।

महोदय, इस वर्ष हमने आतंकवाद के फलस्वरूप हुई हिंसा को रोकने का प्रयास किया है। मैं यह दावा नहीं करता कि बहुत सफलता मिली है। हमने हिंसा की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने का प्रयास किया है। वर्ष 1989 में एक महीने मे 85 और 106 के बीच हत्याएं हुई हैं। पिछले वर्ष एक महीने में लगभग 250 हत्याएं हुई थीं। लेकिन यह सन्तोष की बात नहीं है। इससे पता चलता है कि खतरा बढ़ने के बावजूद, आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, खतरनाक हथियारों के बावजूद पंजाब में पुलिस की इन सबसे निपटने की क्षमता है। यहां वहां लोग पथभ्रष्ट हुए हैं। लेकिन जैसी पंजाब में स्थिति है जहां पुलिस और आतंकवादी में दिन रात, महीने वार, वर्षवार लगातार लड़ाई हो रही है, थोड़े से मामले हैं जहां लोग पथभ्रष्ट हुए हैं। हमने उन पथभ्रष्टों को

[श्री पी० चिदम्बरम]

अनदेखा नहीं किया है, हमने कार्यवाही की है। हम इन पथभ्रष्टों के शिकार लोगों को मुआवजा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में पुलिस ही आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है, अपनी जान पर खेल रही है। देश की एकता और अखण्डता बचाने के लिए इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में 93 लोगों की जानें गई। अतः हमें बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। जहां कहीं लोग पथभ्रष्ट हुए हैं, हम कार्यवाही करेंगे। वास्तव में, मेरे पास रिपोर्ट है जिन पुलिस अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है या कार्यवाही लम्बित पड़ी है। हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन हमें पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ने वाले पुलिस कर्मियों की सराहना करनी चाहिए।

संसद के चुनावों के बाद पंजाब में स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। जैसा कि आज हम देखते हैं; अनुमान लगाते हैं हमें विश्वास है हम पंजाब में भी देश के बाकी भागों की तरह लोक सभा चुनाव करा सकते हैं। यह अनुमान लगातार प्रयासों के आधार पर किया गया है।

जहां तक विधान सभा के चुनावों का सम्बन्ध है, हमारे विचार स्पष्ट हैं। हम अपना विकल्प स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। संसद की अपेक्षा विधान सभा के चुनाव कराना कठिन है और माननीय सदस्यों को इसके कारण स्पष्ट हैं अर्थात् इसमें बहुत से उम्मीदवार होते हैं और बहुत से प्रबन्ध करने पड़ते हैं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विधान सभा चुनावों के लिए लोकसभा चुनावों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भारत सरकार के विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट है लेकिन जैसा कि हमारा विश्वास है यह सम्भव है कि पंजाब में लोक सभा के चुनाव देश के शेष भागों में लोक सभा के चुनावों के साथ ही कराये जाएं और पंजाब की जनता को अपने विचार रखने का अवसर मिले और मुझे विश्वास है कि इससे पंजाब में राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। जिस तरह 1985 के चुनावों के बाद कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही पंजाब में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। मेरे विचार से पंजाब में लोक सभा चुनावों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। मैं केवल सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील कर सकता हूं .....

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हम पंजाब में पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। 1984 के पीड़ित लोगों का क्या हुआ ? अभी तक बहुत से लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया है। यह उनकी तरफ से शिकायत रही है। सिखों को हमेशा यह शिकायत रही है कि 1984 में जो लोग शारीरिक रूप से तथा मानसिक पीड़ा के शिकार हुए हैं उनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए हैं उन लोगों को अभी तक दण्ड नहीं दिया गया है।

जम्मू में हुए दंगों में 1988 में बहुत से लोग मारे गए थे। आपको मालूम है कि जम्मू में छः लोग मारे गए थे। भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने इस बारे में पहले कई बार उत्तर दिया है। जहां तक पंजाब की जनता का सम्बन्ध है पंजाब सरकार ने—श्री बरनाला के समय और बाद में—उन सभी लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं जो पंजाब में किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित हुए हैं। मेरा सभी राजनीतिक दलों, हर वर्ग के लोगों से यह अनुरोध है कि वे स्थिति की गम्भीरता को समझें और सरकार को समर्थन दें।

मैं माननीय सदस्यों के साथ आशा करता हूं कि पंजाब तथा देश के अन्य किसी भी भाग में आगामी लोक सभा चुनावों से पंजाब की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आयेगा और सम्भवतः उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से पंजाब में लोकतांत्रिक सरकार लाना सम्भव हो पायेगा।

महोदय, मैं इस संकल्प पर इस सभा का समर्थन चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1989 से छह मास की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.48 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सैन्ट किट्स में बैंक खाते रखे जाने के बारे में वक्तव्य

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फेलीरो) : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर वक्तव्य देने के लिए इस सदन की अनुमति चाहूंगा।

यह स्मरणीय है कि 22 अगस्त, 1989 को कुछ राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सुपुत्र श्री अजेय सिंह द्वारा सैन्ट किट्स, एक करेबियन द्वीप, में बैंक खाता रखे जाने की रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं। इन समाचार-पत्रों में इस बात का उल्लेख किया गया था कि फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन लिमिटेड, सैन्ट किट्स में रखे गए एक खाते में 210 लाख अमरीकी डालर की राशि जमा की गई थी। समाचार-पत्रों की रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया था कि खाता श्री अजेय सिंह के नाम से है और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके लाभभोगी हैं। 11 सितम्बर, 1989 को श्री विश्वनाथप्रताप सिंह के सुपुत्र श्री अजेयसिंह भारत आए और 13 सितम्बर, 1989 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें यह नकारा गया था कि उनका फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन अथवा सैन्ट किट्स में किसी अन्य बैंक में कभी कोई खाता था। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि वह कभी सैन्ट किट्स गए। श्री अजेय सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि वह भारत इसलिए आए हैं कि वे किसी पूछताछ अथवा जांच-पड़ताल के लिए सरकार को उपलब्ध हो सकें।

चूंकि लेन-देन के कुछ पहलू विदेशी मुद्रा विनिमियन अधिनियम के उपबंधों को आकर्षित कर सकते हैं इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने 13.9.1989 को श्री अजेय सिंह को फेरा 1973 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत निदेश जारी किया था जिसका 18 सितम्बर, 1989 को श्री अजेय द्वारा जवाब दिया गया था। चूंकि 13 सितम्बर, 1989 के निदेश के प्रत्युत्तर में श्री अजेय सिंह द्वारा दी गई सूचना अधूरी थी इसलिए निदेशालय ने अजेय सिंह को 28 सितम्बर, 1989 को एक और निदेश जारी किया। दूसरे निदेश का उत्तर भी प्रवर्तन निदेशालय को 9 अक्टूबर 1989 को प्राप्त हो गया है। तथापि, उत्तर अभी भी पूरा नहीं है और कतिपय ब्यौरे देने का आश्वासन दिया गया है।

इसी बीच, फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन, सैंट किट्स में बैंक खाता रखे जाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच-पड़ताल की है। प्रारम्भिक छानबीन से पता चलता है कि कारपोरेशन के विशेष

[श्री एदुआर्दो फेलीरो]

निवेश कार्यक्रम के संबंध में, सितम्बर, 1986 में एक व्यक्ति ने फर्स्ट ट्रस्ट कारपोरेशन के एक अधिकारी श्री मैक्लीन से सम्पर्क स्थापित किया था। उक्त व्यक्ति ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि जमा करवाने के उद्देश्य से एक संख्यांकित खाता खोलने के आशय का संकेत दिया था। सभी ब्यौरों का निर्धारण किए जाने के पश्चात्, उस व्यक्ति ने, खाता खोलने हेतु आवश्यक फार्म आदि ले लिए थे। दो सप्ताह के पश्चात् वही व्यक्ति फिर आया और उसने कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक, श्री मैक्लीन के माध्यम से पूरी तरह से भरे हुए फार्मों को प्रस्तुत किया जिन पर "खाता-धारक" के रूप में श्री अजेय सिंह द्वारा तथा "लाभग्राही" के रूप में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। श्री अजेय सिंह और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पासपोर्टों की फोटोस्टेट प्रतियां भी श्री मैक्लीन को दी गई थी। 16 सितम्बर, 1986 को, 20 लाख अमरीकी डालर की जमा राशि के साथ संख्यांकित खाता 29479 खोल दिया गया। विभिन्न तारीखों में छः बार की गई जमा राशियों द्वारा कुल मिलाकर 210 लाख अमरीकी डालर जमा करवाये गए। इसका विवरण निम्नलिखित है :

16.9.1986	20 लाख डालर
10.10.1986	20 लाख डालर
13.12.1986	50 लाख डालर
18.1.1987	30 लाख डालर
24.2.1987	50 लाख डालर
26.3.1987	40 लाख डालर

पता चला है कि कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत, इस प्रकार का खाता संबंधित व्यक्ति के एजेंट द्वारा खोला जा सकता है। निदेशालय को अब तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

3.50 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

सभापति महोदय : अब हम देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। श्री एन० सी० चतुर्वेदी।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, हम जिस चर्चा में कल से लगे हुए हैं, वह देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का बंटवारा हो जाने के बाद यह कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज 40-42 वर्ष के भीतर हमको उसी स्थिति से फिर से गुजरना पड़ रहा है। पिछले वर्षों में अनेक जगह पर साम्प्रदायिक दंगे हुए, पूरे देश में। जहां-जहां साम्प्रदायिकता की लहर बहा करती थी वहां पर भी साम्प्रदायिकता का बोलबाला दिखाई पड़ने लगा है। इसके पीछे वे कौन से कारण हैं, इस पर हमें पहले पहल विचार करना चाहिए। कल हमने कई भाषण सुने तो हमारे कई

मित्रों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे इस बात का पता चलता है कि सदन में भी जब सांप्रदायिक कटुता का वातावरण और ऐसी अनर्गल भाषा का प्रयोग होता है जिसके लिए हमारे गृह मंत्री को भी कल यह कहना पड़ा कि इस प्रकार की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो तथ्य के बिल्कुल विपरीत है और सर्वथा गलत है। अक्सर बोलते हुए अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम एक हिन्दुस्तान में रहना जैसे भूलते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उसके पीछे कौन सा कारण था ? मुस्लिम लीग जिसने किसी भी कीमत पर हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय रहनुमाओं की किसी भी बात को मानने से इंकार किया और अपनी साम्प्रदायिकता के बल पर और अंग्रेजी साम्राज्य की कुचालों पर इस देश का बंटवारा करा लिया। हमने उस दुर्दशा को देखा है और हम यह कह सकते हैं कि उसके बाद साम्प्रदायिकता के आधार पर देश के बंट जाने के बाद भी इस हिन्दुस्तान के नेतृत्व की क्या विशेषता थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे महान नेता इस देश में उस समय साम्प्रदायिकता के आधार पर नारे देते, उन सारी बातों के होते हुए भी आज कत्लेआम, इस तरह के बड़े ही अनर्गल शब्द बड़े हल्के-फुल्के ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि 1947 की घटना समझ में आती है, लेकिन आज जब कोई यह बात कहता है, तो बड़ा दुःख होता है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद इस हिन्दुस्तान के रहनुमाओं ने कहां उस चीज को मंजूर किया, जिसका बंटवारा कराने वालों ने देश का बंटवारा कराने के बाद, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की अपील को, राष्ट्रनायक जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्ति की अपील को ठुकरा कर देश के टुकड़े करा लिए, लेकिन उसके बाद भी जब हिन्दुस्तान ने अपने राष्ट्र की चेतना, अपने राष्ट्र की संकल्पना करने का प्रयत्न किया और राष्ट्र के संविधान में अपने राष्ट्र की रूपरेखा अंकित की, तो उसने उस देश को कैसा बनाना चाहा। आज जो कांग्रेस है, तब भी कांग्रेस का नेतृत्व था और कांग्रेस नेताओं ने इतनी भयंकर घटना घटने के बाद भी अपने देश को सैक्युलर रखने का प्रयत्न किया, अपने देश के संविधान में अपने हिन्दुस्तान को सैक्युलर बनाए रखने का संकल्प किया। क्यों ? इसलिए किया कि हिन्दुस्तान की जो राजनीतिक नेतृत्व पार्टी थी, जो पूरे हिन्दुस्तान का नेतृत्व करती रही थी, उसने लगातार यह बात कही कि वह सांप्रदायिकता को, क्षेत्रीयता को, जातीयता को और देश को बांटने वाली किसी भी ताकत को स्वीकार नहीं करती और उसने जब संविधान का निर्माण हुआ तो अपने उस संकल्प को दोहराया। उन संकल्पों को दोहराने के बाद हमारे देश का स्वरूप स्पष्ट हो गया। जो भी इस देश के निवासी हैं, हिन्दू हो चाहे मुसलमान, सिक्ख हों चाहे ईसाई, पारसी हों चाहे बौद्ध और कोई भी क्यों न हों, जो भी हिन्दुस्तान का नागरिक है, वे समान अधिकार रखने वाले देश के भाई-भाई जैसे ढंग से यहां पर रहेंगे। यह सकल्प कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय किया गया था। कल मैं सुन रहा था, श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ साहब ने कहा—एडवानी और बाजपेयी जी की मिलकीयत नहीं है हिन्दुस्तान, जिसकी वे फिक्र करें। मैं उनसे सहमत हूं कि हिन्दुस्तान में भाजपा, हिन्दुस्तान में जनसंघ, हिन्दुस्तान में विश्व हिन्दू परिषद की मिलकीयत नहीं है और न कभी मानी जाएगी। लेकिन मैं उसी तरह से कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान की मिलकीयत आवेसी साहब, सेठ साहब और बनातवाला साहब की भी नहीं है। इस देश में मिलकीयत है, महात्मा गांधी की और जवाहर लाल नेहरू की राष्ट्रीयता की। उस राष्ट्रीयता के सामने यह देश झुकता है, इसके अलावा किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पूरे हिन्दुस्तान में कश्मीर के बारे में जो एक माहौल पैदा किया था आज उस कश्मीर की क्या हालत होगी। जिन देशों में हम साम्प्रदायिकता को समाप्त होते हुए और राष्ट्रीय धारा की लहरें उठते हुए देखते हैं आज उन जगहों पर ऐसी चीजों को उठाया जाता है, क्यों उठाया जाता है यह बात हमारे सोचने की है।

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

4.00 म० प०

मैं अपने भाइयों से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन बातों के लिए, किन-किन छोटे-छोटे मुद्दों के लिए आप यह सब करते रहेंगे। आज अगर हिन्दुस्तान एक नहीं रहेगा, आज अगर हिन्दुस्तान में रहने वाले हरेक नागरिक को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तो हिन्दुस्तान दुनिया में बड़े राष्ट्र के रूप में कैसे जाना जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा। आज हिन्दुस्तान में जो भी तरक्की और प्रगति की है उसके कारण हिन्दुस्तान को दुनिया में सम्मान मिलता है। आज दुनिया के नक्शे पर हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्री देश है। हिन्दुस्तान इतने बड़े लोकतन्त्र को चलाता है और अच्छी तरह से चलाता है।

आज कोई राम जन्म भूमि, कोई बाबरी मस्जिद, कोई उर्दू भाषा, कोई किसी तरह के आरक्षण के सवाल को उठाता है और उन सवालों पर नारे लगाए जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। राम जन्म भूमि शिला पूजन हो रहा है, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। यह सब किस बात का झगड़ा है। मन्दिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है—

ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब को सम्मति दे भगवान।

हमको तो गांधी जी ने यह सब सिखाया है। हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि देश में किसी का कुछ महत्व है और दूसरे का कुछ और महत्व है। हमने इन बातों को कभी स्वीकार नहीं किया।

कल यहां एक बात उठी कि होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह ने कुछ फैसला कर दिया—विश्व हिन्दू परिषद के लोगों के सामने घुटने टेक दिए। मुझे ताज्जुब होता है इस बात से। सरदार बूटा सिंह जी ने सफाई में जो बातें कहीं उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जो कांग्रेस और सरकार की परम्परा रही है उसका उन्होंने पालन किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में संघर्ष को बचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उनके बारे में जो यह कहता है कि उन्होंने घुटने टेक दिए, वह गलत कहता है। यह बात बिल्कुल गलत है और यह बात कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी।

कल कुछ नारे भी लगाए गए। किसी मित्र ने कहा कि कुछ हिन्दू सिरफिरे यह कहते हुए घूमते फिरते हैं कि "हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, अल्लाह, मुस्लिम, पाकिस्तान। किसी ने कहा कि हिन्दुस्तान में रहना होगा तो हिन्दू बनकर रहना होगा। हमारे संविधान में तो कहीं यह नहीं कहा गया है। जो सिरफिरा ऐसी बातें कहता है, उसकी बात को कौन मानेगा। लेकिन मैंने यह नारा भी सुना है—'हिन्दुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह, अकबर कहना होगा।'

ये भड़काने वाले नारे हैं। इससे बड़ी भड़काने वाली बातें क्या हो सकती हैं। इन बातों को जो भी सिरफिरा कहता हो, चाहे हिन्दू सिरफिरा कहता हो, चाहे मुसलमान सिरफिरा कहता हो लेकिन यह देश सिरफिरों का नहीं है। यह देश महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल, मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई, सरदार पटेल, गोविन्द बल्लभ पन्त का यह देश है। यह ऐसा देश नहीं है, पंजाब के आतंकवादियों का देश नहीं है, यह सरदार अजीत सिंह और सरदार भगत सिंह का यह देश है। आप किस पंजाब की बात करते हैं 100-50 सिरफिरे आतंकवादियों से पंजाब की पहचान नहीं हो सकती, पंजाब की पहचान सरदार अजीत सिंह और सरदार भगत सिंह जैसे लोगों से है, लाला

लाजपत राय से है, डा० किचरू से है। सारा हिन्दुस्तान इस तरह की परम्पराओं से पला है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नारे-बाजी करने वालों की जगह सड़कों पर नहीं है, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, जो लोग इस तरह के बेहूदे नारे लगाते हैं, उनकी जगह जेलों में होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की चीजों के बारे में कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

कुछ राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया गया, क्या फर्क पड़ता है। हल्ला मचाया गया, बदायूं में दंगा हो गया और कई जगह झगड़े हो गए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होने के कारण हम जानते हैं कि हिन्दी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। सब लोग कहते हैं, मुसलमान भाई भी कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, मैं खुद कहता हूं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। भाषा-विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान राष्ट्रभाषा है, माडर्न हिन्दी है वह भी मुसलमानों की भाषा है। इसका विकास हैदराबाद तेलंगाना से होता है, हिन्दी गद्य का विकास वहीं से हुआ है, यह लोगों को मालूम होना चाहिए। हिन्दी बोली को खड़ी बोली में गद्य का स्वरूप सबसे पहले मुसलमानों द्वारा ही विकसित किया गया, जिसे तेलंगाना की दक्षिणी हिन्दी के रूप में जानते हैं। आधुनिक हिन्दी का पहला लेख इंशाअल्लाखां ने रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली में लिखा। उसने कहा कि हिन्दरी फुट और किसी बोली की न फुट, वह रचना मैं कर रहा हूं। तो यहां पर हिन्दुओं की हिन्दी और मुसलमानों की उर्दू, यह बात नहीं होनी चाहिए।

आप सोचिए कि हिन्दी साहित्य की क्या स्थिति होगी अगर उसमें सूर हों, तुलसी हों, लेकिन कबीर और रहीम न हों। रसखान न हों, रसलीन न हों, जायसी न हों, कुतबन, मंझन शेख आलम न हों, तो क्या रूप होगा हिन्दी साहित्य का। जगन्नाथ आजाद न हों। (व्यवधान)

प्रेम चन्द, फिराक गोरखपुरी तो खैर माडर्न हैं, रघुबर दयाल, सुदर्शन कितने ही नाम गिनाऊं, अनेक नाम हैं। इस बारे में मैं उस कवि को उद्धृत करना चाहता हूं जिसने हिन्दी-उर्दू के मामले में बहुत ठीक कहा है। श्री गयाप्रसाद स्नेही जो राष्ट्रीय आंदोलन के कवि थे, 1913 से लेकर आजादी तक राष्ट्रीय आंदोलन की अपनी कविताओं में उन्होंने व्याख्या की है। लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो हिन्दी भाषा के इतने बड़े कवि हैं, आप क्यों उर्दू के रंग में लिखते हैं। उन्होंने कहा—

अपने वतन को देखूं या सरकार की आबरू देखूं,
हिन्द को देखूं या ये मुसलमां-हिन्दू देखूं,
तह की समझेंगे सुखनफहम जबां हो कोई,
काम अपना करूं या हिन्दी और उर्दू देखूं।

तो राष्ट्रीयता का यह रूप है, यह हमारे देश की परंपरा है। सांप्रदायिकता कैसे उभरती है। मुसलमान हिन्दी को प्यार करें, हिन्दू उर्दू को प्यार करें, तब तो राष्ट्रीयता बनती है। अगर मुसलमान अपनी कान्फ्रेंस में कहेगा कि उर्दू होनी चाहिए, तब वह सांप्रदायिकता ग्रहण करती है, उर्दू नहीं होगी तो हम जिन्दा नहीं रह सकते, जब इस तरह की बात की जाती है तब सांप्रदायिकता उभरती है। मैं समझता हूं कि अगर स्क्रिप्ट का सवाल छोड़ दिया जाए तो हिन्दी या उर्दू में व्याकरण की दृष्टि से तो कोई फर्क नहीं है। कवि ने कहा है—

क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से,
जन्म लेकर गोद की इन्सान के, कर न पाया प्यार जो इन्सान से।

यह नीरज ने कहा है।

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

जिगर साहब ने कहा था

"जबसे खो गया है दिल अपना,
चीज रखते हैं भूल जाते हैं।"

मैं नहीं समझता कि भाषा में कोई फर्क है। इन सब बातों को देखते हुए हम क्यों झगड़े में पड़ें। राम इस देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा के प्रतीक हैं। हम हिन्दू हों चाहे मुसलमान सबकी एक सांस्कृतिक परम्परा है। जब राम का जुलूस निकलता है तो राम लीला के दसों दिन हमारे मुसलमान भाई उसमें शामिल होते हैं और इबादत करते हैं। जब बाबा साहब का जुलूस निकलता है तो सभी हिन्दू उसका स्वागत करते हैं। कानपुर की परंपरा हमारी दी हुई नहीं है। उस अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की दी हुई है जिसने सबसे पहले हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए अपना खून बहाया। देश ने जिस दिन गणेश शंकर विद्यार्थी का खून बलिदान में ले लिया कानपुर में उसी दिन से सांप्रदायिकता समाप्त हो गई। उसके बाद से कोई हिन्दु-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। कोई छुट-फुट 46-47 में रहा हो तो बात दूसरी है। जहां-जहां हिन्दुस्तान में कोई झगड़ा नहीं हुआ वहां इस नये वातावरण में झगड़ा हो गया। बुन्देलखंड और बृज क्षेत्र में कभी झगड़ा नहीं हुआ, उन जगहों पर आज झगड़ा हो गया है। मैंने एक बार इसी सदन में कहा था कि अयोध्या और फैजाबाद में लाखों मुसलमान भाई हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो तब होता है जब भाई सद्दाबुद्दीन दिल्ली में कान्फ्रेंस करके कोई बात छेड़ देते हैं या झगड़ा तब होता है जब केरल और कर्नाटक में रहने वाले मुस्लिम लीग के नाम से जब कोई बात कहते हैं तो तब झगड़ा होता है। मुझे नहीं मालूम जब बशीर अहमद मयूक ऋग्वेद का हिन्दी में अनुवाद करते है तो कभी किसी ने आपत्ति की हो। मुझे नहीं मालूम पड़ता कि रशीद जैसा कवि जो अवधि का है, उसमें कभी कोई मतभेद मालूम पड़ता हो। मुझे एक प्रार्थना करनी है कि उस वातावरण से इस देश को बचाया जाए।

"वैसे कहने को तो मुधा कुछ भी नहीं, एक अखाड़ा कायम है,
गर इससे फलक का दिल बहले तो हम लोग तमाशा क्यों न करें"।

यह अकबर इलाहाबादी ने कहा था। इस अखाड़े को खोलना बंद करा दीजिए। इस देश की एकता को बांटने वाली जो भी बुराई हो उससे देश को बचाइए। शासन के द्वारा लॉ एंड आर्डर मेनटेन किया जायेगा तो चाहे राम जन्म भूमि के नाम पर विश्व हिन्दु परिषद वाले जुलूस निकालें तो उनका स्थान भी जेल के भीतर होगा। अगर मसलमान भाई भी उसके विपरीत आचरण करेंगे तो उनका भी वही स्थान होगा। यहां हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बाबरी-मस्जिद और राम जन्म भूमि का फैसला कोर्ट करेगा। आप कहते हैं कि कोर्ट कोई फैसला नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शाहबानो के बारे में भी कोर्ट ने फैसला कर दिया लेकिन आपने क्यों उसको सांप्रदायिक मसला बनाया। ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर ये सारी बातें नहीं सोचेंगे तो इस देश की इज्जत, इस देश की एकता, अखण्डता और उन्नति को खतरा है। अगर इस देश को इन खतरों से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे देश को कौन बचायेगा। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी मिलकर इस देश को बचायेंगे। पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारिकापुरी से लेकर कटक तक जहां भी हम जा सकें, वहां तक जायेंगे और इसको बचायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, अत्यधिक दुःख के साथ मैं प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा साम्प्रदायिक स्थिति पर शुरू की गई चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे आन्दोलन और शानदार द्रविड़ परम्परा के महान नेता, तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्य मंत्री पेरारीगनर (प्रबुद्ध) अन्नादुरई ने एक बार कहा था वह कि ऐसे मुस्लिम थे जो लुंगी नहीं पहनते हैं और ऐसे ईसाई थे जो अपने गले में क्रास नहीं पहनते हैं। महान नेता अन्ना और उनके स्वर्गीय प्रबुद्ध शिष्य डा० एम० जी० आर० के विनम्र अनुयायी के रूप में इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे गर्व होता है। भारत ऐसा विशाल देश है कि इसे ठीक ही उप-महाद्वीप कहा जाता है। भारत में अनेक धर्म प्रचलित हैं। यहां विभिन्न जातीय समूह हैं जो भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न रीति-रिवाज मानते हैं। हम सब का खानपान और रहन सहन के तौर-तरीके भी भिन्न हैं। हम भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इन भेदभावों के बावजूद एकता और धर्मनिरपेक्षता की दीप्तिमान रेखा हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त है। हम सभी भारतीय समान हैं जो शान्तिमय सामाजिक अस्तित्व की खातिर हर किसी को सम्मानता का आश्वासन देते हैं। हमारे भारतीय समाज की सर्वाधिक आकर्षित बात यह है कि हम विभिन्नता में एकता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वर्ष 1949 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तब भारत का इतिहास हजारों निर्दोष व्यक्तियों के खून से रंग गया था। साम्प्रदायिक संघर्ष के उन दिनों में शुरू की गई महात्मा गांधी की पद यात्रा सभी भारतीयों को याद रहेगी। विभाजन के समय खून से रंगा हुआ इतिहास अभी भी हममें से कई व्यक्तियों के लिए दुःखदायक है।

जिस प्रकार से महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने भारत में वर्ग हीन और जाति रहित समाज के लिए कार्य किया, उसी प्रकार दक्षिण में ई० वी० रामास्वामी नायकर और पेरारीगनर अन्नादुरई ने सामाजिक असमानता को हटाने और समतावादी समाज की स्थापना हेतु काम किया। परन्तु साम्प्रदायिक दंगे जो आज रोजमर्रा की बात हो गई है, उनसे हमारी प्रादेशिक और सामाजिक अखंडता नष्ट होती है। जिन सदस्यों ने कल यहां इस विषय पर बात की थी, उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों और जातिगत संघर्ष द्वारा उत्पन्न किये गये खतरों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। चाहे यह बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का मसला हो अथवा अन्य ऐसा ही कोई मसला हो, इससे बहुत सावधानीपूर्वक निपटा जाना चाहिये जिससे कि यह एक साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप धारण न कर ले। मेरा हृदय अत्यन्त दुःख और पीड़ा से भारी हो जाता है जब मुझे यह पता लगता है कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्र के हित में कदम उठाने की अपेक्षा राजनीतिक लाभ हेतु इस स्थिति से अनुचित फायदा उठा रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। यह शर्मनाक बात है कि कुछेक नेता साम्प्रदायिक शांति के लिए काम करने के स्थान पर इस कठिन समय का अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाना चाहते हैं। बी० जे० पी० जैसी पार्टियां आज सत्ता हथियाने के अपने राजनीतिक खेल में पांसे के समान साम्प्रदायिक दंगों का प्रयोग कर रही हैं। जो पार्टियां सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करती हैं कि वे धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है कि वे साम्प्रदायिक-दलों में शामिल होना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस संगठन को उखाड़ फेंकना चाहती हैं और अपने स्वार्थी राजनैतिक उद्देश्यों के लिए श्री गांधी से अपना प्रतिशोध लेना चाहती है। आज हमें जाति, सम्प्रदाय, धर्म और भाषा के आधार पर भारत की अखंडता को विभाजित

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री.पी० सेलवेन्द्रन]

करने वाले साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने की भारी जिम्मेदारी में अपना योगदान देना है। हमको साम्प्रदायिक एकता के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने को तैयार रहना चाहिये। हमें निर्भीक होकर साम्प्रदायिक एकता, सामाजिक भ्रातृत्व और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रयत्न करना चाहिये। हम इस देश के लिए यही सबसे महान सेवा कर सकते हैं। मुझे डा० राधाकृष्णन, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के शब्द याद आ जाते हैं जिन्होंने कहा था कि यही काफी नहीं होगा कि हम इस देश की गन्दी बस्तियों को साफ करें बल्कि पहले हमें अपने दिलों को साफ करने का प्रयत्न करना चाहिये और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिये। सभी साम्प्रदायिक संघर्षों का मुख्य कारण यही है कि हमारे हृदय इतने मलिन हैं तथा विचार इतने कुलषित हैं कि हम स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं।

पिता समान पेरियार और पेरारीगनर अन्ना द्वारा तमिलनाडु में एक उचित प्रशासन की स्थापना के लिए उनके द्वारा किये गये बलिदानों ने राज्य को साम्प्रदायिक, धार्मिक और क्षेत्रगत भेदभावों से ऊपर उठाया है। वहां कोई साम्प्रदायिक विरोध, वर्गगत लड़ाई अथवा धार्मिक लड़ाईयां नहीं थी। तथापि पिछले महीने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही के दंगों ने तमिलनाडु की शानदार परम्परा को खराब किया है। राष्ट्रीय कवि भारती ने कहा है कि वहां कोई जातियां नहीं थीं और जाति के आधार पर ऊंचा और नीचा कहना पाप था। बोदिनयाकनूर में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान ये काव्यात्मक पंक्तियां खून से रंगी हुई थी। 29 व्यक्ति इसमें मारे गये थे। सैकड़ों गम्भीर रूप से घायल हुए थे। हजारों व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति और घर खोना पड़ा। हजारों व्यक्तियों ने पास के जंगलों में शरण ली। स्थिति इतनी गम्भीर थी। बेघर हुए व्यक्तियों को अभी भी अपने घर वापस जाना है। साम्प्रदायिक दंगों का क्या कारण था? दंगों से पहले विभिन्न सम्प्रदायों में क्या कोई साम्प्रदायिक घृणा थी? नहीं। लोगों में पूरी तरह साम्प्रदायिक एकता थी।

क्या वहां पर साम्प्रदायिक दंगे फैलने से पूर्व परिस्थितियां बनी थीं? क्या वह क्षेत्र साम्प्रदायिक संघर्षग्रस्त क्षेत्र था? निश्चित रूप से नहीं। कुछेक व्यक्तियों के निजी हितों के कारण एक पूरी तरह से शान्तिमय क्षेत्र साम्प्रदायिक संघर्ष का युद्ध-क्षेत्र बन गया था। यदि तमिलनाडु सरकार ने इन साम्प्रदायिक दंगों को दूर करने का संकल्प किया होता, तब इन्हें दूर किया जा सकता था। यदि तमिलनाडु की पुलिस ने तत्परता से कदम उठाये होते और विशेष एहतियाती उपाय किये होते, तब साम्प्रदायिक हिंसा को रोका जा सकता था। न तो तमिलनाडु सरकार ने और न ही तमिलनाडु की पुलिस ने साम्प्रदायिक हिंसा को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया। 10 सितम्बर 1989 को एक समुदाय के व्यक्तियों ने बोदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक बुलाई। एक समुदाय का नेता इस तरीके से बात करता है कि इससे दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। 10 तारीख की रात को वह भाषण देता है। 11 और 12 तारीख को उसके भाषणों वाले टेप को गलियों में चलाया जाता है। दूसरे समुदाय के व्यक्ति आक्रोश से भर उठते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। 13 तारीख को दोनों में पोस्टर-युद्ध शुरू हो जाता है। बसें और अन्य आते-जाते वाहन उनके आपसी क्रोध का शिकार बनते हैं। तनाव बढ़ता है और बसों पर पत्थर फेंके जाते हैं। आपस में हाथापाई भी हो जाती है। डोम्बोचेरी में झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगा दी जाती है। 15 तारीख की सुबह ही देवराम में पांच व्यक्तियों की पुलिस के साथ गोलाबारी में मृत्यु हो गई। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 10 तारीख को दिये गये भाषण

ने साम्प्रदायिक संघर्ष के बीज बोये थे। 11 और 12 तारीख को भाषणों ने तनाव में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न किया। 13 तारीख को पोस्टर युद्ध हुआ। बसों पर पत्थर फेंके गये। हाथापाई भी हुई और डोम्बीचेरी में झोपड़ियां जला दी गई।

मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि 10 सितम्बर से पांच दिनों तक पुलिस क्या कर रही थी जब पूरा कस्बा साम्प्रदायिक तनाव की गिरफ्त में था। पुलिस ने पोस्टर-युद्ध के रोकने की कोशिश नहीं की और शरारती तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस यहां तक लापरवाही बरत रही थी कि उसने यह भी पता नहीं लगाया कि पोस्टर कहां पर छप रहे थे। उन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया जो साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले "पोस्टर युद्ध" में संलग्न थे। पुलिस उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी में भी लापरवाह थी जो बसों पर पत्थर फेंकने में लगे हुए थे। पूरे पांच दिनों तक पुलिस क्यों शांत थी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार को देना है। साम्प्रदायिक संघर्ष की उत्पत्ति की जिम्मेदारी कुछ तमिलनाडु सरकार की है और कुछ पुलिस की निष्क्रिय असफलता है जो साम्प्रदायिक हिंसा को रोक नहीं सकी। जब रोम जल रहा था तब नीरो अपना समय नष्ट कर रहा था। तमिलनाडु सरकार उस समय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी जबकि कोयंबतूर में साम्प्रदायिक तनाव उभर रहा था। कारण साधारण था। सत्तारूढ़ डी० एम० के०, हमारी क्रान्तिकारी नेता जयललिता और हमारी ए० आई० ए० डी० एम० के० पार्टी के महासचिव के 27 तारीख के दौरा कार्यक्रम को रद्द करना चाहती थी।

हमारी महासचिव के दौरा कार्यक्रम को रद्द करने के उद्देश्यों से सत्तारूढ़ सरकार द्वारा साम्प्रदायिक तनाव को साम्प्रदायिक संहार का रूप धारण करने की अनुमति दे दी गई थी। राजनैतिक कारणों के लिए वह एक योजनाबद्ध प्रयास था। गोलाबारी शुरू करने से पूर्व पुलिस द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। पहले उन्हें मौखिक रूप से भीड़ को तितर-बितर होने की चेतावनी देनी चाहिये थी, तब भीड़ पर लाठी बरसानी चाहिये और तब पुनः आंसू गैस छोड़नी चाहिये थी और तत्पश्चात् हवाई फायर किया जाता और तब अन्त में गोलाबारी की जाती और वह भी घुटनों से नीचे। पुलिस ने देवाराम, थेनी और कंदमानूर में गोली चलाई। उन स्थलों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के लिए कहीं भी स्थापित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। उन्होंने पहले ही अवसर में गोली चलानी शुरू कर दी और कौओं और सारसों की तरह लोगों को मार गिराया। तमिलनाडु पुलिस द्वारा की गई हिंसा का वह अतिरेक था। इसमें 29 लोगों की जानें गई थी। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड के स्थान पर नहीं गए। लेकिन माननीय गृह राज्य मंत्री उस स्थान पर गये थे। उनके जाने से दुःखी लोगों को प्रोत्साहन मिला। इससे लोगों को राहत महसूस हुई। इससे साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित लोगों को सान्तवना मिली। उन्हें आशा हुई कि केन्द्रीय राज्य मंत्री ने उस क्षेत्र में केन्द्रीय पुलिस बल भेजने के उद्देश्य से उस स्थान का दौरा किया था क्योंकि वे राज्य पुलिस पर विश्वास खो बैठे थे। मैं भी मन्त्री महोदय के साथ वहां गया था।

सभापति महोदय : (घंटी बजाकर) कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री पी० सेल्वेन्द्रन : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस चर्चा में भाग लेने वाला अकेला सदस्य हूं।

सभापति महोदय : आप यहां अपने राज्य की समस्याओं के विस्तार में न जाइये।

श्री पी० सेलवेन्द्रन : यह एक राज्य की समस्या नहीं है। यह एक साम्प्रदायिक समस्या है। राज्य सरकार ने स्वयं यह बताया है कि यह एक साम्प्रदायिक समस्या है।

सभापति महोदय : इस साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में, प्रत्येक राज्य समस्या के विस्तार में जाना उचित नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, तब सभी राज्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन आप इसके पूर्ण विस्तार में न जाइये ठीक है, आप कृपया अपनी बात जारी रखिए आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री पी० सेलवेन्द्रन : घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। मैं कृपया केवल एक मिनट का समय और लूंगा। अत: महोदय, इससे पता चलता है कि किस प्रकार केवल राज्य सरकार ही हिंसा को भड़काने के लिए अकेले जिम्मेदार थी। यह हमारा आरोप है। विपक्षी दलों ने भारत बन्द की घोषणा की थी। कांग्रेस और ए० आई० ए० डी० एम० के० के कार्यकर्त्ता जिन्होंने बन्द में भाग लेने से अपने आपको अलग रखा उन्होंने अपनी दुकानें खुली रखी। साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उन दुकानों को हमलों के लिए चुना गया और उन्हें क्षति पहुंचाई गई। इससे काफी हद तक यह बात सिद्ध हो जाती है कि शासक दल ने राजनीतिक कारणों के लिए साम्प्रदायिक दंगे को भड़काया था। लोगों ने मुख्य मंत्री को यह शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के तत्व साम्प्रदायिक हिंसा को भड़का रहे हैं। मुख्य मंत्री को लोगों ने आश्वासन दिया था कि वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के गुण्डों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काया था। यह बात यहां पर माननीय मंत्री को बहुत अच्छी तरह मालूम है।

सभापति महोदय : मेरी चेतावनी के बावजूद भी, आप अपने राज्य के बारे में पूर्ण विस्तार में जा रहे हैं। मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी० सेलवेन्द्रन : मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

मैं देश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम देश के किसी भी भाग में साम्प्रदायिक दंगों का विरोध करते हैं। साम्प्रदायिक झगड़े जाति अथवा समुदाय में मतभेदों के कारण राजनीतिक दलों द्वारा अपने दलगत स्वार्थों के कारण होते हैं। तमिलनाडु में गत महीने जो दंगा हुआ था वह डी० एम० के० पार्टी द्वारा भड़काई गई पूर्व-नियोजित हिंसा थी। साम्प्रदायिक हिंसा में डी० एम० के० सरकार का हाथ था, तमिलनाडु पुलिस की हिंसा कराने वालों के साथ तथा शासक दल के तत्वों के साथ साठ-गांठ थी। इसलिए शासक डी० एम० के० सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह तमिलनाडु साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रधान मन्त्री के राहत कोष में दयालुतापूर्ण धन का वितरण करे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए। अब श्री जैनुल बशर बोलेंगे।

श्री पी० सेलवेन्द्रन : मैं केवल एक मुद्दे के बारे में और कहूंगा।

सभापति महोदय : श्री सेलवेन्द्रन के भाषण की किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में

सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री जैनुल बशर बोलेंगे।

श्री पी० सेलवेन्द्रन : **

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, इतिहास ने अपनी लम्बी यात्रा में यूरोप और मध्य एशिया में धर्म के नाम पर खून बहते तो बहुत देखा है, लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में बीसवीं शताब्दी के पहले, धर्म के नाम पर खून बहते नहीं देखा था।

हमारा देश जो प्रकृति ने एक देश बनाया था, राजनीतिक तौर पर कभी भी एक देश नहीं था। यहां पर राजनीतिक सत्ता हमेशा एक से अधिक रही है। केवल अंग्रेजों के जमाने में भारत की सॉवरेण्टी पूरे देश में एक रही है। उसके पहले हमेशा राजनैतिक तौर से अलग-अलग शासक अलग-अलग भागों में शासन करते रहे हैं। उनमें हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर यहां के लोग आपस में नहीं लड़े। इतिहास बताता है कि विजयनगरम नाम का एक महान राज्य इस देश में हुआ करता था, जो देश उस समय राजनैतिक तौर से मुसलमानों के अन्दर था। लेकिन कभी भी उस राज्य में या उसके बाहर साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए जबकि विजयनगरम राज्य का मुसलमान शासकों से एक नहीं अनेक बार युद्ध हुआ था। मराठों का शासनकाल सबको याद है। एक जमाने में उनकी तलवार के नीचे सारा देश आ गया था, उनकी धाक दिल्ली तक पहुंच चुकी थी लेकिन उस जमाने में भी कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली की सीमा तक महाराज रणजीत सिंह का शासन था लेकिन उस जमाने में भी कभी दंगे नहीं हुए। यह दंगे कब शुरू हुए ? इस दंगे की शुरुआत भारत की आजादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी जबकि साम्प्रदायिकता ने जोर पकड़ा, मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने जोर पकड़ा, हिन्दू साम्प्रदायिकता ने जोर पकड़ा और फिर यह लड़ाई सड़कों पर आ गई और जगह-जगह दंगे और फसाद होने शुरू हो गए।

सबसे खराब दिन भारत के इतिहास में 15 अगस्त, 1947 का वह दिन था जबकि भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश बना। उस समय सारा देश साम्प्रदायिक दंगों में झुलस गया था, पूरा उत्तरी भारत साम्प्रदायिक दंगों में था। हम एक अलग-अलग देश बने। मुस्लिम लीग तो साम्प्रदायिक पार्टी थी। इस्लाम खतरे में है के नाम पर वहां पर उसने एक अलग देश बनाया। कैसे यह देश बना, कहां-कहां गलतियां हुई उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते, वह देश बन गया। लेकिन भारत के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में भारत में क्यों रह गए ? भारत में इसलिए रह गए कि भारत को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक वादा किया था, एक ऐतिहासिक कमिटमेंट दिया था कि भारत के मुसलमानों को कि इस देश में वे बराबर के नागरिक रहेंगे, इस देश में उनकी जान, उनकी माल, उनका धर्म, उनका मजहब, उनका कल्चर सुरक्षित रहेगा। यह एक ऐतिहासिक वचनबद्धता थी जिसकी वजह से भारत का मुसलमान पाकिस्तान में नहीं गया जबकि पाकिस्तान का हिन्दू बड़ी संख्या में पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया। यह कांग्रेस की वचनबद्धता थी और कांग्रेस ने संविधान देकर उसे पूरा किया। हमारे संविधान में सारे अधिकार जो किसी दूसरे को दिए गए हैं वे मुसलमानों को भी दिए गए हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में दूसरों से ज्यादा मुसलमानों को अधिकार दिए गए हैं। यह एक पृष्ठभूमि थी हमारे यहां आने की या हमारे यहां रहने की, अपना घर बनाने की। अगर उस समय

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

[श्री जैनुल बशर]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नही रही होती, अगर उस समय हिन्दू महासभा और बी० जे० पी० का राज्य रहा होता तो हम भारत के मुसलमान हरगिज इस देश में नहीं होते चाहे हमको समुद्र में डूबना पड़ता। हम पाकिस्तान चले जाते। लेकिन जो लोग नहीं गए, इसे अपना घर बनाया, किसलिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वजह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमको जो वचन दिए थे, जो हमको कमिटमेंट दिए थे, जो हमको वायदे दिए थे वह उसने पूरे किए है, लेकिन आज देश में क्या हो रहा है। आज कुछ शक्तियां उठी है जो साम्प्रदायिकता फैला रही हैं, जो धर्म के नाम पर झगड़ा करना चाहती हैं। उनका इसमें राजनीतिक स्वार्थ है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसी काम से समाप्त करना चाहती हैं।

सभापति जी, मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि मुसलमानों से उनका झगड़ा इतना नहीं है जितना मुसलमानों की ओट लेकर और मुसलमानों की ओट में छिपकर वह इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त करना चाहती है, इस देश की राष्ट्रीयता को समाप्त करना चाहती है, इस देश के सेकुलरिज्म को समाप्त करना चाहती हैं, लेकिन वह समाप्त केवल इसलिए नहीं कर पा रही है कि इस देश का बहुत बड़ा बहुसंख्यक हिन्दू सेकुलर है, बहुत बड़ा बहुसंख्यक हिन्दू यहां पर धर्मनिरपेक्ष है। मैं उत्तर प्रदेश की दो मिसालें आपको देना चाहता हूं। अभी दो साल पहले इसी राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विश्व हिन्दू परिषद ने रथ यात्राओं का जुलूस निकाला था। जगह-जगह से रथ यात्राएं निकाल कर अयोध्या भेजी जा रही थीं और उस समय व्यापक रूप से एक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक तनाव सारे उत्तर प्रदेश में और दूसरे हिस्सों में फैल गया था। इससे मेरठ में दंगा हुआ और अन्य स्थानों में दंगा हुआ। साम्प्रदायिक ताकतें उस समय यह कहती थी कि अगर रथ यात्राओं के जुलूस पर पाबंदी लगाई गई तो उत्तर प्रदेश में खून की होली खेली जाएगी, गंगा और यमुना खून से बहने लगेगी। यह धमकी उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा रही थी, कांग्रेसी सरकार को दी जा रही थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने दृढ़ता के साथ कार्यवाही की और उन रथ यात्राओं के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी, जगह-जगह पर रोक दी तो एक व्यक्ति का भी खून पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बहा, एक व्यक्ति की भी जान नहीं गई। साम्प्रदायिक शक्तियों की ताकत उसी दिन मालूम हो गई कि उत्तर प्रदेश के लोग साम्प्रदायिकता के नाम पर खून बहाने के लिए तैयार नहीं है वह इसको पसन्द नहीं करते। दूसरा हादसा अभी-अभी हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू को राजभाषा डिक्लेयर किया। भारतीय जनता पार्टी ने और विश्व हिन्दू परिषद ने व उनकी विद्यार्थी परिषद ने यह ऐलान किया कि अगर उर्दू दूसरी सरकारी जुबान बन गई तो उत्तर प्रदेश में खून की नदी बह जायेगी, उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद होंगे। उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन उर्दू दूसरी राजभाषा बन गई, लेकिन बदायूं को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि उत्तर प्रदेश के लोग आज भी सेकुलर हैं और वह साम्प्रदायिक राजनीति को पसन्द नहीं करते। केवल एक बदायूं में झगड़ा हुआ, वहां पर खून बहा, लेकिन इतने बड़े उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह कहीं कुछ नहीं हुआ। यह बात तो साबित हो गई कि यह कागजी शेर है। यह साम्प्रदायिक लोग चाहे विश्व हिन्दू परिषद हो, चाहे बी० जे० पी० हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, यह कागजी शेर हैं। सरकार अब भी इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी इस देश के लोग खुश होंगे, नाराज नहीं होंगे क्योंकि बेसिकली यह देश सेकुलर है, यहां के लोग धर्म के नाम पर खून-खराबा नहीं चाहते, यहां के लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं।

सभापति जी, अनुभव ही हमको बताता है कि इस उपमहाद्वीप में कभी धर्म के नाम पर कोई

राज्य नहीं चला है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, लेकिन क्या हुआ पाकिस्तान का ? बंगलादेश अलग हो गया और उस बंगलादेश के अलग होने में इतने खून बहे जितने भारतीय उपमहाद्वीप में कभी नहीं बहे थे। उस समय इतना खून बहाया गया, आज भी पाकिस्तान का क्या हाल है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान कितने दिन चल सकता है, हम नहीं कह सकते। करांची का आज क्या हाल है, दूसरी जगह का आज क्या हाल है, आप जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के नाम पर कोई राज नहीं चलेगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिन्दुस्तान को आप हिन्दू राष्ट्र बना लीजिए, धर्म के नाम पर हिन्दू राष्ट्र नहीं चलने वाला है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में, इस सब कांटीनेण्ट में केवल सैकुलर बेसिस पर ही कोई राज चल सकता है। वह दिन आने वाला है. चाहे मेरी जिन्दगी में न आए, मेरे जीवन के बाद आए लेकिन वह दिन जरूर आयेगा जब बंगलादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग और नेपाल के लोग भारत के लोगों के साथ एक राष्ट्र के रूप में रह सकेंगे। यह मेरा सपना है और एक दिन जरूर साकार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। चाहे उसको देखने के लिए हम और आप जीवित रहें या नहीं लेकिन यह होगा। खालिस्तान की मांग करने वाले पागल भी इस बात को नहीं समझ रहे है कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ। क्या धर्म के नाम पर उनका खालिस्तान चल सकता है ? धर्म के नाम पर इस सब कांटीनेण्ट में कुछ नहीं हो सकता तो फिर यह क्यों हो रहा है, यह पागलपन क्यों किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि बी० जे० पी०, विश्व हिन्दू परिषद यह जो साम्प्रदायिक पार्टियां हैं, हिन्दू साम्प्रदायिक पार्टियां हैं, यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी दूसरे मसले पर कोशिश करके हम इण्डियन नेशनल कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते, केवल धर्म का एक ऐसा जहर है जिसको अगर जनता के बीच में घोला जाए तो शायद इण्डियन नेशनल कांग्रेस को हम खत्म कर सकते हैं। सोज साहब ने कल यह बात कही कि वह 50 सीटों के लिए इतना सब कर रहे हैं. केवल 50 सीटों के लिए इतना जहर घोल रहे हैं कि इस सदन में 50 सीटें मिल जायें तो फिर सौ सीटों के लिए क्या करेंगे, 150 सीटों के लिए क्या करेंगे और दो सौ सीटों के लिए और फिर पूरी सरकार बनाने के लिए वह क्या करेंगे, यही उनकी मंशा है। उनसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारे देश के लोग कभी भी उनको पसन्द नहीं करेंगे। आज जनता दल बी० जे० पी० के साथ हाथ मिलाना चाहता है लेकिन एक तरफ हिचकिचा भी रहा है। एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो एक कदम पीछे भी हटा रहा है। आज कोई भी राजनैतिक दल हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह धार्मिक साम्प्रदायिक चोगा पहन कर इलेक्शन के मैदान में उतर जाय। यह बी० जे० पी० पहले जनसंघ थी तो कितनी सीटें उन्होंने पाई थीं, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 इससे अधिक सीटें उन्होंने कभी नहीं पाई। आज भी यह चुनाव लड़ लें। अब की बार 1984 में वह अकेले चुनाव लड़ कर आये थे तो उनके दो आदमी थे और इस बार के चुनाव मे पांच हो जायें, सात हो जाये, चार हो जायें, तीन हो जायें और यह भी हो सकता है कि एक भी न आए। यह देश ऐसा है जो सैकुलरिज्म में विश्वास करता है लेकिन इन फोर्सेज का मुकाबला होना चाहिए, यह सोचकर हमको बैठना नहीं चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ आज सिर्फ मुसलमान नहीं देख रहा है कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, आप हमारे धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करिये, जान की सुरक्षा करिये, माल की सुरक्षा करिये, आप हमारी भाषा की सुरक्षा करिये बल्कि सारा सैकुलर हिन्दुस्तान आपकी तरफ देख रहा है और सबसे बड़ा आपके सरवाइवल का भी सवाल है। यहां पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस साम्प्रदायिक पार्टी कभी नहीं बन सकती, वह कुछ भी बन सकती है लेकिन साम्प्रदायिक पार्टी कभी नहीं बन सकती। यही वह कांग्रेस है जिसके अक्षय ब्रह्मचारी का नाम लिया गया, जिन्होंने अयोध्या की मस्जिद में जब बुत रखा गया, प्रतिमा रखी गई तो अनशन किया था, उस समय अक्षय ब्रह्मचारी फैजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। आज कांग्रेस के तपे तपाये, सम्पूर्ण आजादी की लड़ाई के

[श्री जैनुल बशर]

एक बहादुर सिपाही कमलापति त्रिपाठी ने यह ऐलान किया है कि हमारी लाश के ऊपर होकर बाबरी मस्जिद गिराई जाएगी । कांग्रेस के लोग कोई कमजोर नहीं है, कांग्रेस के लोग कोई दबने वाले नहीं है । लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इन साम्प्रदायिक शक्तियों से दबिए नहीं, साम्प्रदायिक शक्तियों के चंगुल में नहीं आइए, जब भी उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, तो एक आदमी का भी खून नहीं बहा है, एक जगह भी पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी है । इस देश के लोग धर्म के नाम पर इतने अन्धे नहीं हो सकते हैं, इतने पागल नहीं हो सकते हैं । आज भी यह अस्सी करोड़ का भारत देश, जहां हजारों-हजार शहर हैं, लाखों-लाख गांव हैं, उगली पर गिन लीजिए आपको 25-26 जगहें ऐसी मिल जायेंगी जहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और बार-बार होते हैं । कभी उनमें दो-चार बढ़ जाते हैं, फिर उनमें दो-चार घट जाते हैं । इतने बड़े देश में 25-26 या 30 जगहों से ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं । क्या यह कम सैक्युलरिज्म है । मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां केवल 20 प्रतिशत मुसलमान हैं और 80 प्रतिशत हिन्दू हैं और वहां से मेरे जैसा आदमी चुनकर आता है । यह हमारे सैक्युलरिज्म की महिमा है । यह हमारा सैक्युलरिज्म है और यह हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है । सभापति जी, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप चैतन्य रहिए, चुनाव के पहले बहुत खेल खेला जाने वाला है, चुनाव के पहले बहुत सी साजिशें करने वाले हैं और इन साजिशों के जरिए साम्प्रदायिक दंगे कराए जाने की योजना बनाई जा सकती है, जगह-जगह चुनाव के दिन साम्प्रदायिक दंगे कराने की योजना बनाई जा सकती है । क्योंकि उसके पीछे दो ही काम हैं । वे साम्प्रदायिक दंगे करायेंगे । एक तरफ वे सोचते हैं कि मुसलमान कांग्रेस से नाराज होगा क्योंकि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, उसको सुरक्षा नहीं मिली और दूसरी तरफ वे सोचते हैं कि हिन्दू हमारे साथ आएगा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा । इसलिए वे जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे कराने की कोशिश करेंगे और उन जगहों पर कराने की कोशिश करेंगे, जहां पर कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए । कहीं मस्जिदों में सूअर रख देंगे और कहीं मन्दिरों में गाय रख देंगे और कहीं कोई और चीज रख देंगे । जलूस पर पत्थर फेंके जायेंगे और कहीं कुछ करेंगे, लेकिन चुनाव आते ही बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे कराने की कोशिश करेंगे । इस सारी स्थिति से गृह मन्त्री जी आपको सख्ती से निपटना होगा । आपको इसमें कोई रियायत नहीं करनी होगी ।

बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि का मामला अदालत के अधीन है, मुसलमानों ने तय कर लिया है, जैसी कि मुस्लम ओपीनियन हमारे सामने आ रही है, उससे साफ मालूम हो रहा है कि वे अदालत के फैसले को मानने को तैयार हैं । विश्व हिन्दू परिषद की बात तो मैं नहीं कहता, विश्व हिन्दू परिषद हिन्दू लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, विश्व हिन्दू परिषद् हिन्दू लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के 95 प्रतिशत हिन्दू सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करेगा, हाई कोर्ट के फैसले का आदर करेगा, अदालत का आदर करेगा । उस मामले को अदालत में ही रहने दीजिए और अदालत उसका फैसला करेगी । लेकिन इस बीच आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने हित के लिए, देश के हित के लिए, सबके हित के लिए कि यहां साम्प्रदायिक दंगे न हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, साम्प्र दायिक दंगों के बारे में नया कहने को कुछ भी नहीं है । हमारे पास बहाने के लिए आंसू भी नहीं रहे । हमारी आंखें आंसुओं से

खाली हो गई हैं लेकिन हमारे दिलों में दुःख है। हम इस विषय पर एक के बाद एक वाद-विवाद करते रहे हैं। यह एक रस्म बन गई है जो कि हम मरने पर पूरी करते हैं। यह अन्तयेष्टि व्याख्यान की तरह बन गया है। ऐसा करना रीति-रिवाज बन गया है। हम शर्म से अपने सिरों को झुका लेते हैं और तब यह दुखान्त यात्रा, शर्म की यह यात्रा और मृत्यु की यह यात्रा जारी रहती हैं। आज यहां कुछ लोगों की मौत की बात नहीं है जिस पर हम यहां शोक प्रकट कर रहे हैं। मेरे विचार मे, हमें अपने प्यारे देश के लिए चिल्लाना चाहिए। आज व्यवस्था के जीवित रहने की बात दाव पर लगी है। हम स्वयं अपने आपसे पूछें कि हम किसके लिए घंटी बजाते हैं। यह कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं बजाई जाती। यह हमारे देश अर्थात् इंडिया अर्थात् भारत अर्थात् हिन्दुस्तान के लिए बजाई जाती है। यह भारत के लिए सभ्य समाज के रूप में बजाई जाती है। यह भारत के लिए हमारे सपनों के राष्ट्र के रूप में बजाई जाती है। सभापति महोदय, यह चौंकाने वाली बात नहीं है। यह यथार्थ मूल्यांकन है। जब दिल टूट जाते हैं, देश जीवित नहीं रहते और यदि भारत जीवित नहीं रहता तो कौन जीवित रहेगा ?

ऐसी शर्मनाक घटनाएं कुछ और स्थानों जैसे लेह, मकराना, कोटा, बदायूं और सासाराम में भी हुई थी। इन सभी घटनाओं में साम्प्रदायिक दंगों का कोई इतिहास नहीं था। इस देश के लगभग 100 गांव और कस्बे इसकी चपेट में हैं। हमें ऐसा दिखाई देता है कि हम ज्वालामुखी पर बैठे हैं। कोई नहीं जानता कि कल के समाचार में कौन से नए नाम मुद्रित होंगे। यह एक विस्फोटक स्थिति है। एक साम्प्रदायिक उपनिवेशन, जो कि गत दस वर्षों से जानबूझकर पैदा किया गया है, वह एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। यह सम्प्रदायवाद कल का छोटा-मोटा सम्प्रदायवाद नही रह गया है। यह आज की एक संगठित उग्रराष्ट्रीयता है जो कि हमें एक दिन फासिस्टवाद की अन्धेरी रात में गिरा देगा। हम कई महीनों और वर्षों से अपनी हवेली के तहखाने में विस्फोटक पदार्थों को इकट्ठा करते रहे हैं और इसे प्रज्वलित करने के लिए माचिस की एक तीली पर्याप्त है। जैसे एक छिक्का, एक नवाई, एक कार्य, एक इशारा, एक शब्द और अंगभंग शुरू होता है, सामूहिक हत्या शुरू हो जाती है। यह प्रवृत्ति बढ़ रही है और जाति संहार का रूप ले रही है। इसमें केवल बुरी प्रवृत्ति के लोग ही भाग नहीं लेते है। इसमें अब जाने माने लोग भी हिस्सा लेने लग गए हैं। इसमें मंत्रियों के बेटे भाग लेते हैं। इसमें अब गुंडे लोग ही नहीं भद्र लोग भी हिस्सा लेते हैं। इसमें केवल कानून तोड़ने वाले ही नहीं, कानून और व्यवस्था लागू करने वाले भी इसमें हिस्सा लेते है और षड्यन्त्रकारी इसमें षड्यन्त्र करते रहते है। वे योजनाएं बनाते हैं। वे दंगों की तैयारियां करते रहते हैं और हमारी सरकार को इसकी भनक भी नहीं पड़ती। आसूचना तंत्र इसमे असफल रहता है। इसके अलावा प्रशासन तंत्र भी असफल रहता है। तब पुलिस कार्यवाही करती है और कभी-कभी यह दंगा करने वालों के विरुद्ध नहीं बल्कि गलती से दंगे से दुखी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। यह शर्म का विषय है कि मध्य प्रदेश में हाल के दंगों में, पुलिस ने एक मुस्लिम युवा व्यक्ति को बहुत तंग किया और कहा, "जब तक आप 'राम' नहीं कहते, आपको क्षमा नहीं किया जाएगा।" महोदय, यह शर्म की बात है कि राजस्थान में .....

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत बात है। आपको किसी ने यह गलत जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह हरकत खरगोन में हुई है। (व्यवधान) हम तो बर्दाश्त किए बैठे हैं इन बातों को (व्यवधान) आप इस पर इंकवायरी करिये, कार्यवाही करिये।

श्री बालकवि बैरागी : किसी पुलिस वाले ने ऐसा नहीं कहा।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसको नजरअंदाज मत करो, इंक्वायरी करो। इतनी आसानी से इस बात को खत्म मत करो।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : बम्बई के पुलिस उपायुक्त ने मुसलमानों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था और प्रेस के समक्ष एक वक्तव्य दिया था। उनका नाम शिगारे है। उन्होंने कहा : "मैंने उनकी ऐसी पिटाई करवाई है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे और अगले छः महीनों तक गलियों में आने का साहस नहीं करेंगे।" यह बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक ने कही है या भारतीय पुलिस सेवा के उपायुक्त ने ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। महोदय, दो वर्ष पहले मेरठ में एक नहीं सैकड़ों नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उन्हें मार-मार कर काला नीला कर दिया गया था तथा उन्हें कहा गया कि अब वे अपने अल्लाह और मोहम्मद को अपनी रक्षा के लिए बुलाएं और अपने शाहबुद्दीन और बुखारी से पुकार करें। यह तरीका अपनाया जा रहा है। इसीलिए कई वर्ष पूर्व राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई थी। किन्तु इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। न तो किसी नई नीति की जरूरत है और न ही नई विचारधारा की। जरूरत इस बात की है कि गृह मंत्रालय अपनी पुरानी फाइलें निकाले और इस बात की समीक्षा करे कि राष्ट्रीय सर्वसम्मति क्या थी, किन राष्ट्रीय नीतियों का निर्णय किया गया था और किस हद तक उन्हें कार्यान्वित किया गया है।

हिन्दू राष्ट्र की जो भावना यहां पनप रही है, प्रधानमंत्री जी उस बारे में हमें चेतावनी देते रहे हैं। और यह ठीक भी है। वह राष्ट्र की महान सेवा कर रहे हैं। यदि हिन्दू राष्ट्र बनता है तो सिख राष्ट्र भी बनेगा, इसाई राष्ट्र भी पीछे नहीं रहेगा, मुस्लिम राष्ट्र भी बनेगा और इस तरह देश टूट जाएगा, देश बना नहीं रहेगा और इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर रहना है और हिन्दू राष्ट्र के इस कुचक्र से लड़ना है। महोदय, दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और उनकी सरकार राष्ट्रवादियों का समर्थन करती है। वे देश को अपनी इच्छानुसार चलाना चाहते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश है। क्या ऐसा नहीं है ? वे इस स्थिति से भागते नजर आते हैं। मैंने कई बार गृह मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों द्वारा रचे जा रहे षड्यन्त्रों और उनकी गतिविधियों की ओर दिलाया है। वे देश को तोड़ने और हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। सारे देश में कितनी ही सेनाएं एकत्रित हो गई हैं। वे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने हेगडेवार की जन्म शताब्दी पर पूरे देश में करोड़ों रुपयों की जाली डाक सामग्री भेजी। जब यह काम पूरा हो गया तो मुझे संचार मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ कि यह बात सरकार की जानकारी में आई है और वह इस बारे में कुछ करेगी। हां, लेकिन यह सब होने के पश्चात् ही क्यों पता चला। सरकार इस प्रकार मूकदर्शक क्यों बनी रही। क्या सरकार इतनी अक्षम है। कुंभ मेले में साधु संसद का आयोजन किया गया था जहां से ये सब बातें शुरू हुई। मुझे इस सभा को यह बताने में शर्म महसूस हो रही है कि इस संसद को, जिसने हमारी राष्ट्रीयता की धारणा, भारत की भावना के विरुद्ध राष्ट्र-विरोधी संकल्प पारित किए, सरकारी अधिकारियों से पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त है। मैंने यह प्रश्न पूछा था किन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने पूछा था कि उन्हें जमीन किसने दी और इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे बताया गया

कि इसे समाप्त होने दीजिए, फिर वे उनसे निपटेंगे। अब निश्चय ही वहां लाखों लोग हैं और यदि वे कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह सब आठ माह पूर्व हुआ था और इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। वे पूरे देश से इकट्ठे हो रहे हैं। वे दिल्ली की ओर आ रहे है। संक्षेप में कहें तो सरकार महात्मा गांधी के बंदरों की तरह काम कर रही है। सरकार को न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न ही वह कुछ बोलती है। मैं नहीं जानता कि फिर यह सरकार सत्ता में क्यों है। वे उत्तेजक नारों, भाषणों और नारों तथा दीवारों पर लिखी गई अपमानजनक बातों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते। ऐसे पैंफलेट और लिखित सामग्री सारे देश में बांटी जा रही है और वे कुछ नहीं करते। संघवाद की यह विचारधारा उनके लिए आसान बन जाती है। जब भी आप उनसे प्रश्न पूछते हैं, वे कहते हैं हमारा देश संघीय है। यह सब राज्य का मामला है। केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो इसकी निगरानी भी नहीं करते। हम तो आंकड़ों पर भी निगरानी नहीं रखते। महोदय आज जो कुछ भी हो रहा है, वह सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण ही हो रहा है। सरकार को इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जो हमने उन्हें प्रदान किया है और अगर उन्हें स्थिति में परिवर्तन लाना है तो उन सब कानूनी और प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो जनता ने उन्हें प्रदान की हैं। अगर इन शरारती तत्त्वों को नियंत्रण में लाना है, यदि देश के सार्वजनिक जीवन से इन बुरे संगठनों को समाप्त करना है तो सरकार को और अधिक सजग और प्रभावी कदम उठाने होंगे और तभी वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठनों पर अंकुश लगा सकते है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृहमंत्री तथा गुजरात के मुख्यमंत्री की सराहना करता हूं कि उन्होंने इन संगठनों पर पाबंदी लगाई है।

5.00 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन उन्होंने कुछ भी कर सकने में अपनी असमर्थता जाहिर की क्योंकि केन्द्र सरकार की ओर से कोई निदेश नहीं दिए गए थे। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि वह इन संगठनों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए निदेश जारी करें।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : कौन कहता है कि केन्द्र सरकार द्वारा निदेश जारी नहीं किए गए थे ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : श्री अशोक गहलोत।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया मुझे वह उद्धरण दिखाइए जहां उन्होंने ऐसी बात कही है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं आपके पास वह उद्धरण भेजूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं ? मैंने जो कुछ कहा है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा।

महोदय, विश्व हिन्दू परिषद राम जन्म भूमि के प्रश्न के संबंध में लोगों की धार्मिक भावनाएं जगाने के उद्देश्य से समूचे देश में आयोजन कर रहा है और उनका यह खेल राजनीतिक है। यह धार्मिक सम्मेलन नहीं हैं, यह धार्मिकता का जुलूस नहीं है, अपितु एक राजनैतिक खेल है, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। वह एक विशेष राजनैतिक दल को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

चूंकि गतिविधि है और सरकार इस प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए है । वे हिन्दुओं के मन में विष घोलने, आम आदमी के मन में डर पैदा करने और जनता के बीच एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा ।

रामचन्द्र जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं । महान कवि, इकबाल ने उन्हें इमाम-ए-हिंद कहा है । उनके लिए इससे बड़ा नाम और नहीं दिया जा सकता कि वह भारत के इमाम हैं । हम सब उनका आदर करते हैं और ये लोग गलत कार्य करके, उस पूजा स्थल को नष्ट करके उनके नाम का अनादर करने का प्रयास कर रहे हैं । यह हिन्दूवाद नहीं है, यह राम की उपासना नहीं है, हिन्दू संस्कृति का यह संदेश नहीं है । विश्व हिन्दू परिषद ने समूचे देश में राम शिला पूजन का आयोजन किया था । हिन्दू धर्म में कहीं भी शिला पूजन का उल्लेख नहीं है । यह उनकी अपनी खोज है । मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था । इसके पीछे कोई धार्मिक भावना नहीं है, इसके पीछे कोई धार्मिक सहमति नहीं है । किसी भी धार्मिक सम्मेलन को कानूनी अधिकार होते हैं । लेकिन, जो सम्मेलन कानून और व्यवस्था को भंग करने के लिए किया जाए, उसे कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होता । उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि देश में प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई है और हम नहीं जानते हैं कि और कितने स्थानों पर प्रतिशोध की यह आग भड़केगी । मैं सचमुच यह सोचकर कांप उठता हूं कि अब ये छोटे-छोटे समूह गांव से पंचायत तक, पंचायत से जिले तक और जिले से राजधानियों को होते हुए अयोध्या को मार्च करेंगे तो उस विशाल भीड़ में वे क्या ले जाएंगे । देश का धर्म निरपेक्ष ढांचा, जनता कालोकतांत्रिक स्वरूप, भाईचारा, पारंपरिक सौहाद्र की भावना, सह-अस्तित्व की भावना, भाईचारे के दावे, हमारी राष्ट्रीयता आदि सब भावनाएं उस भीड़ में विलीन हो जाएंगी ।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह स्थानीय तौर पर अयोध्या में इन जुलूसों को और वहां ईंटों के ले जाने पर रोक लगायें । आखिरकार इस समय अयोध्या में कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है । मामला न्यायाधीन है ।

वे कहते हैं कि वे अयोध्या में प्रस्तावित रामजन्मभूमि मन्दिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं । मैं इसके कानूनी और ऐतिहासिक प्रश्न पर नहीं जाऊंगा । मैं सिर्फ वर्तमान स्थिति की ही बात करूंगा ।

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने किसी भी चरण में इस मन्दिर का बुनियादी खाका देखा है । क्या उन्होंने यह पता लगाने की जांच पड़ताल की है कि क्या इस नक्शे में वह वर्तमान बाबरी मस्जिद स्थल आता है अथवा नहीं जो न्यायाधीन है तथा जोकि विवादास्पद क्षेत्र है तथा जिसके स्वामित्व के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है और जो लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ के सामने निर्णयाधीन पड़ा है । यदि स्वामित्व के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है, तब एक ऐसे भवन की आधारशिला रखना जिससे बाबरी-मस्जिद को गिराना पड़ता है, स्पष्ट रूप से एक अवैध कार्य है । आप ऐसे अवैध कार्य की अनुमति क्यों देते हैं ? आप इस नितान्त गैर-कानूनी कार्य की अनुमति क्यों देते हैं ? आखिरकार, उस नक्शे के अनुसार बाबरी मस्जिद को बिना गिराये मन्दिर का निर्माण नहीं किया जा सकता है । मुझे यह कहना चाहिए कि विश्व हिन्दू परिषद बिल्कुल ईमानदार है । यहां तक कि भारत-सरकार को तथाकथित वचन देने के बाद भी

उसके अगले ही दिन श्री सिंघल ने 27 सितम्बर को आयोजक को कहा। मैं उद्धृत करता हूं कि प्रस्तावित मन्दिर को पवित्रतम स्थल अथवा गर्भगृह उसी स्थान पर रहेगा जहां इस समय श्री राम लाल विराजमान की प्रतिमा की आराधना की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दू समाज का संघर्ष जन्मभूमि के गर्भगृह के लिए है। यदि हिन्दुओं को 9 नवम्बर तक यह जगह नहीं मिलती तो जन्मभूमि के लिए संघर्ष होगा। अत: 9 नवम्बर को 30 फुट अथवा 100 फुट दूर एक द्वार की आधारशिला रखने से ही वह संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने धमकी दी है कि यदि 9 नवम्बर को बाबरी मस्जिद उनके कब्जे में नहीं आ जाती तो वह इसके लिए संघर्ष छेड़ देंगे। महोदय, वह दूरी महत्वपूर्ण नहीं है। जहां पर आधारशिला रखी जाएगी। जो महत्वपूर्ण है वह नक्शा है। अत: मैं सोचता हूं कि सरकार को इस बारे में तुरन्त विचार करना चाहिए। यदि विश्व हिन्दू परिषद उस योजना के अनुसार मन्दिर बनाना चाहती है जिसमें बाबरी मस्जिद भी आती है, तो जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं दिया जाता और बाबरी मस्जिद के बारे में स्वामित्व का निर्णय नहीं होता, उन्हें इन्तजार करना चाहिए। यदि उनके पक्ष में निर्णय हो जाता है तब बेशक वे उस स्थान पर कब्जा कर सकते हैं और वही करें जो वह करना चाहते हैं। परन्तु तब तक उन्हें इन्तजार करना है। परन्तु निश्चित रूप से, यदि उनकी एक भिन्न योजना है अथवा यदि वे नक्शे में संशोधन करते हैं और भगवान राम के सम्मान और शान में एक मन्दिर बनाते हैं, जो कि बाबरी मस्जिद से पूरी तरह अलग और भिन्न होगा तथा यदि बाबरी मस्जिद के हितों के साथ किसी भी विवाद की सम्भावना नहीं होती है, तब सार्वजनिक हित की किसी भी अन्य परियोजना के समान सरकार इस विषय में कार्यवाही कर सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह कहे। सरकार को इस बात को पूर्णत: स्पष्ट कर देना चाहिए कि हिन्दू वोटों के लिए संघर्ष में सत्तारूढ़ पार्टी प्रयासरत नहीं है। दुर्भाग्य से, देखने में ऐसा लगता है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी ही इस खेल में शामिल नहीं है बल्कि अन्य पार्टियां भी हिन्दू वोट पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि अब हिन्दू वोट काफी हैं।

एक माननीय सदस्य : वे कौन सी पार्टियां हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह आपकी पार्टी को कहना है। (व्यवधान) आप क्यों चिन्तित हैं। मैं उस पार्टी से सम्बन्धित नहीं हूं। मैंने निश्चित रूप से कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस देश में प्रत्येक राजनैतिक दल इस आशय की स्पष्ट घोषणा करे। आपको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जाति से बाहर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरी मांग है कि हर व्यक्ति वही बात कहे।

महोदय, अत: सरकार को बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। या तो विश्व हिन्दू परिषद को अपनी योजना बदलनी चाहिए अथवा उन्हें आधारशिला रखने संबंधी आयोजन को स्थगित कर देना चाहिए। निश्चित रूप से, मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री जी ने कल इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अभी तक सरकार ने कोई जमीन नहीं दी है। मैं चाहूंगा कि वह एक और पहलू पर हमें आश्वस्त करें। संभवत: कुछ ऐसी बातचीत चल रही हैं। उन्हें इस प्रकार के किसी भी लेन देन की संभावना को समाप्त कर देना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विश्व हिन्दू परिषद ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

न्यायालय के निर्णय को मानेगी ।। दुर्याग्य से 6 अक्तूबर के टेलीग्राफ में एक समाचार छपा है जिसमें श्री सिंघल ने कहा है :—

"यह एक सच्चाई है कि श्री बूटा सिंह ने स्वयं पहल करके विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के साथ एक बैठक की थी और एक ही विषय पर चर्चा की गयी और वह था कानून और व्यवस्था । न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि संविधान द्वारा अदालत को ऐसे अधिकार ही नहीं दिये गए कि वह जनता के दैविक विश्वास के बारे में प्रश्न करे ।"

अत: उनका दावा जनता के दैविक विश्वास पर आधारित है और इस प्रकार से अदालत उनके लिए रूकावट कैसे खड़ी कर सकता है । परन्तु यहां पर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि श्री सिंघल अथवा विश्व हिन्दू परिषद अदालत का निर्णय मानने को सहमत हो गई हैं । मैं माननीय मंत्री जी का अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा यदि वह इस मुद्दे को चर्चा करते समय स्पष्ट कर दें । मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दु:ख होता है कि एक आम धारणा यह है, यद्यपि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कि सरकार विश्व हिन्दू परिषद के सामने झुक गई है । मैं सोचता हूं कि यह न केवल उस पार्टी के हित में है जिसका सम्बन्ध गृहमंत्री जी से है बल्कि यह सम्पूर्ण देश के हित में भी है कि ऐसी धारणा को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए ।

महोदय, इस देश की जनता न्याय और धर्म की भावना से जुड़ी हुई है । कोई भी व्यक्ति अराजकता नहीं चाहता है । न कोई हिन्दू और न ही कोई मुसलमान गृह युद्ध और खून-खराबा चाहता है । इस खेल में सभी को कष्ट होगा और सभी समुदायों को नुकसान पहुंचेगा । न केवल अक्षय ब्रह्मचारी ने बल्कि स्वयं कमलापति त्रिपाठी जी ने मुझे बताया था ।

[हिन्दी]

मैं मर जाऊंगा पर अपनी जिन्दगी में ऐसा पाप नहीं होने दूंगा ।"

[अनुवाद]

प्रत्येक सार्वजनिक भाषण में मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं । भारत का यह महान व्यक्ति, महान पुत्र और बनारस का यह महान ब्राह्मण कहता है—

[हिन्दी]

"मैं अपनी जिन्दगी में ऐसा पाप नहीं होने दूंगा ।"

[अनुवाद]

मैं निश्चित रूप से उस अक्षय ब्रह्मचारी की श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो यह कहने वाले पहले व्यक्ति थे । "मैं मर जाऊंगा परन्तु बाबरी मस्जिद को बचाऊंगा ।" मैं श्री चन्द्र शेखर जैसे व्यक्ति को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन पर पत्थरों से प्रहार किया गया है परन्तु बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर उन्होंने एक स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण अपनाया है । मैं महान नेता श्री राजेश्वर राव को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपने 75 वें जन्मदिन पर बताया :

[हिन्दी]

"शाहबुद्दीन साहब, मेरे जीवन में इन्कलाब नहीं आएगा। मुझे जीने की तमन्ना नहीं है। अगर बाबरी मस्जिद टूटी तो मैं अपनी जान कुरबान कर दूंगा, बाबरी मस्जिद नहीं टूटने दूंगा।"

[अनुवाद]

उन्होंने देश में सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों का आह्वान किया है कि वे 8 नवम्बर को इन बुराईयों को दूर करने के लिए एक जगह इकठ्ठे हो और देश को बचाएं। मेरा सभा से निवेदन है कि वह सी० पी० आई० के इस महान आह्वान का पूरे दृढ संकल्प और एकमत से समर्थन करें।

कल एक सुझाव दिया गया था और मैं इसका समर्थन करता हूं। मन्त्री महोदय ने स्वयं नेताओं की बैठक में यह कानून बनाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया था जिसके द्वारा सभी धार्मिक स्थानों की स्थिति 15 अगस्त, 1947 की तरह रखी जायेगी और श्री बनातवाला द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था। इससे कुछ नहीं हुआ। इस बैठक के पश्चात् छः महीने गुजर गए हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें सोमवार को इस प्रकार का एक विधेयक लाना चाहिए। यह तीन पंक्तियों का विधेयक हो सकता है। भविष्य में हमें सारी मुसीबतों को समाप्त कर देना चाहिए। हमें सारी समस्याएं समाप्त कर देनी चाहिए। हमें इन सारे षड़यन्त्रों का खात्मा कर अपने देश की गरिमा बढ़ानी चाहिए।

बाबरी मस्जिद की समस्या हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न नहीं है। कृपया इसे इस दृष्टिकोण से न देखें। यह भारत के संविधान की पवित्रता का प्रश्न है। यह कानून के शासन और कानून की सर्वोच्चता का प्रश्न है। यह भारत की मिली-जुली संस्कृति को स्थायी रूप देने का प्रश्न है। यह इस बात का प्रश्न है कि क्या हमारा समाज सभ्य कहलाने के लायक है अथवा हम जंगल राज की ओर लौट जायेंगे। हम इस परीक्षा में असफल होना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अतः मैं न सिर्फ सरकार से, न सिर्फ राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं बल्कि इस सभा से बाहर राष्ट्र से, हमारे धर्म-निरपेक्षवाद के संरक्षकों, भारत के नागरिकों से, हमारे राष्ट्रीय जीवन के आदरणीय व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि वे आगे बढ़ें और इस शरारतपूर्ण खेल को बन्द करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद पर दबाव डालें और इसमें हस्तक्षेप करें और जब तक कि देश के उच्चतम न्यायाधिकरण द्वारा इस विवादग्रस्त क्षेत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उन्हें अयोध्या में किसी भी भवन आदि का शिलान्यास न करने दें।

इन जुलूसों को बन्द किए जाने का अनुरोध मैं एक बार फिर सरकार से करूंगा। यदि आप शिला पूजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो ठीक है लेकिन इन राम शिलाओं को जहां ये हैं वहीं रहने दिया जाए। जब तक कि अयोध्या में इनकी आवश्यकता न हो इन्हें जहां ये हैं वहीं रहने दिया जाए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे माननीय मन्त्री महोदय से बहुत आशायें हैं। उन्होंने महीनों तक रात दिन प्रयास किया है। मैं जानता हूं कि उन्होंने सदन में और सदन से बाहर बहुत सी रुकावटों का सामना किया है। मैं आशा करता हूं कि वे उचित समय पर देश को नेतृत्व प्रदान करेंगे और इस देश को साम्प्रदायिक ज्वाला से बचायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़े

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

भारी मन से और दुखते हुए हृदय से यह बात कहनी पड़ रही है कि आजादी के 42 साल बाद भी इन साम्प्रदायिक दंगों ने धर्म-निरपेक्ष भारत की शान्ति को झकझोर कर रख दिया है। हमारे देश में यह घृणित कार्य बड़े ही नियोजित तरीके से, प्लान्ड वे में किया जा रहा है और बी० जे० पी० इसके पीछे है। यदि हम हिन्दुस्तान के पिछले इतिहास को देखें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि बी० जे० पी० ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने समय-समय पर देश में नियोजित तरीके से साम्प्रदायिकता का बवंडर खड़ा किया है। सबसे पहले उन्होंने हेडगेवार की जन्म शताब्दी के नाम पर गांव-गांव में गंदे और उत्तेजित करने वाले नारों के जरिये साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश की। उसके बाद अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस देश में भयंकर षड़यन्त्र रच रहे है। यदि हम पिछली बातों को याद करें तो यह जनसंघ या बी० जे० पी० ही है जिसने धर्म-निरपेक्षता के अवतार बापू की हत्या की थी और उसके बाद हिन्दू वोटों को हथियाने के लिए चुनाव के समय बराबर हिन्दुत्व का नारा लगाते रहे।

जब-जब भी चुनाव नजदीक आए, उन्होंने इस नाटक को और भी तेज कर दिया। आपको याद होगा मान्यवर, 1980 में उन्होंने गो माता के काटे जाने वाला एक विरोधी नारा दिया था और 1984 में गंगा जल लेकर वे चले थे। जगह-जगह गंगा जल बेचने का कार्यक्रम बनाया और उसके साथ ही भयंकर साम्प्रदायिकता का विष फैलाने का नाटक किया था। परन्तु वह सफल नहीं हुआ। आज भी राम शिला पूजन का जो नाटक किया जा रहा है और करोड़ों रुपये उसमें एकत्रित किए जा रहे हैं जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं और उसके पीछे किस प्रकार की भयंकर साजिश की जा रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

मान्यवर, अगर हम देखें, तो राम शिला पूजन उन्हीं राज्यों में अधिक हुए हैं जहां कांग्रेस का शासन है। क्योंकि बी० जे० पी० चाहती है कि कांग्रेस को किसी तरह से बदनाम किया जाए। हमें इन आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि सबसे अधिक राम शिला पूजन 3595 राजस्थान में हुए, उसके बाद नैक्स्ट यू० पी० में 2295, गुजरात में 297। हुए। जब कि आप देखें जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, आसाम में केवल 3 हुए हैं। हरियाणा में केवल 69 हुए हैं, कर्नाटक में 40 और केरल में 23 तथा तमिलनाडु में 499 हुए हैं। इससे यह अंदाजा आसानी से लगता है कि उन्हीं राज्यों में ये राम शिला पूजन का नाटक किया जा रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। ताकि कांग्रेस की सरकार बदनाम हो। इस प्रकार से ऐसी बातें फैलाकर बी० जे० पी० अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि बी० जे० पी० ने जिस प्रकार से शिव सेना और बजरंग दल के साथ समझौता किया है वह देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ खतरे की घंटी है। शिवाजी जो महाराज, जिन्होंने अपना जीवन देश की एकता और अखण्डता के लिए कुरबान कर दिया, उन शिवाजी महाराज के नाम को बदनाम किया जा रहा है और एक सांप्रदायिक भाव उनके नाम पर फैलाया जा रहा है। उसके लिये हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। ये काम सबसे अधिक जुलाई, सितम्बर, और अक्तूबर में हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग कोटा में 14 सितम्बर की वह काली संध्या मान्यवर भुलायें नहीं भूल सकती है। उस दिन साम्प्रदायिकता का नग्न ताण्डव हुआ। उसे देखकर हमारी आंखे शर्म से झुक जाती हैं। अनन्त चतुर्दशी का जो जुलूस था, उसमें डेढ़ घंटे तक भड़काने वाले नारे लगाए गए जब कि उसमें बी० जे० पी० के दो एम० एल० ए० भी साथ चल रहे थे। क्या उनका यह फर्ज नहीं था कि इस प्रकार से भड़काने वाले जो नारे वहां लगाए जा

रहे थे, उनको वे रोकते और इस प्रकार से गन्दे नारे उस जुलूस में न लगाए जाते, परन्तु लगाये गए और साथ ही मान्यवर मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस प्रकार से संध्या के समय जुलूस निकाला और ऐसी संकरी गलियों में से निकाला, जिससे उत्तेजना फैली और पत्थरबाजी हुई और जिसका परिणाम यह हुआ कि हंसते-खेलते चेहरे मृत्यु के ढेर में बदल गए।

मान्यवर, मुझे यह भी बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 14 सितम्बर को यह घटना जिस दिन हुई, उसी दिन कर्फ्यू लग गया। 15 सितम्बर, को जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था उस समय भी प्रोसैशन बन्द नहीं हुआ और उसके परिणामस्वरूप कई अन्य जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुईं। कई जगह छांट-छांट कर दुकानें जलाई गईं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा के शकरपुर में अब्दुल कादर, जो कि एक मस्जिद की सेवा पूजा किया करते थे, उनके ऊपर आक्रमण किया गया और उनके 18 वर्ष के पुत्र, सादिक हुसैन को मार दिया गया। इस प्रकार का जो एक गन्दा नाटक किया गया है, इससे कुछ प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उन प्रश्नों की ओर आप ध्यान दें। पहला प्रश्न यह है कि डेढ़ घंटे तक कोटा में नारेबाजी चलती रही। उस समय प्रशासन क्या कर रहा था और जो बी०जे०पी० के एम०एल०ए० उस जुलूस के साथ-साथ चल रहे थे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वे भड़काने वाले नारे लगा रहे थे। दूसरा प्रश्न यह है कि झगड़े के बाद पुलिस आफिसर आटो रिक्शा में बैठकर भाग गए और वहां पर जिस तरह की घटनाएं हुईं उसके लिए पुलिस आफिसर जो हैं उनके ऊपर किसी तरह का ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा प्रश्न यह है कि कर्फ्यू 14 सितम्बर, का था और 15 सितम्बर को जो घटनाएं हुईं उसमें जो आग लगाई गई, दुकानें जलाई गईं, सरकार इस पर पूरी तरह से जानकारी करे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि उन मृत व्यक्तियों को जो इस दंगों में मरे हैं, मुआवजे के समय कागजात बनाने में विलम्ब होता है, उसे भी ठीक किया जाए। एक निवेदन मेरा यह है कि राजनीतिक दल जो कि साम्प्रदायिकता की आग भड़काते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए जैसे बजरंग दल, शिवसेना आदि। बी० जे० पी० की रणनीति यदि चुनाव में हिन्दू वोटों के साथ खेलने की है तो इस देश की जनता जो कि 95 प्रतिशत सैकुलर है, वह इस योजना को कभी भी सफल नहीं होने देगी। मैं प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देना नहीं भूलूंगी जिन्होंने 5 अक्तूबर को कोटा और उदयपुर की बैठक में साफ कहा कि हमें यह चिन्ता नहीं है कि हम चुनाव जीतें या हारें, हमें चिन्ता इस बात की है कि देश बना रहे, हमारे देश के जो पवित्र सिद्धान्त हैं धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र और समाजवाद के, वह बने रहें। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर इस देश में शासन करने का जो ये सपना देख रहे हैं, इस देश की जनता उसे कभी भी साकार नहीं होने देगी। अभी हाल ही में श्री वी० पी० सिंह जिन पर विदेशी खातों के आरोप हैं वे भी बी० जे० पी० के साथ, शिवसेना के साथ समझौता करके चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो सपना देख रहे हैं, उसे भी इस देश की जनता साकार नहीं होने देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पार्टियां जो कि साम्प्रदायिकता की जड़ फैलाती हैं, उनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाते? उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। हर जिले में, कस्बे में शान्ति समितियां बनाई जानी चाहिए जो कि इस काम को करें।

मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश में यदि हम हिन्दू राष्ट्र की मांग करेंगे तो मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र की मांग भी होती रहेगी और देश का कोई भी नागरिक यह नहीं चाहता कि देश की एकता और अखंडता खंडित हो। साम्प्रदायिकता की जो आग लगी हुई है उसे हम सबको बुझाना है। सारे देश के लोगों की निगाह आज एक ही व्यक्ति के ऊपर

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

टिकी है और वह हैं श्री राजीव गांधी और एक ही पार्टी के ऊपर टिकी हुई है और वह पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहती हूं कि बी० जे० पी० का यह स्वप्न कभी भी साकार नहीं होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब मद संख्या 9अ पर चर्चा करेगी। इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त करने के पश्चात् हम पुनः साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। चाहे हम अनुदानों की पूरक मांगों पर चर्चा शीघ्र समाप्त कर लें, फिर भी हम 6.00 म० प० तक साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा जारी रखेंगे। 5.45 म० प० पर राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम बहस में भाग लेंगे और गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह प्रश्नों का उत्तर कल देंगे।

5.26 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1989-90 के बजट (सामान्य) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या—1, 4, 5, 8, 12, 21, 24, 46, 49, 56, 62, 74, 75, 76, 79 90 1"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या और मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	
	राजस्व रु०	पूंजी रु०
कृषि मन्त्रालय		
1. कृषि	90,00,00,000	...
4. ग्रामीण विकास विभाग	388,75,00,000	...
5. उर्वरक विभाग	660,01,00,000	...

1	2	3
वाणिज्य मंत्रालय		
8. वाणिज्य विभाग	270,00,00,000	...
संचार मंत्रालय		
12. दूर संचार सेवाएं	...	1,00,000
ऊर्जा मंत्रालय		
21. विद्युत विभाग	...	301,00,00,000
विदेश मंत्रालय		
24. विदेश मंत्रालय	...	1,00,000
गृह मंत्रालय		
46. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	62,00,00,000	...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
49. युवा कार्य और खेल-कूद विभाग	10,00,00,000	...
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
56. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	...	70,00,000
पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय		
62. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	...	10,54,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
74. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	70,00,000	...
शहरी विकास मंत्रालय		
75. शहरी विकास और आवास	150,00,00,000	10,00,00,000
76. लोक निर्माण कार्य	...	2,00,000
कल्याण मंत्रालय		
79. कल्याण मंत्रालय	50,12,00,000	1,32,00,000
गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र)		
90. दिल्ली	51,00,000	...
जोड़	1682,09,00,000	323,60,00,000

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा···

उपाध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्यों से अनुरोध करें।

श्री ए० के० पांजा : जी हां, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए सदन में इसका सारांश प्रस्तुत करूंगा।

महोदय, पूरक अनुदानों में बीस मांगें सम्मिलित हैं और इसमें 3,025.93 करोड़ रुपये का कुल व्यय शामिल है। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों ने समान बचतों का पता लगा लिया है और प्राप्तियों में 1,785.18 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की है। अत: कुल अतिरिक्त व्यय 1,240.75 करोड़ रुपये का है जिसमें से 338.75 करोड़ रुपये जवाहर रोजगार योजना से संबंधित है; 150 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र से गरीबी उन्मूलन के लिए हैं; 200 करोड़ रुपये आयात किए गए उर्वरकों पर आर्थिक सहायता देने के लिए है; 150 करोड़ रुपये नकद क्षतिपूर्ति सहायता के लिए है; 120 करोड़ रुपये निर्यात-ऋण पर ब्याज-राजसहायता के लिए है; 90 करोड़ रुपये व्यापक फसल बीमा योजना के लिए है; 70 करोड़ रुपये मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए है; 62 करोड़ रुपये स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए और 10 करोड़ रुपये भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुदान के लिए है।

माननीय सदस्यगण पूरक मांगों के साथ लगी प्रस्तावनात्मक टिप्पणियों में प्रस्ताव देखेंगे और वहां विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है···

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इन मांगों को पारित किया जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों पर भी ध्यान देने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। कल प्रधान मन्त्री द्वारा की गई घोषणा का भी मैं स्वागत करता हूं। अनुपूरक मांगों में भी हमने देखा और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी इसका उल्लेख किया था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल है। मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहरी क्षेत्र के लोगों की इस समस्या का हम नये ढंग से अध्ययन कर रहे है। कुछ अध्ययनों द्वारा इस बात का संकेत दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता से भी अधिक निर्धनता बढ़ रही है। अत: मैं कहता हू कि इस गम्भीर समस्या पर बिलकुल उचित समय पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं सरकार की सफलता की कामना करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस विशेष योजना की सफलता के लिए सम्पूर्ण देश सरकार का समर्थन करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस योजना को बिलकुल उचित रूप में शुरू किए जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि इससे ठोस परिणाम निकल सकें। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इस विशेष विषय के लिए अधिक समय मेरे पास नहीं है। कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना पर ध्यान दिए जाने का भी मैं स्वागत करता हूं और हमने इससे संबंधित अनुपूरक मांग रखी है जिसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि इसके लिए सब कुछ किया जायेगा। यद्यपि इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है फिर भी यह पर्याप्त साबित नहीं होगा। मैं इस योजना की भी सफलता की कामना करता हूं।

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में यह सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर उचित ध्यान दे रही है। चूंकि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है अतः प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई थी और वहां अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तत्पश्चात् शहरी क्षेत्रों की निर्धनता के संबंध में अवश्य ही अनेक अध्ययन किए गए थे। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गरीब लोग भी हो सकते हैं। यही कारण है कि जब धनराशि उपलब्ध हुई तो हमने दूसरी प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों से निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को दी। सरकार इस स्थिति से पूर्ण रूप से अवगत है। यही कारण है कि न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता बल्कि कमी वाले अन्य क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा गया था। स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद छात्रवृत्ति आदि जैसी उचित मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। ये मांगें शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंधित हैं। लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। इसीलिए ये प्रावधान किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि समस्त सभा इन प्रावधानों को स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या—1, 4, 5, 8, 12, 21, 24, 46, 49, 56, 62, 74, 75, 76, 79 और 90"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.32 म० प०

विनियोग (संख्यांक-5), विधेयक, 1989

श्री ए० के० पांजा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० पांजा : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता* हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए० के० पांजा : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 193 के अधीन चर्चा

[जारी]

देश में सम्प्रदायिक स्थिति

[हिन्दी]

श्री के० के० अब्बासी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस मसले पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

जिन्दगी का वह जमाना याद आता है जब हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने हिन्दू साथी दोस्तों के साथ मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय कभी यह अहसास पैदा नहीं हुआ था कि एक वक्त मुल्क की आजादी के 40 साल बाद वह आयोग जब हम यह सोचेंगे बैठकर कि हिन्दू मुस्लिम दंगे कैसे रोके जायें। जैसा कि हमारे लायक दोस्त जैनुल बशर साहब ने कहा, मैं उसे दोहराता हूं। कहानी शुरू होती है मुल्क के बंटवारे से और मुल्क के बंटवारे से हम इन्कार नहीं कर सकते, उसमें हिन्दू जितने जिम्मेदार हैं, शाहबुद्दीन साहब, उससे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं, उससे हम इन्कार नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। यह मुल्क नहीं बंटता, अगर हम ने मौलाना आजाद की बात मानी होती, यह मुल्क नहीं बंटता अगर हमने खान अब्दुल गफ्फार की बात मानी होती, यह मुल्क नहीं बंटता अगर हमने रफी अहमद किदवई की बात मानी होती लेकिन हमने मानी किसकी बात, जिन्ना की बात हमने मानी। जिन्ना की बात हमको पसन्द आई, क्यों? इसलिए कि वह बंटवारे की बात थी। बंटकर रहेगा हिन्दुस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान। हमें वह दौर याद है। जब मैं यहां इन फसाद के मामलों पर बोलने खड़ा होता हूं, बार-बार यहां जिक्र हुआ है और बार-बार हमारे दिल ने अन्दर से कहा है कि यह मातम कब तक होगा। कोई वक्त आएगा जब यह मातम बन्द होगा। हम यह मातम कब तक करेंगे। हमारा दिल हम से यह सवाल करता है।

हम अपनी कान्स्टीचूयेंसी में छोटे से पैमाने पर कार्य करते हैं। शाहबुद्दीन साहब हम मुसलमानों के लीडर नहीं हैं और न बनना चाहते हैं। हमें मुसलमानों का लीडर बनने का शौक नहीं है। हम हिन्दू से वोट लेते है और मुसलमानों से वोट लेते हैं और हम पंडित से भी आशीर्वाद लेते हैं, तब हम कामयाब होते हैं। हम यहां आते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमें वह याद रखना चाहिए, जो कान्स्टीचूयेंसी में हमारा फर्ज है, जहां से हम नुमाइन्दे होकर आए हैं, उसमें हरिजन भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिन्दू भी हैं, ज्यादती किसी पर न हो। यह हमारी जिम्मेदारी है। मैंने हमेशा अपनी तकरीरों में यह बात कही है और आज भी मैं उसे दोहराऊंगा, न सारे हिन्दू खराब हैं और न सारे मुसलमान शरीफ हैं। हमें अच्छे लोगों की तालाश करनी चाहिए और यह हमारी हुकुमत की जिम्मेदारी नहीं है। मैं खास तौर से अपने कांग्रेस पार्टी के साथी लोगों से कहता हूं, आज जो हिन्दुस्तान है और जिस हालत में है, उस को बनाने वाले हम हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। यह हम पर जिम्मेदारी आती है, हमारे हिन्दू साथियों पर जिम्मेदारी आती है। हम सोचें कि एक महावीर त्यागी भी था, कोई अक्षय ब्रह्मचारी भी था, क्या हम सब वैसे नहीं बन सकते, हमें बनना चाहिए। यह जिम्मेदारी मुसलमानों के बसकी नहीं है, जैनुल बशर नहीं कर सकते है, काजी जलील नही कर सकते हैं, इस आग से बचाने की जिम्मेदारी हमारी साथियों की है और उन्हें बनना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी की जरा भी याद ताजा है, अगर महात्मा गांधी की कुर्बानी याद है, इन्दिरा गांधी की कुर्बानी याद है, तो हमारे हिन्दू साथियों को आग में कूदना पड़ेगा हमें खुद आग में कूदना है। जब हम खुद आग में कूदेंगे तभी चल सकते हैं। बेशक हम आगे रहें या पीछे रहें।

मेरे यहां एक गांव है जहां पर शमशान घाट भी था और कब्रिस्तान भी था। चकबंदी में कब्रिस्तान को बांट दिया गया। काफी मुसलमान मेरे पास आए और कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। वहां कब्रिस्तान को शमशान बना दिया गया है। इसी बात पर झगड़ा होने लगा। वहां दारोगा आया। उसने सोचा कि शमशान और कब्रिस्तान में क्या फर्क है। उसने वैसे ही रहने दिया। वहां एक हरिजन को दफना दिया गया। इसी पर झगड़ा हो गया। इस झगड़े के कारण उस जगह को फिर आधा-आधा बांट दिया गया। मेरे पास लोग आए। मैंने फौरन अपने कुछ आदमियों को भेजा और कहा कि मुझे रिपोर्ट दो। मुझे रिपोर्ट मिली कि दारोगा की गल्ती थी। मैंने मुसलमानों

[श्री जे० बी० अब्बासी]

से कहा कि अगर तुम झगड़ा करोगे तो तुम्हें कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। इस तरह से समझा-बुझा कर मैंने इस मसले को हल करवाया।

यहां बहुत सी तकरीरें हुई। शहाबुद्दीन साहब की तकरीर भी हुई, एक हमारे दूसरे साथी की भी हुई। उनकी तकरीर सुन कर तकलीफ हुई। उन्होंने सारी गल्ती, सारा इलजाम हुकूमत के सिर थोप दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि इतने मुसलमान तो इरान-ईराक जंग में भी नहीं मरे। उसके बाद यह भी कह दिया कि क्यों नहीं हमने इख्तिलाफ होने पर इस्तीफा दिया। हम क्यों इस्तीफा दें ? हमें सिखाया गया है कि जब जुल्म होगा तो उसका सामना किया जाएगा। हमें कांग्रेस में यह सिखाया गया है, हमारे नेताओं ने यह सिखाया है।

अगर हिन्दुस्तान में कांग्रेस जमात नहीं होती, महात्मा गांधी नहीं हुए होते तो हिन्दुस्तान कभी सेक्युलर मुल्क नहीं होता। उन्हीं की वजह से आज यहां मुसलमान सीना तानकर रहते हैं और उन्हीं की बदौलत आज शाहबुद्दीन साहब हिन्दुस्तान में रहते हैं। अगर वे नहीं होते तो हिन्दुस्तान में हिन्दू राज होता। क्यों आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत चली आ रही है, क्यों नहीं यहां बी० जे० पी० की हुकूमत हो पाती है इस बात को क्यों नहीं कहते। श्री जैनुल बशर साहब ने ईमानदारी की बात कही, लेकिन मैं उसको जरा जोर देकर कहना चाहता हूं कि यहां का हिन्दू सेकुलर है। अगर यहां का हिन्दू सेकुलर न होता तो मोटर में बैठकर टीका लगाकर जुलूस निकालने वालों के बहकावे में आ जाता और राजीव जी हार जाते, इंदिरा जी हार जातीं। यहां का हिन्दू सेकुलर है, वह सिर्फ राजीव गांधी को ही वोट नहीं देता, वह जलील अब्बासी को भी वोट देता है, जैनुल बशर को भी वोट देता है और शाहबुद्दीन साहब को भी वोट देता है कि शायद ये भी कभी सोचें, कभी इनके दिमाग में भी यह आए कि हमें सिर्फ मुसलमान ही वोट नहीं देता बल्कि हम हिन्दुओं के भी नुमाइंदे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाकयी में दुख का इजहार करना चाहता था, मुस्तकिल तकरीरें मैं सुन रहा था और कल से बेचैन था कि 5 मिनट मुझे बोलने का समय दे दिया जाए। राम जन्म भूमि के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी दोहराता हूं कि मेरे वहां पिछली बार जुलूस निकाल रहे थे, उस जुलूस को रोका गया, जुलूस रुका नहीं तो हंगामा हो गया। पुलिस फायरिंग से एक हिन्दू मारा गया, और कुछ नहीं हुआ। मैं दिल्ली में था, मुझे फोन आया, मैं भाग कर गया। कलेक्टर और एस० पी० मुझे रास्ते में मिले, मैंने उनसे कहा कि हिन्दू मरा तो मैं मरा, मुसलमान मरा तो मैं मरा, मुझे तो आपने मार दिया। कैसे पुलिस को आदेश दिया गया, यह नौबत कैसे आई। वह हिन्दुओं का गांव था, मैं उधर जाने लगा। लोगों ने मना किया कि हिन्दुओं का गांव है और आप मुसलमान हैं, मत जाइए। मैंने सोचा कुछ हिन्दुओं को इकट्ठा कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे खुदा पर विश्वास नहीं रहा और मैं उस गांव में पहुंच गया। वहां सब लोग इकट्ठे हुए, सब हिन्दू इकट्ठे हुए। लोगों ने कहा कि आप उस वक्त नहीं थे, अगर आप मौजूद होते तो आपकी आंख देखकर ही लोग पीछे हट जाते और यह नौबत नहीं आती। वह उस गांव के हिन्दुओं ने कहा। मैं आया और कहा कि सरकार जब देगी तब देगी, 5100 रुपए मुसलमानों से इकट्ठे करके उस हिन्दू की बेवा को दिलवाए और 20000 रुपया सरकार से दस दिन के अन्दर दिलवाया। मैंने कहा कि अगर हिन्दू मरा है तो मुसलमान चन्दा करके पैसे देंगे और अगर मुसलमान मरेगा तो हिन्दू चन्दा करके पैसे देंगे। इस तरह की हवा हमको पैदा करनी है। बाद में बी० जे० पी० के लोग आए और उन्होंने कहा कि वापिस कर दीजिए, लेकिन उनको कहा गया कि क्यों वापिस कर दें, आप तो

उस वक्त आए नहीं, वे हमारे पास आए, आप अब जाइए यहां से । इस तरह की शिक्षा हमको सारे हिन्दुस्तान में बनानी है । यह काम हमको करना है, सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हमको अपना काम अपनी-अपनी जगह पर करना है । अभी एक बात जैनुल बशर साहब ने भी कही, मैं भी उसको कहना चाहता हूं और जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह जो शिलान्यास की बात कही जा रही है, इसको रोका जाना चाहिए । अगर वहां पर कुछ हो गया तो तारीख में यह बात लिखी जाएगी कि कांग्रेस के समय में यह काम हुआ है, यह बलखा कांग्रेस के समय में हुआ है, उसके जिम्मेदार हम होंगे इसके लिए कांग्रेस हुकूमत का नाम लिया जाएगा । इसलिए इसको आप अवश्य रोकिए । अगर वीर बहादुर द्वारा रथ यात्रा न रोकी गई होती तो न जाने क्या हो जाता । पता ही नहीं लगा कि रथ कहां गया । आपको खड़े होकर कहना पड़ेगा कि नींव नहीं रखी जाएगी । हुकूमत कमजोर नहीं है । आप कह दीजिए कि कोर्ट के फैसले का इन्तजार करो । हुकूमत का पहला काम इन्साफ करना और सख्ती से उन ताकतों को कुचल देना जो सिर उठा रही हैं । हमारी कांग्रेस की हुकूमत के सामने एक लंबा-चौड़ा इतिहास है । उस इतिहास को मंत्री जी याद रखेंगे और उस पर अमल करेंगे । हम लोग यहां पर तकरीरें करते है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम अमल की तरफ जाएं । हम समक्ष हैं और कांग्रेस अभी जिंदा है और जिंदा रहेगी और कोई दूसरी पार्टी हुकूमत में नहीं आ सकती । हकूमत हमें करनी है शहाबुद्दीन साहब, आइन्दा भी हमारी हुकूमत आएगी । खाली मुसलमानों के वोटों से आप नहीं जीत सकते । आपकी इंसाफ पार्टी इंसाफ नहीं कर सकती, हुकूमत हमारी ही बनेगी इसलिए हम पर उत्तरदायित्व है । इंदिरा जी और गांधी जी के सिद्धांतों को हमें कायम रखना है और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम हुकूमत कर सकते हैं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं चर्चा में इस दौरान संक्षिप्त में कुछ हस्तक्षेप करना चाहूंगा । इस सभा में एक से अधिक बार देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा की गयी है । एक से अधिक बार मैं इस चर्चा में सम्मिलित हुआ हूं और इस संबंध में मैंने न केवल अपने ही विचार दर्शाए है अपितु सरकार के विचारों को भी दर्शाया है ।

महोदय, मुझे सबसे पहले एक बड़े साम्प्रदायिक दंगे का अनुभव अहमदाबाद में हुआ था । वहां जो अमानवीयता, क्रूरता और पागलपन लोगों के मन में सवार था, यह देखकर बहुत भारी धक्का लगा । कई सालों से, विशेषकर मेरे द्वारा गुजरात और उत्तर प्रदेश में किए गए अक्सर दौरों से मैंने इस समस्या को समझने और साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कारणों को समझने की कोशिश की है । अहमदाबाद में मेरे इस अनुभव के पश्चात सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रमुख नीति संबंधी उदघोषणा की जिससे राज्य सरकार और राज्य प्रशासन साम्प्रदायिक मेलजोल और शांति को बढ़ावा रख सकें । वस्तुतः हमने अनेक कदम उठाए थे । हमारे द्वारा 1986 में उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप ही सरकार ने 1987 और 1988 में साम्प्रदायिक तनाव को कम करने में सफल हो सकी जिसका श्रेय, विनम्रता से मुझे जाता है ।

मैं मात्र और आंकड़ों के सहारे ही श्रेय नहीं लेना चाहता हूं; लेकिन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1987 की दूसरी तिमाही के प्रारम्भ से लेकर और 1988 के पूरे वर्ष में तथा 1989 के पूर्वार्द्ध की स्थिति यह दर्शाती है कि उस समय देश के साम्प्रदायिक दंगों के आंकड़े साम्प्रदायिक दंगों में हुई हत्याओं और घायल हुए व्यक्तियों के आंकड़े दर्शाते हैं कि इनकी संख्या में कमी आयी । ऐसा नहीं है

[श्री पी० चिदम्बरम]

कि इससे इन भड़काने वाले मुद्दों का समाधान कर दिया गया। पहला मुद्दा जिस कारण साम्प्रदायिक भावनाओं से भड़काया गया था। वह मुस्लिम पर्सनल कानून में विवाद के कारण हुआ था। लेकिन मेरे विचार से सरकार ने इसका समाधान मुस्लिम समुदाय के हित में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पालितब्यूरो ने अपने संकल्प में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना की है जिसे शाहबुद्दीन जी ने अपनी पत्रिका मे उद्धृत किया है उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों की संतुष्टि के लिए यह कदम उठाया है। यद्यपि सरकार ने वह कदम उठाया है जिसे वह ठीक समझती थी और यह साम्प्रदायिक मेल जोल तथा शांति के लिए आवश्यक भी था जिससे कि एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मन में व्याप्त डर को दूर किया जा सके। इसके पश्चात समान नागरिक संहिता की मांग उठी जो कि समुदायों के बीच लड़ाई का मुख्य मुद्दा बन गयी।

एक ओर राम नवमी और दूसरी ओर मुहरम की रैली होने के कारण रैलियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो गयी है। ये रैलियां बहुत बड़ी होती हैं और कभी-कभी ये रैलियां अनियंत्रणीय होने के अतिरिक्त इनमें ज्यादा नारेबाजी, ज्यादा बैनर लगाने, ज्यादा ट्रक का उपयोग करने और ज्यादा लाऊडस्पिकरों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक समुदाय द्वारा धार्मिक चिन्हों का उपयोग ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा भड़कीले रूप में किया गया और वह ज्यादा उत्तेजनात्मक होने लगे। सेना सम्पूर्ण देश में फैल रही है। श्री शाहबुद्दीन जी ने कुछ सेनाओं के नाम बताए हैं पर उन्होंने कुछ अन्य सेनाओं के नाम नहीं लिए। वह सेनाओं की एक पूरी सूची को पढ़ रहे थे। सेनाएं इस देश में फैल चुकी हैं और वे चिन्ह स्वीकार कर रही है। हथियार को चिन्ह के रूप में दर्शाया जाने लगा है और चिन्ह को हथियार के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। अपराधी तत्व कट्टरपंथी दल में शामिल होने लगे हैं। इन रैलियों और समारोहों को आपराधिक बनाने के कारण तथा अपराधी तत्वों के इसमें शामिल होने के कारण, स्थिति और भी खराब हो गयी है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे यहां तीन साल की अवधि में धार्मिक स्पर्धा जैसी बात आ चुकी है और इससे धर्म की परम्परा और पेशे में काफी कुछ जुड़ गया है। सरकार इस पूरे तीन साल की अवधि तक अड़िग खड़ी रही और उसने किसी भी समुदाय को खुश नहीं किया; अपितु वह संवैधानिक दायित्व से जुड़ी रही और राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने तथा साम्प्रदायिक शांति कायम रखने के लिए उसने राज्य सरकार को सहायता करने की कोशिश की।

मैं अपने अहमदाबाद में हुए पहली अनुभव के उपर जाता हूं। अहमदाबाद में दिए गए बंद के आह्वान के कारण वहां साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। मुझे सभा के समक्ष आने और यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती कि मैं उन लोगों की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने ऐसे बंद का आह्वान किया था जो कि एक बिलकुल ही असंगत था। रथ-यात्रा इस दंगे और विवाद का एक कारण बन गयी हैं। लेकिन इन तीन सालों के अन्दर हमने अनेक कदम उठाये हैं। प्रत्येक वर्ष मैं अहमदाबाद का दौरा करता हूं और अब अहमदाबाद की रथ-यात्रा एक शांतिपूर्ण समारोह होता है जिसमें सभी समुदाय के लोग इसे बहुत धूम-धाम से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस साम्प्रदायिक विष को,

6.00 म० प०

जिसका हम पर प्रभाव पड़ता है, समाप्त नहीं कर सकते। सख्त उपायों, स्पष्ट नीति तथा दृढ़ कदमों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सकता है। परन्तु विगत तिमाही में जो कुछ हुआ है—

जुलाई से सितम्बर, 1989 तक—जिसे मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि यह इस सरकार के यदि चार वर्षों में सबसे बरी तिमाही थी ? ऐसा क्यों ? सबसे बड़ा मुद्दा बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के विवाद का है। महीनों तक गृह मंत्री महोदय ने प्रत्येक संबंधित पक्ष से धैर्यपूर्वक बातचीत की है। वह कल विस्तार से जवाब देंगे।

शायद आप 6 बजे के बाद भी मुझे कुछ मिनट देंगे। मैंने सोचा कि इसका मुझे आज जवाब देना चाहिए क्योंकि मेरे विचार से श्री सैयद शाहबुद्दीन और अन्य सदस्यों ने बड़े जोश के साथ यह प्रश्न उठाया है। मैंने सोचा कि सच्चाई की खातिर मुझे बोलना ही चाहिए।

गृह मंत्री महोदय ने प्रत्येक पक्ष से बातचीत की है। हम दो तरीकों पर दृढ़ संकल्प हैं। पहला तरीका यह है कि इस विवाद को समझौता तथा बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। हमने इसे अनेक महीनों तक अपनाया है। यदि जनता ठंडे दिमाग से सोचे और एकजुट हो जाए तो इस पर अब भी कार्यवाही की जा सकती है। सभ्य समाज का यही तरीका है। केवल यही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा लोकतंत्र में विवादों को हल किया जा सकता है। जब हमने देखा कि इस तरीके से हल नहीं निकल रहा है तो हमने दूसरा तरीका अपनाया अर्थात दोनों पक्षों को समझाकर न्यायिक तरीके से इस विवाद का हल खोजना। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम दोनों तरीकों के प्रति वचनबद्ध हैं परन्तु आज हमें प्रतीत होता है कि न्यायिक संस्था द्वारा हल बेहतर तरीका है। इसलिए केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष बेंच में भेज दिया गया है तथा हमें पूरी आशा है कि सभी पक्ष न्यायिक संस्था के निर्णय का पालन करेंगे। परन्तु महोदय, इस विवाद में एक नई बात पैदा हो गई है कि एक प्रमुख राजनैतिक दल भा० ज० पा० देश में खुलेआम तथा निस्संकोच साम्प्रदायिकता फैला रही है। मेरा विश्वास है कि शिष्टता और धर्मनिरपेक्षता जो ये नेता दिखाते हैं, के पीछे इनके दिल में साम्प्रदायिकता और दिमाग में फासिस्ट हैं। मुझे भा० ज० पा० और इसके विभिन्न सहयोगियों का, जिनके कारण देश में विगत तीन महीनों में साम्प्रदायिक असामंजस्यता फैली है, नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में ऐसे राजनैतिक दल भी हैं जो इस देश पर शासन करने तथा सरकार में स्थान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं परन्तु उन्हें भा० ज० पा० के साथ बैठने, बातचीत करने तथा संयुक्त होने में कतई हिचकिचाहट नहीं है। आज भा० ज० पा० साम्प्रदायिकता फैला रही है जिसने वातावरण में पूर्णतः विष घोल दिया है। भा० ज० पा० अध्यक्ष दिल्ली के चारों तरफ जा रहे हैं तथा पुजारियों के समक्ष धर्मपरायण और आस्थावान बन रहे हैं और शिला-अभिषेक समारोह में भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि मन्दिर का निर्माण एक महान धार्मिक कार्य है परन्तु किसी राजनैतिक दल का समारोहों, जुलूसों, पूजाओं और यात्राओं में, जिनसे केवल भावनायें भड़केंगी, खुलेआम भाग लेने से मेरे विचार से इस देश की सबसे बड़ी क्षति होगी। 1967 को याद कीजिए जब इसी दल ने अपने पिछले रूप में चुनावों के समय गोवध के मुद्दे पर अभियान शुरू किया था। 1984 में इसी दल ने इस देश की अनेक चीजों को शुद्ध करने के लिए गंगा जल लेने का अभियान चलाया था। चुनावों के दौरान यह दल अपने भूतपूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हिन्दू वोट, जिसे यह साम्प्रदायिक समझता है, जीतने के लिए निस्संकोच साम्प्रदायिकता फैला रहा है। मेरा ऐसा निश्चित रूप से विचार है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दुओं का, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, अधिकांश बहुमत इस राजनैतिक दल की वास्तविकता को समझ जाएगा और इसे पूर्णतः अस्वीकार कर देगा। इस देश का आधार धर्मनिरपेक्षता

[श्री पी० चिदम्बरम]

है। इस देश में कोई किसी की दया पर नहीं रहता है। हम इस देश के संविधान के कारण रहते हैं। जिसने हमें जीवित रहने तथा अपने धर्म में विश्वास का अधिकार प्रदान किया है।

कुछ टिप्पणियां हाल ही की वार्ता के, जो गृह मंत्री की विश्व हिन्दू परिषद और अन्य संगठनों के साथ हुई थी, संबंध में की गई हैं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद से कोई वायदा नहीं किया है और न कोई वचन दिया है। इसके विपरीत 27 सितम्बर, 1989 की बातचीत में विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधि निम्नलिखित बातों पर सहमत हो गए हैं। मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहता हूं। पहले, विश्व हिन्दू परिषद शिला जुलूस की पूर्व सूचना संबंधित जिला अधिकारियों को देगा तथा जनहित की स्थिति में जिला अधिकारियों की इच्छानुसार मार्ग बदलने के लिए राजी हो गया है। दूसरे, विश्व हिन्दू परिषद और इसके अनुयायी ऐसे कोई उत्तेजक नारे नहीं लगायेंगे जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है। तीसरे, ट्रकों में ईंटें संबंधित जिला अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित मार्गों से ले जायी जायेंगी। चौथे, विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ और जिम्मेदार पदाधिकारी, जो जुलूस के दिशा-निर्देश की जिम्मेदारी लेंगे, जिला अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे। पांचवें, उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर ईंटें एकत्रित की जायेंगी उसे जिला अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा।

यह एक ऐसा संगठन है जो भगवान राम के मंदिर निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ है। जैसा कि श्री शाहबुद्दीन ने स्वयं कहा है कि मन्दिर का निर्माण कोई प्रतिषिद्ध कार्य नहीं है और न ही यह अवैध है। यह एक ऐसा संगठन है जिसने मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या ईंटें भेजने के लिए जनता को एकत्रित करने में कुछ सफल प्रयास किया है। जब तक वह कार्य और कार्यक्रम कानून की सीमायें पार नहीं करते तो राज्य—यह उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है—वह कार्य इस प्रकार से नियंत्रित करेगा कि इससे कोई उल्लंघन न हो अथवा साम्प्रदायिकता न फैले। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री निश्चित रूप से इसमें व्यस्त हैं। विश्व हिन्दू परिषद से कोई वायदा नहीं किया गया है। विश्व हिन्दू परिषद से कोई वायदा नहीं किया गया है। विश्व हिन्दू परिषद को कोई वचन नहीं दिया गया है। परन्तु हमने विश्व हिन्दू परिषद के वचन पर ध्यान दिया है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं :

> "विश्व हिन्दू परिषद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के 14.8.1989 को दिए गए इन निर्देशों का पालन करने का वचन दिया है कि सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा विवादास्पद सम्पत्ति से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए।"

निस्सन्देह विश्व हिन्दू परिषद ने हमसे यह कहा है। परन्तु हमसे यह कहने के बाद अनेक ऐसे वक्तव्य दिए गए जिनसे इसका खंडन होता है। इसलिए मैंने यह बताने के संबंध में सोचा कि 27 सितम्बर को गृह मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिए गए वक्तव्य पर ध्यान देने के साथ-साथ हमने विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों द्वारा बाद में दिए गए उन वक्तव्यों पर भी ध्यान दिया है जिनसे इस वचन का खंडन हुआ प्रतीत होता है। सरकार की ओर से मैं सभा को और इस देश की जनता के सभी वर्गों को आश्वासन देता हूं कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश को लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं तथा हम किसी व्यक्ति अथवा संगठन को भूमि की यथास्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देंगे। हम यह सुनिश्चित

करने के लिए दृढ़ हैं कि कानून के नियम का पालन किया जाए। हम किसी को ऐसा कोई कार्य अथवा प्रयास करने की अनुमति नहीं देंगे जिससे भूमि की यथास्थिति में परिवर्तन हो अथवा बाबरी मस्जिद की सम्पत्ति या संरचना में कोई परिवर्तन हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश का पालन किया जाए। इसके लिए सरकार अपनी शक्ति और प्राधिकार के अनुसार प्रत्येक कार्य करेगी। मैं यह बात कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि क्या श्री शाहबुद्दीन 8 और 9 नवम्बर को वहां उपस्थित रहेंगे अथवा नहीं। मैं और भारत सरकार वहां यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित रहेंगे कि कोई कानून का उल्लंघन न करे तथा कोई कानून को अपने हाथ में न लें। यह कहने के साथ ही मैं सभी संबंधित लोगों से यह सुनिश्चित और विचार करने की अपील करूंगा कि इस देश, इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और इस नीति को किसी प्रकार का नुकसान न हो तथा किसी जुलूस अथवा समारोह या यात्रा में सम्मिलित न हों। यह समारोहों अथवा जुलूसों या यात्राओं का समय नहीं है। यह इस देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को बनाए रखने का समय है। यह अत्यधिक सहनशीलता और दूसरे के विश्वास का सम्मान करने का समय है। यह किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रतियोगिता में लिप्त होने का समय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल इस चर्चा की समाप्ति पर जब यह सभा अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेगी तो इस देश की जनता धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकत्रित करेगी। हम सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए दृढ़ हैं। गृह मन्त्री महोदय ने पहले ही कहा है कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद वह यह सुनिश्चित करने के लिए, सभी राजनैतिक दलों को, जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं में विश्वास रखते हैं तथा जो निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष हैं, कि इस वर्ष के शेष दिन शान्तिपूर्ण और साम्प्रदायिक सद्भाव के साथ व्यतीत हों और शान्ति बनी रहे। मैं यह आश्वासन केवल उन व्यक्तियों को ही नहीं देना चाहता जिन्होंने आज इस चर्चा में भाग लिया है बल्कि उनको भी देना चाहता हूं जो कल इस चर्चा में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त इस देश की जनता को भी आश्वासन देना चाहता हूं। मैं सभी संदेह और भय समाप्त करना चाहता हूं। सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव और शान्ति के लिए प्रत्येक आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़ है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, कल जवाब देंगे तब आप अपनी बातों पर स्पष्टीकरण करा सकते हैं। उन्होंने अभी केवल हस्तक्षेप किया है।

अब सभा की बैठक कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.13 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 अक्तूबर, 1989/21 आश्विन, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006